खण्ड-199, अंक-4
सोमवार, 10 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(1 दिसम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमल कुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
ब्रजबासीलाल, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री

शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री महादेव प्रसाद ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

(सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८)

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में रोडवेज बस से एक लड़की की मृत्यु

*४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत जून मास में कितने व्यक्तियों की मृत्यु गोरखपुर जिले में मोटर से कुचल कर हुई और किन किन स्थानों पर?

गृह मंत्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसेन)—गत जून मास में गोरखपुर जिले में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु मोटर से कुचलकर कैंटूनमेंट थाने के अन्तर्गत मौजा झुंगिया से एक फर्लांग की दूरी पर हुई।

*५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त दुर्घटनाओं के संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे हैं?

श्री इस्तफा हुसैन---उपर्युक्त घटना के संबंध में केवल एक व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को पता है कि इसी जून मास में सिसवा बाजार में कोटवा थाना के अन्दर एक लड़के की शंकर चौबे की मोटर से दब कर मृत्यु हुई थी?

श्री इस्तफा हुसैन---इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर इसका उत्तर मुझे देने की कृपा करेगी?

श्री इस्तफा हुसैन---यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करवायी जा सकती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस मृत्यु की सूचना उन्होंने दी है वह ट्रक से दब कर हुई है अथवा मोटर बस से?

श्री इस्तफा हुसैन---बस से।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो व्यक्ति दब कर मरा उसके आश्रित कौन-कौन लोग हैं और उनके लिये भी भरण-पोषण के निमित्त सरकार ने कोई कार्य-वाही की है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---एक ५ वर्ष की लड़की थी जो दब कर मर गयी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बस से यह मृत्यु हुई है वह सरकारी थी अथवा प्राइवेट?

श्री इस्तफा हुसैन---यह रोडवेज की सरकारी बस है।

श्री मदन पांडेय---मैंने अपने पहले प्रश्न में मृतक के आश्रितों के भरण-पोषण की किसी व्यवस्था के संबंध में पूछा था, उसका उत्तर नहीं मिला?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस ५ वर्ष की लड़की का आश्रित कोई नहीं है, वह स्वयं अपने माता-पिता की आश्रित थी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस नियम के अनुसार मृतक के परिवार वालों को कुछ कम्पेंसेशन दिया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इसका पता नहीं कि रोडवेज की बसेज का कोई इंश्योरेंस होता है या नहीं। हां, जिस ड्राइवर की असावधानी से यह दुर्घटना हुई उस पर मुकदमा अवश्य चल रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस ड्राइवर पर मुकदमा चल रहा है वह नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है अथवा अभी तक वहां बना हुआ है?

श्री इस्तफा हुसैन---इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। केवल यह है कि मुकदमा चल रहा है और मामला विचाराधीन है।

*६---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७-९---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किय गये।]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत, जौनपुर, की इमारत बनवाने की प्रार्थना

*१०--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत (जौनपुर) की इमारत किराये पर है? यदि हां, तो कब से और कितने किराये पर है?

श्री इस्तफा हुसैन--जी हां, राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत, जौनपुर, की एक इमारत किराये पर है। शेष सरकारी है। किराये की इमारत १९४६ से विभाग के पास २०० रुपये मासिक किराये पर है।

*११--श्री रामसमझावन--क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय का भवन बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री इस्तफा हुसैन--जी नहीं।

श्री रामसमझावन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब १९४६ से अब तक किराये की रकम २८,८०० रुपये होती है तो सरकार को अपना निजी भवन बनाने में क्या कठिनाई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जैसे-जैसे पैसा मिलता जा रहा है भवन बनते जा रहे हैं। धन की कमी के कारण नहीं बन सका है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--दीक्षा विद्यालय, केराकत की, इमारत बनाने में अनुमानतः कितना धन लगेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो कोई इंजीनियर ही बता सकेगा।

बस्ती जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

*१२--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में किन किन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सन् १९५७-५८ में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६७ पर।)

जालौन जिले में राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१३--श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में सन् १९५७-५८ में कितने विद्यार्थियों को राजनीतिक पीड़ित होने के आधार पर छात्रवृत्ति दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१० विद्यार्थियों को।

श्री गरीबदास चौधरी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

*१४--श्री सुखलाल (जिला इटावा)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

नार्मल स्कूल नर्वल, जिला कानपुर के हिसाब में कथित गड़बड़ी

*१५--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूल, नर्वल, जिला कानपुर के हिसाब की मई-जून, १९५८ में सरकार द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित हिसाब की गड़बड़ी के परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्याध्यापक का ट्रांसफर जालौन जिले को कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सम्भव है कि ऐसा हुआ हो। प्रधानाध्यापकों के ट्रांसफर होते ही रहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या किसी प्रकार की रिपोर्ट इस संबंध में जिले के इंसपेक्टर के पास पहुंची और उसकी जांच की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। १९५५ में पिछली बार इस संस्था का आडिट ए० जी० ने कराया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी प्रश्नकर्त्ता की सूचना के आधार पर इसकी जांच करावेंगे कि उस समय के तत्कालीन हेडमास्टर के ट्रांसफर का कारण इस गड़बड़ी से संबंधित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य लिखकर दें तो जांच करा ली जायगी।

कानपुर जिले में दहेली ग्रामवासी इंदल सिंह का कथित कत्ल

*१६---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९-५-५८ को ग्राम दहेली उजागर, जिला कानपुर (थाना विधनू) के श्री इंदलसिंह का कत्ल हो गया था किन्तु उस मामले को अभी तक न्यायालय में नहीं भेजा जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तारीख १-६-५८ को ग्राम घरहरा के निकट रिन्ध नदी के किनारे एक लाश पाये जाने की सूचना मिलने पर थाना विधनू में कत्ल का अभियोग कायम किया गया। दहेली ग्राम निवासी छोटा सिंह ने बताया कि वह लाश उसके भाई इंदल सिंह की है। उक्त मामले में अनुसंधान के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

* १७---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मृत व्यक्ति के भाई ने सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात पर जांच हुई कि यह लाश छोटासिंह के भाई की थी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह लाश ४ दिन बाद नदी में घाट के किनारे लगी हुई मिली। पोस्टमार्टम की कार्यवाही में यह पहचानी भी नहीं जा सकी थी कि यह किसकी है। छोटा सिंह ने अवश्य कहा था कि यह इंदलसिंह की लाश है, उसके भाई की।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी को मालूम है कि 'दलसिंह के कत्ल के संबंध में कोई रिपोर्ट थाना विधनू में दाखिल हो चुकी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, यह सूचना थाना विधनू में १-६-५८ को दी गई और उस पर कत्ल का अभियोग दाखिल किया गया। उसकी जांच की गई लेकिन उसका पता नहीं चला। जिस दिन रिपोर्ट की गई उसी दिन वह लाश पाई गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी यह जानकारी हासिल करेंगे कि छोटासिंह ने एक अर्जी जिला अधिकारियों के पास भेजी है जिसमें उसके भाई के कत्ल किये जाने का आरोप है और कत्ल करने वालों के नाम भी दिये हैं और यह भी कहा है कि उसमें वहां के तत्कालीन इंसपेक्टर का हाथ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यह जरूर है कि उस रिपोर्ट की पूरी छानबीन की गई मगर अभियुक्तों का पता नहीं चला। किसी ने यह भी नहीं बतलाया कि उसने इस कत्ल को आंख से देखा है। नेत्र का साक्षी भी कोई नहीं है। कोई संदेह भी विशेष नहीं बताया गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इस बात की जांच सी० आई० डी० के द्वारा कराने की कृपा करेगी कि उस कत्ल में स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कोई हाथ था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आई। माननीय सदस्य कहेंगे तो जांच अवश्य की जावेगी।

*१८---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---[१२ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राजकीय नार्मल दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के अपने ही जिले में काम करने पर आपत्ति

*१९---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन नार्मल राजकीय दीक्षा विद्यालय हैं जहां पर प्रधानाध्यापक उसी जिले के निवासी हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---वांछित सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये अपने ही जिले में क्यों रखे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रधानाध्यापकों का अपने ही जिले में रखना कोई आपत्ति-जनक बात नहीं समझी जाती है। इसलिये कभी-कभी रख भी दिये जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध क्या मन्त्री जी के पास शिकायतें भी आई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ये ७ नाम हैं, मेरे पास कोई शिकायत किसी के विरुद्ध नहीं आई।

प्रतापगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कम्पलेंट्स को प्राप्त शिकायतों के आधार पर दण्ड

*२०--श्री नन्दराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में १९५६ व १९५७ तथा जुलाई, १९५८ तक प्रतापगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट कम्प्लेन्ट्स के पास कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस महकमे की आई हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन--जिला प्रतापगढ़ में सन् १९५६ व १९५७ तथा जुलाई, १९५८ तक प्रतापगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (कम्प्लेन्ट्स) के पास आई शिकायतों की सूची विभागवार संलग्न तालिका में दी हुई है । इन शिकायतों पर छान-बीन की गई और दोषी पाये गये अधिकारी दंडित किये गये ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

श्री नन्दराम--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभागवार अलग-अलग कितने आदमी दोषी पाये गये और उनको क्या-क्या सजायें दी गईं ?

श्री अध्यक्ष--सजाओं का किस्सा बहुत लम्बा होगा, तादाद के बारे में मन्त्री जो बताना चाहें तो बता सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, यह लिस्ट भी लम्बी है । १९५६ में शिकायतों की संख्या ८२ थी, १९५७ में १०७ और १९५८ में ४१ थी । १९५६ में पुलिस विभाग में १ थानेदार और ४ सिपाही दंडित हुए । माल विभाग में शिकायतों की संख्या ३५ थी, जिनमें १४ सही पाई गईं । उनमें ४ लेखपाल, २ अमीन और एक क्लर्क दंडित हुए, एक लेखपाल और एक चपरासी को अदालत से सजा हुई । लेखपाल पर ६० रुपया जुर्माना और चपरासी को छः महीने की सजा हुई । ३ मामले जिलाधीश के पास विचाराधीन हैं ।

कृषि विभाग में एक सुपरवाइज़र को सजा हुई ।

सिंचाई विभाग में एक ओवरसियर को सजा हुई, उसकी वेतन-वृद्धि रोकी गई ।

नियोजन विभाग में एक पंचायत इंसपेक्टर के वेतन में कमी की गयी । २ मामले पंचायत सेक्रेटरीज के जिलाधीश प्रतापगढ़ के सामने विचाराधीन हैं ।

पुलिस विभाग में सन् १९५७ में एक थानेदार डिस्चार्ज हुआ, १३ कांस्टेबुलों को सजायें दी गयीं । किसी का वेतन कम किया गया, किसी की मिस्कंडक्ट की इंट्री की गयी, किसी की इंट्रेग्रिटी रिपोर्ट रोकी गई, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रकार की सजायें दी गयीं । ३ सब-इंसपेक्टर्स और २ हेड कांस्टबुलों के मामले अभी विचाराधीन हैं । १ थानेदार क विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला चल रहा है ।

माल विभाग में ४ लेखपालों और १ क्लर्क को सजा दी गई । नियोजन विभाग में एक पंचायत इंसपेक्टर को सजा दी गई । एक को चेतावनी दी गई ।

सन् १९५८ में २६ शिकायतें आयी थीं, इनमें से ६ सही पायी गयीं । माल विभाग में ६ शिकायतें सही पायी गयीं और उनको सजा दी गयी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन-जिन विभागों में इन कर्मचारियों पर कार्यवाही की गयी, वे किसके द्वारा की गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नियमानुसार जो कार्यवाही कर सकता था, उसके द्वारा की गयीं । मामला पुलिस विभाग का था तो अगर एस० पी० को सजा देने का अधिकार था तो उसने दी और अगर डी० आई० जी० को अधिकार था तो डी० आई० जी० ने दी । जिन लोगों के ऊपर अदालत में मुकदमे चले उनको अदालतों ने सजायें दीं या उनके मामले विचाराधीन हैं ।

बाराबंकी जिले के श्री अवधशरण वर्मा व श्री सियाराम के फरार कातिलों की गिरफ्तारी न हो सकना

*२१--श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अवध शरण वर्मा (लल्ला) भूतपूर्व एम० एल० ए० व श्री सियाराम के कत्ल से सम्बन्धित मुकदमे की इब्तदाई रिपोर्ट के दो अभियुक्त अब तक भागे हैं और पकड़े नहीं जा सके हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और क्या सरकार कृपया उनको पकड़ाने के लिये इनाम आदि देने की घोषणा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--जी हां, भागे हुए अभियुक्तों के नाम लल्लू सिंह व मुन्ना सिंह आत्मज ठाकुर लालता सिंह हैं। उनकी गिरफ्तारी-हेतु ५० रुपया के पृथक्-पृथक् इनामों की भी घोषणा की जा चुकी है एवं उनकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस का प्रयास अब भी जारी है।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि उनका सारा कारोबार बढ़ता जा रहा है, वे अपने स्थान पर ही रहते हैं लेकिन अभी तक कोई कुर्की वगैरह वैधानिक रूप से नहीं की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वे फरार घोषित किये गये हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिये इनाम भी घोषित किया गया है। यदि माननीय सदस्य उनको गिरफ्तार करा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति फरार हुआ, उसके घर पर उसकी संपत्ति है, वह अब तक कुर्क क्यों नहीं की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि क्या कार्यवाही की गई।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी के पास बाराबंकी के किसी विधायक द्वारा इस बात की शिकायत पहुंची है कि वहां की स्थानीय पुलिस का उन फरार अभियुक्तों के साथ कुछ सांठ-गांठ है जिससे उनकी गिरफ्तारी में देर हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे ऐसी किसी शिकायत का स्मरण नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि वे अभियुक्त अपने मकान ही पर निवास करते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने में आंख चुराती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना नहीं है और न कभी इसकी शिकायत की गयी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से ऐसे संगीन जुर्म के जो मुजरिम हैं, उनको पकड़ने के लिये कोई विशेष प्रयास किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं, कानूनन जो प्रयास है वह हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये दो अभियुक्त कितने दिनों से फरार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जब से यह घटना हुई तब से ही फरार हैं।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जो अभियुक्त पकड़े गये हैं उनको न्यायालय से कोई सजा मिली अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५७ के २४ अगस्त को ५६ अभियुक्तों में से २५ को ट्रांसपोर्टेशन आफ लाइफ की सजा हुई, १ को ३ वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया और शेष रिहा हो गय। अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अपील की है।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुए कि फरार मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, क्या सरकार उनको पकड़ने के लिये इनाम की रकम को और बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि इनाम की रकम बढ़ा देने से ही कोई गिरफ्तार करायेगा और जब तक रकम नहीं बढ़ती है गिरफ्तार नहीं करायेगा, ऐसी बात नहीं है, पुलिस चेष्टा कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वे पकड़ लिये जायेंगे।

एटा में तीन महिलाओं का कत्ल

*२२—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा की शहर कोतवाली एटा मुहल्ला बाबूगंज में अगस्त, सन् १९५८ ई० में कितने कत्ल हुये और उनके सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के चालान हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगस्त सन् १९५८ ई० में एटा नगर के मुहल्ला बाबूगंज में ३ व्यक्तियों का कत्ल हुआ और इसके सम्बन्ध में दो व्यक्तियों का चालान किया गया।

श्री भूपकिशोर—क्या ये तीनों व्यक्ति एक ही परिवार के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

श्री भूपकिशोर—जो कत्ल हुए उनमें कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें एक स्त्री है और उसकी दो लड़कियां हैं, तीनों ही महिलायें थीं।

श्री भूपकिशोर—क्या यह स्त्री हामला भी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मदन पांडेय—माननीय मंत्री जी को जो सूचना पुलिस से प्राप्त हुई है उसके आधार पर इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि इन कत्लों का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ कारण ऐसा लगता है कि यह महिला जो थीं, इनके पति क्षय रोग से पीड़ित थे शायद ६ महीने पहले और पति-पत्नी की आयु में भी बड़ा अन्तर था। तो ६ महीने पहले वह स्त्री अपने पति को छोड़ कर चली गयी थी। कहा जाता है कि कुछ दूसरों से उसका अवैध सम्बन्ध था और एक दिन सायंकाल घर से वह महिला और उसकी दोनों बेटियां मरी हुई पायी गयीं। इसकी जांच-पड़ताल हुई और दो आदमियों का चालान किया जा चुका है। अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कत्ल हुए इनके सम्बन्ध में कितने मुलजिमों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई और उनमें से कितने फरार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नामजद रिपोर्ट किन-किन के खिलाफ हुई यह तफसील का सवाल है। दफा ३०२ के अन्तर्गत २ व्यक्तियों का चालान किया जा चका है और वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

बेसिक पुस्तकों को छापने वाले मुद्रणालय

*२३—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ के शैक्षिक वर्ष के लिये बेसिक पुस्तकों को छपाने के लिये किन-किन छापाखानों को सरकार द्वारा आदेश दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन—छापेखानों की सूची* संलग्न है। इसमें प्रकाशक जो मुद्रक नहीं हैं, शामिल नहीं हैं।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बतलायेगी कि जो सूची दी गयी है उसमें कितनी संस्थाओं के पास छापेखाने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिनके पास छापेखाने नहीं हैं, पब्लिशर्स हैं, उनकी सूची नहीं है। जो सूची प्रस्तुत की गयी है वह ऐसी है जिनके पास छापेखाने हैं।

श्री गनेशीलाल चौधरी—इतने छापेखानों को पुस्तकें छापने के लिये दिये जाने पर भी गत जुलाई में बेसिक पुस्तकों का बाजार में अभाव क्यों रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस बार तो ऐसा अभाव नहीं हुआ। बहुत शीघ्र ही बाजार में पुस्तकें आ गयीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बेसिक पुस्तकों की छपाई राजकीय छापेखानों से कराई जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस पर अनेक बार विचार हो चुका है लेकिन अभी तो यही व्यवस्था चल रही है कि प्रकाशकों और मुद्रकों को इन्हें छापने के लिये दिया जाय। उनसे सरकार को रायल्टी मिलती है जिससे सरकार को काफी मुनाफा होता है।

*२४-२५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*२६—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के राजनीतिक पीड़ितों को अब तक जो पेन्शनें दी गई हैं उनकी संख्या तहसीलवार क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन—मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :—

(१) तहसील इटावा	२७
(२) तहसील भर्थना	१९
(३) तहसील विधुना	४१
(४) तहसील औरैया	३३

श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में राजनीतिक पीड़ितों की कितनी दरख्वास्तें दी गयीं और कितनी उसके विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है कि कुल कितनी दरख्वास्तें आईं। जिनको सहायता दी गयी उनकी संख्या १२० है और २९ को एक मुश्त सहायता दी गयी।

---

*सूची छापी नहीं गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो सहायता दी गयी इसमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी रकम कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम से कम २० रुपये और अधिक से अधिक ४५ रुपये इस जिले में ।

*२७—श्री प्रतापसिंह—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बी० एल० जे० इण्टर कालेज, मिर्जापुर, के हिसाब-किताब की जांच-रिपोर्ट की मांग

*२८—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या गृह मंत्री को मालूम है कि B. L. J. Inter College, Mirzapur, के हिसाब-किताब की जांच अप्रैल, ५८ में आडिटर द्वारा की गयी है ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी हां ।

*२९—श्री रामकृष्ण जैसवार—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इस जांच के विवरण को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन—नहीं, क्योंकि इस विवरण पर अभी विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विभागीय कार्यवाही का निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शीघ्र ही हो जायगी । उसकी रिपोर्ट सम्भवतः आ गई है और विचारार्थ है ।

फतेहपुर जिले में विभिन्न अपराध सम्बन्धी घटनायें

*३०—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में १-४-५६ से ३१-३-५७ तक तथा १-४-५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक कितनी डकैती, राहजनी, कत्ल, चोरी व बलवे की वारदातें हुईं ?

श्री इस्तफा हुसैन—उक्त अवधि में फतेहपुर जिले में हुई डकैती, राहजनी, कत्ल, चोरी व बलवे की घटनाओं की संख्या निम्नांकित है :—

अपराध	१-४-५६ से ३१-३-५७ तक	१-४-५७ से ३१-७-५८ तक
डकैती ..	१६	८
राहजनी	५	३
कत्ल	४३	४३
चोरी	३२६	३९०
बलवे	४७	५९

*३१—श्री बलदेवसिंह तथा श्री लक्ष्मीनारायण दुबे (जिला गोंडा)—[४ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३२—श्री गनेशीलाल चौधरी—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३-३४---श्रीमती सत्यवती रावल (जिला बुलन्दशहर)---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६-३७---श्री गोपी कृष्ण आजाद (जिला बांदा)----[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

अजमतगढ़, जिला आजमगढ़, से राजनीतिक पीड़ित का कथित शिकायती पत्र

*३८---श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री को ग्राम अजमतगढ़, जिला आजमगढ़, में राजनीतिक पीड़ित सहायतायें प्रदान करने के सम्बन्ध में गत वर्ष अगस्त में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार शिकायतों का विवरण भी बताने की कृपा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी सूचना देना सम्भव नहीं है जब तक कि प्रश्न में शिकायती-पत्र भेजने वाले का नाम व पता तथा वह किसके पास भेजा गया है स्पष्ट न हो ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि एक माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी----हां, यह तो स्पष्ट है । लेकिन किसने भेजा, कब भेजा यह तो स्पष्ट नहीं है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---मान्यवर, वह प्रश्न मैंने भेजा था और यह दूसरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री महोदय कृपा करके दे दें । क्या सरकार बतायेगी कि पिछले वर्ष अगस्त मास में कुल कितने शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ग्राम अजमतगढ़, जिला आजमगढ़, से राजनीतिक पीड़ित सहायताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे ?

श्री अध्यक्ष----जो जवाब दिया गया है उससे तो सवाल उठता नहीं है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---अध्यक्ष महोदय, अगर एक ही पत्र मिला था एक ग्राम के बारे में एक माह में तो उसमें.....

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं । उन्होंने जवाब दिया कि वह जवाब नहीं दे सकेंगे तब तक जब तक कि आप व्यक्ति का नाम तथा गांव का नाम न बतायें । अब इस जवाब के बाद आप दूसरा सवाल करते हैं कि कितने शिकायती-पत्र आये । तो यह नया सवाल पैदा हो जायगा; इसलिये उनके जवाब से यह सवाल पैदा नहीं होता ।

करोड़ीमल हायर सेकेंडरी स्कूल धामपुर, जिला बिजनौर, में गबन की शिकायत

*३९---श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के धामपुर के करोड़ीमल हायर सेकेन्डरी स्कूल में सरकारी अनुदान के गबन की कोई शिकायत जिला इंस्पेक्टर के पास इस वर्ष या पिछले वर्ष में की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

*४०---श्री इन्दुभूषण गुप्त---यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

शिकायत--श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा

१--प्रबन्धक बाबू रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल द्वारा ८,५०० रुपये का गबन, खेती के लिये शासन द्वारा २,००० रु० अनुदान प्राप्त किया, उसमें ५०० रुपये का तार मंगवाया गया, शेष रकम का कोई हिसाब नहीं है ।

१५,००० रुपया सरकार से मिले उसमें ६,००० रुपये खा गये जिसका हिसाब श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल जी को मालूम है ।

२--हिन्दी की पुस्तकों को ज्यादा संख्या में खरीदा गया जबकि प्रधानाचार्य गर्मी की छुट्टी में अवकाश पर रहे । इस तरह ३३ प्रतिशत व ६६ प्रतिशत कमीशन के हिसाब से २,००० रुपये खा गये । पुस्तकों में अधिक संख्या में नावेल, सस्ते उपन्यासों की भरमार है ।

३--संस्था में पुरस्कार देने हेतु १,००० रुपये की किताबें आईं, झूठा बिल भी बना परन्तु पुस्तकें वितरित नहीं की गईं ।

४--अपने रिश्तेदार जो मुरादाबाद में मा० रामकुमार एण्ड सन्स हैं जो पुस्तक विक्रेता हैं, जो साइंस का एक भी सामान नहीं बेचते हैं, उनके यहां से ४,००० रुपये एडवान्स देकर साइंस के सामान में २,००० रुपये खा गये ।

५--होम टैस्ट की स्कीम चलाई गई और फी विद्यार्थी १ रु० के हिसाब से ३०० रुपये वसूल किया गया ।

६--परीक्षा की छपाई के सम्बन्ध में दीपक प्रेस, बिजनौर, से प्रबन्धक ने २९० रु० का बिल लिया है और उसे १३६ रुपये ९ आने का भुगतान किया । १५० रुपये प्रबन्धक गबन कर गये ।

७--प्रबन्धक को श्री आर० एस० वर्मा, अध्यापक, जिसने कि २१-१-५५ को इस्तीफा दिया उससे १ माह की तनख्वाह वापस कराना चाहिये था, ऐसा उन्होंने नहीं किया । उससे दृढ़ता से इस्तीफा ले लिया और उसका १ माह का वेतन अपने पास रख लिया । इस प्रकार से और भी कई अध्यापकों के मामले हुये हैं ।

८--श्री लक्ष्मीदत्त नाम का एक निम्नकोटि का कर्मचारी स्कूल के लेखा पर है उसका वेतन एक साल तक निकाला गया; इस नाम का कोई चपरासी स्कूल में नहीं रक्खा गया था । प्रबन्धक महोदय ने चपरासी के नाम पर एक साल का वेतन गबन कर लिया । इस प्रकार की अन्य कार्यवाहियां भी हुईं ।

कार्यवाही--श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्री कुलमणि सिंह, प्रशासक, नगरपालिका, धामपुर (बिजनौर) ने प्रबन्धक बाबू रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक को ९-४-५७ एवं २९-५-५७ को एक शिकायती-पत्र गबन के सम्बन्ध में अलग-अलग भेजा है परन्तु दोनों का सारांश एक ही था । इस विषय पर जिला विद्यालय निरीक्षक से आख्या मांगी गई थी । उनकी आख्या आई है कि गबन का मामला सिविल कोर्ट में श्री कुलमणि सिंह द्वारा प्रबन्धक के ऊपर धारा ४०६, ४०८, ४७१ आई० पी० सी० के अन्तर्गत चल रहा है ।

चूंकि मामला कोर्ट के अधीन है अतएव विभागीय कार्यवाही करना उचित नहीं है जब तक कि सिविल कोर्ट से फैसला न हो जाय । श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल जो कि स्कूल के प्रबन्धक थे, जहां तक अनुमान है कि स्कूल से त्याग-पत्र देकर चले गये हैं ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी आख्या कब भेजी और वह उनसे कब मांगी गई, इसकी तिथि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तारीख तो मुझे नहीं मालूम लेकिन आख्या मांगी गई और वह आ भी गई है। अब केस चूंकि अदालत में सबजूडिस है इसलिये फैसला होने से पहले कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

*४१---श्री गरीबदास चौधरी---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३---श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले में पुलिस चौकी कांधी स्थायी करने की प्रार्थना

*४४---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत मौजा कान्धी में पुलिस चौकी कब खोली गई है? क्या सरकार उसको स्थायी करने का इरादा रखती है?

श्री इस्तफा हुसैन---कानपुर जिले में पुलिस चौकी कान्धी ६ फरवरी, १९५८ को अस्थायी रूप से स्थापित की गई। उसको स्थायी बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस थोड़े अवसर में इस चौकी के खुल जाने से जरायम कम हो गये हैं और इसलिये इसको स्थायी करने की जरूरत है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रिपोर्ट आने पर सरकार विचार करेगी कि उसकी वहां स्थायी रूप से आवश्यकता है या नहीं।

श्री भजनलाल---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि पुलिस चौकी कान्धी को वह कब तक स्थायी बनाने जा रहे हैं और यदि नहीं तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस चौकियां यह देखकर स्थापित होती हैं कि उस इलाके में जरायम की स्थिति क्या है। अगर वहां जुर्म बढ़ गये तो वह कायम की गई। अगर अब जरूरत होगी तो स्थायी रूप से कायम की जायगी, नहीं जरूरत होगी तो हटा ली जायगी और फिर जरूरत होगी तो कायम कर दी जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह चौकी जिस स्थान पर कायम की गई है और जिन गांवों में कायम की गई है उनका थानों से दूर का सम्बन्ध है और इसी वजह से वारदातें वहां ज्यादा होती थीं और चौकी होने से वहां कुछ सहूलियतें मिल रही हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अवश्य सहूलियत मिल रही है। न मिलती तो चौकी की इतनी प्रशंसा और आवश्यकता क्यों बतायी जाती? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पुलिस चौकी की मांग हुई। मैं जरूर विचार करूंगा कि जरूर स्थायी कर दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुलिस चौकी को कायम करने की जरूरत बढ़ते हुए जरायम को देखकर हुई या किसी की विशेष मांग पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने सुना भी होगा वह इलाका थाने से बहुतदूर पड़ता था और अरक्षित समझा जाता था और लोगों की मांग थी कि वहां चौकी स्थापित की जाय। अब वहां पर चौकी स्थापित होने के बाद लोगों के हृदय में सुरक्षा की भावना भी आयी है और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग समझते हैं कि उसे स्थायी कर दिया जाय।

श्री जंगबहादुर वर्मा---माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना वहां से दूर पड़ता है इसलिये पुलिस चौकी के ऊपर रिपोर्ट लिखाने की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष—इसी चौकी के बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री जंगबहादुर वर्मा—जी हां ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं जानता नहीं कि वहां क्या व्यवस्था है । अगर किसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी तो चौकी है ही, विचार किया जायगा ।

*४५-४७—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८-४९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०-५१—डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किय गय ।]

ग्राम सभापतियों तथा न्याय पंचों को बन्दूक के लाइसेंस देने के लिए जालौन क्षेत्रीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग

*५२—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास जालौन क्षेत्रीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जिलाधीश उरई के द्वारा इस प्रकार की मांग भेजी है कि ग्राम सभाओं के सभापतियों तथा न्याय पंचायतों के पंचों को बन्दूकों के लाइसेन्स उनके प्रार्थना-पत्र देने पर दे दिये जावें और उन लोगों के चाल-चलन की तस्दीक पुलिस द्वारा न कराई जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*५३—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[४ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ के माण्टेसरी स्कूलों में फीस न माफ होना

*५५—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर के किन-किन मान्टेसरी स्कूलों को सरकार सहायता देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१—लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ ।

२—लाल बाग गर्ल्स नर्सरी स्कूल, लखनऊ ।

*५६—श्री बलवान सिंह (अनुपस्थित)—क्या उन स्कूलों में भी अन्य स्कूलों की तरह प्रारम्भिक क्लासों से छठवीं श्रेणी तक फीस माफी की व्यवस्था की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*५७-५९—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६०—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६१-६२—श्री लक्ष्मीनारायणबंसल (जिला आगरा)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गय ।]

पुलिस के गुप्तचर विभाग में परिगणित एवं पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कमी

*६३--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्दर कितने सब-इंस्पेक्टर, हेड कानिस्टेबिल सी० आई० डी० में हैं ? इन में क्रमशः कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--इस प्रदेश में सी० आई० डी० के अन्तर्गत १०६ सब-इंस्पेक्टर तथा १४६ हेड कांस्टेबिल हैं।

उनमें से २ सब-इंस्पेक्टर परिगणित जाति के हैं। सब-इंस्पेक्टरों में पिछड़े वर्ग तथा हेड कांस्टेबिलों में परिगणित एवं पिछड़े वर्गों का सदस्य कोई नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सी० आई० डी० के हेड कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर्स का चुनाव इस विभाग में होता है उसमें क्या पिछड़े वर्ग की तरफ से या परिगणित जातियों की तरफ से अप्लीकेशन्स नहीं आयी थीं या किसी दूसरे कारण से लोग नहीं लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सी० आई० डी० के लिये अब तक कोई अलग से चुनाव होता नहीं था। उसमें हेड-कांस्टेबिलों में से ५० प्रतिशत लिये जाते हैं और सी० आई० डी० के जो एस० आईज० होते हैं वह भी सिविल पुलिस के केडर से ले लिये जाते हैं।

श्री हरदयाल सिंह--माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सब-इंस्पेक्टर्स के लिये लोग चुने जाते हैं, पी० टी० सी० के लिये, क्या उनमें पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये कोई विशेष ध्यान रखा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--असल में सी० आई० डी० पुलिस का चुनाव कोई जाति-पांत के आधार पर नहीं होता। वह काम ऐसा है कि जो मेरिट के आधार पर होता है और उसमें कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स भी सख्त दी गयी हैं और तदनुकूल उम्मीदवार अगर अच्छे मिल जाते हैं, चाहे वह किसी जाति के हों, तो ले लिये जाते हैं।

बौद्ध तीर्थस्थानों में यात्रियों को सुविधा देने के लिए प्रार्थना

*६४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों में विदेशी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री इस्तफा हुसैन--राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थानों में महात्मा बुद्ध की २५००वीं महापरिनिर्वाण तिथि के अवसर पर बौद्ध तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये ठहरने, चिकित्सा और सड़कों की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था का उपयोग सभी बौद्ध तीर्थ यात्री कर सकते थे। केवल विदेशी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिये अलग से कोई प्रबन्ध नहीं है।

*६५--श्री राजेन्द्र सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि या बौद्ध तीर्थ स्थानों के पुनरुद्धार के लिये केन्द्रीय शासन ने कुछ सहायता देने का वचन दिया है ? यदि हां तो कितनी ?

श्री इस्तफा हुसैन--कुछ स्थानों के पुनरुद्धार के लिये केन्द्रीय शासन ने समारोह के समय सहायता दी थी। परन्तु इस समय और किसी सहायता का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण तिथि के अवसर पर यात्रियों को जो सुविधायें अस्थायी रूप से दी गई थीं उनको स्थायी करने में उन्हें क्या कठिनाई है ?

श्री इस्तफा हुसैन---जो समारोह का अवसर था वह समाप्त हो गया। बाकी जो सहूलियतें थीं वे अब भी जारी हैं। जो यात्री आते हैं उनसे लाभ उठाते हैं और दूसरे प्रकार के जो यात्री आते हैं वे भी उन सब सुविधाओं से लाभ उठाते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी इस निवेदन पर विचार करेंगे कि कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वहां पर जहां बौद्ध यात्री ठहरते हैं उसमें शौचालय और बिजली आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है, तो क्या वहां उसका प्रबन्ध वे करा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो नई मांग है। वास्तव में महापरिनिर्वाण के अवसर पर जो सुविधायें दी गयीं उनमें से ९९ फीसदी तो ऐसी हैं जो स्थायी हैं, जैसे विश्रामालयों का बनाया जाना, जल प्रबन्ध, सड़कों और पुलों का निर्माण। अगर कोई वहां थोड़ा बहुत अस्थायी काम रहा हो, जैसे कई मीलों के बीच में चिकित्सा इत्यादि का प्रबन्ध, तो वह जरूर समाप्त किया गया है, लेकिन जो सुविधायें दी गयी थीं वे अभी तक जारी हैं और सब को मिल रही हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो यात्री वहां आते हैं उनकी रक्षा के लिये उचित प्रबन्ध नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किसी को विपत्ति या संकट का सामना करना पड़ा हो और वह अरक्षित रहा हो ऐसी बात तो सुनने में आयी नहीं। रक्षा की व्यवस्था तो है ही।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बौद्ध पर्व स्थानों के पुनरुद्धार के लिये केन्द्रीय सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ था और क्या राज्य सरकार ने भी कुछ धन खर्च किया था ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसकी सूची इस वक्त नहीं है।

देवरिया जिलान्तर्गत कसया थाना क्षेत्र में चोरियां

*६६---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना कसया, जिला देवरिया क्षेत्र में सन् १९५८ में अब तक कितनी चोरियां हुईं और कितनी रिपोर्टें दर्ज की गई हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---कुल १४ चोरियां हुईं तथा सब की रिपोर्ट दर्ज की गई।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये चोरी की रिपोर्टें दर्ज की गयीं उनमें से कितनों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१३ की जांच की गई, २ का चालान हो चुका है और छः का पता नहीं लगा और पांच में अभी जांच जारी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि चोरियों की रिपोर्ट लिखते समय पुलिस की तरफ से मजबूर किया जाता है कि नामजद रिपोर्ट ही दर्ज करायें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसे तो कोई आदेश नहीं हैं कि पुलिस मजबूर करे, नहीं तो रिपोर्ट न लिखे, लेकिन मैं समझता यह हूं कि वह नामजद इसलिये चाहते होंगे क्योंकि चोरियों की तफतीश में बड़ी दिक्कत रहती है। अगर कोई नामजद न रहे और अगर नामजद कर देते हैं कि फलां पर शुबहा है तो बड़ी आसानी हो जाती है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जितने केस अभी चालान नहीं किये गये उनके बारे में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने कहा, माग्यबर कि २ का चालान हो चुका है, पांच मामलों में जांच जारी है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जो चोरियां हुई हैं उनमें से किसी चोरी का धन भी प्राप्त हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो बड़ी तफसील की बात है । अगर माननीय सदस्य प्रश्न कर देंगे तो मैं पता लगाकर बतला दूंगा ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो १४ चोरियां हुई हैं उनमें से कितनी बैलों की चोरी से सम्बन्धित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कितनी बैलों की चोरी हैं और कितनी गधों की चोरी हैं, इसका पता नहीं है । अगर माननीय सदस्य प्रश्न कर देंगे तो सारी तालिका प्रस्तुत कर दूंगा ।

*६७--श्री नन्दकुमार देववाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[स्थानान्तरित किया गया ।]

*६८-६९--श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिले में बन्दूक के लाइसेंसों की स्वीकृति

*७०--श्री बुलाकी राम वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५८ से अब तक जिला हरदोई में बन्दूक के कितने लाइसेन्सेज स्वीकार किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक २३० अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं ।

*७१--श्री बुलाकी राम वर्मा--उक्त लाइसेन्सेज में से हरिजनों को कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनमें से १० अनुज्ञप्तियां हरिजनों को दी गई हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल दरख्वास्तें कितनी गुजरी थीं और कितनी खारिज हो गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५७१ जिनमें से ३४१ पर विचार हो गया है, २३० विचाराधीन हैं और २४६ अस्वीकार की गईं ?

श्री बुलाकीराम वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें हरिजनों की कितनी दरखास्तें थीं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो जांच नहीं की गई कि दरख्वास्त देने वालों में कितने हरिजन हैं, इसकी अलग से गणना नहीं की गई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लाइसेन्स दिये गये हैं उनमें से ग्राम सुरक्षा समितियों के अधिकारियों को कितने दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो पूछा नहीं गया प्रश्न में वरना इसका पता लगा लेता । लेकिन ग्राम सुरक्षा समितियों के कार्यकर्ताओं को लायसेन्स दिये गये होंगे, क्योंकि सरकार की ओर से आदेश गये हैं कि जहां यह कायम हैं और अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे लोग हैं जो विश्वसनीय हैं तो उदारतापूर्वक उनको लायसेन्स दिये जांय जिससे सहायता प्राप्त हो ।

*७२-७३--श्री जंगबहादुर वर्मा--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७४--श्री उग्रसेन--[१२ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले में नाहरमऊ ग्राम के कब्रिस्तान को कृषि-भूमि में बदलने पर पुलिस गारद की तैनाती

*७५--श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के पास कोई ऐसी शिकायत आई थी कि ग्राम नाहरमऊ, थाना सुजानगंज के एक कब्रिस्तान को कुछ लोग तोड़ कर खेत में मिला रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--थाना सुजानगंज पर इस प्रकार की सूचना आई थी ।

*७६--श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या यह सही है कि उपर्युक्त शिकायत पर वहां गारद तैनात कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गारद का दैनिक खर्च प्रार्थी से दिलवाया जा रहा है ?

श्री इस्तफा हुसैन--घटनास्थल पर गारद तैनात कर दी गई थी, परन्तु यह सत्य नहीं है कि प्रार्थी से कोई खर्च दिलवाया गया ।

*७७--श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कब्रिस्तान को खेत में मिला लेने से रोकने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री इस्तफा हुसैन--झगड़ा फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संग्रह की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और दोनों दलों के लोगों को धारा ११७ भारतीय दंड संग्रह के अन्तर्गत पाबन्द कर दिया गया है, भूमि के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संग्रह की धारा १४५ के अन्तर्गत भूमि कुर्क हो चुकी है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । धारा २९७ भारतीय दंड विधान का मुकदमा भी कायम किया गया है जिसमें अनुसन्धान हो रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थाने में सूचना पहुंचने के कितने दिन बाद गारद तैनात की गई, कितने दिन तक रही और कितने सिपाही उसमें थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि २२ अगस्त, १९५८ को परगनाधीश की आज्ञा लेकर भारतीय दंड संग्रह की धारा १०७/११७ के अनुसार एक दल के ११ और दूसरे के ६ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया । इनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ और बाद में इनसे धारा ११७ के अन्दर एक-एक हजार रुपये की दो-दो जमानतें और एक-एक हजार का मुचलका लिया गया । उसके बाद भारतीय दंड संग्रह की धारा १४५ के अनुसार भूमि भी कुर्क कर ली गयी है । धारा २९७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिये उनके विरुद्ध जिन्होंने कब्रिस्तान आदि को खोदने का काम किया, पुलिस तफ-तीश कर रही है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब्रिस्तान की भूमि कुर्क कर लिये जाने के कारण मुर्दा दफनाने के बारे में जो दिक्कत आ रही है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो पता लगा लेंगे कि क्या कार्यवाही की गयी ।

*७८--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत मधुबन थाने में डकैतियों की रिपोर्ट 'चोरी' में लिखने की शिकायत

*७९- श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५७-५८ में थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ में :

(अ) कितनी डकैतियां हुई ?
(ब) कितने कत्ल हुये ?
(स) कितनी चोरियां हुई ?
(द) कितने मामलों में डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस (कम्पेलन्ट्स) ने जांच की और कितने में चालान किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में आजमगढ़ जिले के थाना मधुबन के अन्तर्गत डकैती अथवा कत्ल की कोई घटना नहीं हुई। चोरी की कुल १२२ घटनाएं हुईं। डी० एस० पी० (सी) ने कुल १७ मामलों की जांच की, डी० एस० पी० (सी) चालान नहीं करते।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायत आयी है कि मधुबन थाने के अन्दर बनपोखरा, गोबरी डीह, रामपुर तिवारी, मलकौली, फतेहपुर, ताल रतोह, बैदा नासिर और उदमापुर गांवों में जो डकैतियां पड़ीं उनकी रपट चोरी में लिखी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका कोई स्मरण मुझे नहीं है। सम्भव है आयी रही हो कोई शिकायत। अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, उन पर उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाने में सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री विष्णुदेव ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि जितनी भी डकैतियां होती ह उनको रपट में चोरियां लिखा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे स्मरण नहीं है कि किस सज्जन ने शिकायत की। लेकिन अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसकी तुरन्त जांच कर ली जाती है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १७ मामलों में डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट (कम्प्लेंट्स) ने जांच की उनमें कितने मामले पुलिस कर्मचारियों से सम्बन्धित थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह पुलिस कर्मचारियों के ही सम्बन्ध में थे। सम्भवतः इसमें १७ मामलों में जांच की गयी। ३ मामले इसमें सही पाये गये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी १२२ चोरियों की तालिका दी है उसमें कितनी पुलिस ने वर्क आउट कर लीं और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनमें ११३ मामलों में अनुसन्धान किया गया। ९ मामलों में जांच नहीं की गयी। अनुसन्धान किये गये मामलों में ४६ चालान हुए और ६७ में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी सुपरिन्टेण्डेन्ट (कम्प्लेंट्स) ने जिन ३ मामलों में दोषी पाया वे कौन से पुलिस अधिकारी थ और उन्हें क्या सजा दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक सब-इन्स्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिल, इनको दुराचरण की प्रविष्टि दी गयी। दूसरे में एक गांव के चौकीदार थे जिनको बरखास्त किया गया। तीसरे के सम्बन्ध में कांस्टेबिल के विरुद्ध धारा ७, पुलिस ऐक्ट के अन्दर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*८०--श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में गोला--अलीगंज सड़क पर बटमारी की शिकायत

*८१--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना गोला से जो सड़क अलीगंज को जाती है उस पर सन् १९५८ ई० के आरम्भ से अब तक कुल कितनी राहजनी हुई और कितने डकैत गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५८ के आरम्भ से अब तक राहजनी की कोई घटना नहीं हुई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, रायबरेली का आय-व्यय

*८२--श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, रायबरेली का कुल वार्षिक आय-व्यय क्या है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७-५८ की सूचना निम्नलिखित है :

आय	२३,३४० रुपया
व्यय	९७,३१४·०५ रुपया
विद्यार्थियों की संख्या	६०७

*८३---श्री रूम सिंह (जिला शाहजंहापुर)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८४-८६--श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गवां, जिला बदायूं में दूकानों की लूट

*८७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं, तहसील गन्नौर में २ सितम्बर, १९५८ को बहुत सी दूकानें लूटी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२ सितम्बर, १९५८ को तो नहीं बल्कि २८ अगस्त, १९५८ को जिला बदायूं, तहसील गन्नौर के गवां नामक गांव में कुछ दूकानों को लूटा गया।

*८८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस घटना में कितना सामान लूटा गया और कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अनुमानतः २,८०० रुपये का सामान लूटा गया तथा २९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

*८९--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

टेहरी-गढ़वाल जिले में स्कूलों के सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों का चुनाव

*९०—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग द्वारा जिला टेहरी-गढ़वाल से एस० डी० आई० के सेलेक्शन के लिये जूनियर हाई स्कूलों के हेडमास्टर बुलाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी सेलेक्शन नहीं हुआ है अतः बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

*९१—श्री सूरतचन्द रमोला—क्या इस एस० डी० आई० सेलेक्शन के लिये राजकीय आदर्श विद्यालयों (माडल-स्कूल्स) क प्रधानाध्यापक भी बुलाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

एटा जिले के ग्राम अर्जुनई के तालाब में नवयुवक का शव मिलना

*९२—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के पुलिस स्टशन अलीगंज व पुलिस स्टेशन जैयरा तथा पुलिस स्टेशन पटियाली की सरहद पर ग्राम अर्जुनई, थाना अलीगंज के नजदीक किसी एक नवयुवक की लाश कत्ल की हुई तारीख ३ सितम्बर, १९५८ ई० से आज तक पड़ी हुई है ? यदि हां, तो इस नवयुवक का नाम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ग्राम अर्जुनई के तालाब में ५ सितम्बर, १९५८ को एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा गया था। पुलिस को सूचना मिलते ही ७ सितम्बर, १९५८ को शव तालाब से निकाला गया। अनुसन्धान से मृतक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका ।

*९३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया ।]

*९५-९६—श्री टीकाराम—[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९७-९९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१००-१०१—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले में कांस्टेबिलों की भर्ती

*१०२—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ में १ मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक कोई चुनाव पुलिस कांस्टेबिलों का हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति चुने गये और उनमें कितने व्यक्ति परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रतापगढ़ जिले में १ मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक कुल ७ व्यक्ति कांस्टेबिल के पद पर भर्ती किये गये जिन में से कोई भी परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग का नहीं है ।

स्कूलों के इन्सपेक्टरों व डिप्टी इन्स्पेक्टरों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*१०३—श्री हरदयाल सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा विभाग परिगणित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ऐसे नहीं हैं ।

*१०४--श्री हरदयाल सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने-कितने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स व डिप्टी इंस्पेक्टर हैं इनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७०-३७१ पर)

घनसाली, जिला टेहरी गढ़वाल में हाई स्कूल खोलने के लिए प्लानिंग कमेटी की कथित सिफारिश

*१०५--श्री सूरत चन्द्र रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल के घनसाली नामक स्थान पर जो हाई स्कूल जिला प्लानिंग कमेटी की सिफारिश पर खुलने वाला था वह अब तक क्यों नहीं खोला गया और अब कितना समय इस स्कूल के खुलने में लग जावेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला टेहरी-गढ़वाल की प्लानिंग कमेटी ने घनसाली नामक स्थान पर हाई स्कूल खोलने की कोई सिफारिश नहीं की है ।

*१०६--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ की कोपागंज टाउन एरिया के भूतपूर्व मृतक चेयरमैन का स्मारक बनाने पर आपत्ति

*१०७--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोपागंज, जिला आजमगढ़ की जनता की ओर से कोई सूचना आई है कि ९ अगस्त, १९५८ को उपर्युक्त टाउन एरिया के भूतपूर्व मृतक चेयरमैन का स्मारक किसी व्यक्ति के दरवाजे पर बनाने का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में आतंक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में एक श्री राम दास की ओर से एक तार प्राप्त हुआ था, पर योजना कार्यान्वित नहीं की गई ।

*१०८--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिकारियों ने तुरन्त आवश्यक सुरक्षा का प्रबन्ध किया जिससे कोई अनहोनी घटनाएं नहीं घटीं ।

बरेली जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१०९--श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में अगस्त सन् १९५८ तक कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को पेन्शन दी गई और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी पेन्शन दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला बरेली में अगस्त सन् १९५८ तक ११८ राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र आये । उनमें से ४० को पेन्शन दी गई । कम से कम २० पचा और ज्यादा से ज्यादा ६०रुपया ेन्शन दी गई ।

*११०--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के थानेदार

*१११--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितन थानदार हैं और उनमें कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रदेश में कुल २,५२० थानेदार हैं, जिनमें से १०० हरिजन और १२२ पिछड़े वर्ग के हैं ।

*११२-११३--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११४-११६--श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११७-११८--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११९--श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

फैजाबाद में खाद्यान्न आन्दोलन कारियों पर लाठी चार्ज

*१२०--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में १७ सितम्बर, १९५८ को कोतवाली के सामने लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा तथा उसमें कितने व्यक्ति आहत हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, खाद्यान्न आन्दोलन के सम्बन्ध में एकत्रित भीड़ ने जब उग्र रूप धारण करके पत्थर व ढेले बरसाने प्रारम्भ किये तथा कोतवाली में घुसने का प्रयास किया, तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें बार व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं ।

*१२१--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १७ सितम्बर, १९५८ को फैजाबाद चौक में भी भीड़ एकत्रित हो गई थी जिसे पुलिस ने तितर-बितर किया? यदि हां, तो वहां तितर-बितर करने का कौन तरीका अख्तियार किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझा कर तितर-बितर किया, किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया ।

प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाने में डकैतियां व कत्ल

*१२२--श्रीमती अमोला देवी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि प्रतापगढ़, थाना सांगीपुर, क्षेत्र अठेहा के अन्तर्गत १९५७ से २२ सितम्बर, १९५८ तक कितनी डकैतियां एवं कत्ल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थाना सांगीपुर में दो डकैती और दो कत्ल हुए ।

इलाहाबाद जिले में राजनीतिक पीड़ितों को कन्या विवाह के लिये सहायता

*१२३--श्री जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ स अब तक इलाहाबाद जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को कन्या के विवाह के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---६१ व्यक्तियों को ३०,१०० रुपये की सहायता दी गई है।

*१२४-१२५---श्री जवाहरलाल---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन बाकी रहना

*१२६---श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन कितने महीनों का बाकी है और उसके कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक महीने का। शीघ्र।

*१२७---श्री रामसुन्दर पांडेय---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१---श्री लक्ष्मी नारायण दुबे तथा श्री बलदेव सिंह---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

२-३---श्री गंगा प्रसाद---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

५-६---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---[३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

७---श्री रामस्वरूप वर्मा---[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

'स्वतंत्र भारत' के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने से पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाये गये हैं। एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री नेकराम जी शर्मा ने उठाया है कि "मैं आपका ध्यान लखनऊ के दैनिक समाचार पत्र 'स्वतन्त्र भारत' दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राक्कलन समिति के सम्बन्ध में मुख पृष्ठ पर समाचार छपा है। उत्तर प्रदेश प्रक्रिया नियमावली के नियम १६५ के अनुसार समिति की सारी कार्यवाही गुप्त रखना चाहिये जब तक कि वह सदन में प्रस्तुत न हो जाय। समाचार पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन समिति के प्रवक्ता के अनुसार प्राक्कलन समिति ८ विभागों के लोक लेखा जोखा का परीक्षण प्रायः समाप्त कर चुकी है और दो विभागों की प्राक्कलन रिपोर्ट छप गई है और जिसका विवरण उक्त समाचार-पत्र में छपा है, वह नियम प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि उक्त रिपोर्ट अभी तक सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मुझे 'स्वतन्त्र भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की जाय।"

इस समय मैं इसका नोटिस ले लेता हूं जिससे समय के विषय में कोई आपत्ति न हो सके कि यह प्रश्न देर से उठाया गया क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके द्वारा यह गुप्त बातें बताई गईं। मुझे इस विषय में थोड़ा सा नेकराम जी शर्मा से जानना पड़ेगा कि वे किस तरह से और कौन-कौन गुप्त बातें हैं जो कि इसमें प्रकाशित हो गयी हैं।

दूसरी बात यह है कि प्राक्कलन समिति के जो चेयरमैन हैं वह भी इस सदन के सदस्य हैं तो उनसे भी इस विषय में मुझे जानकारी पहले हासिल करनी होगी। तब इस विषय में इजाजत दी जा सकती है कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं। चूंकि वह उपस्थित नहीं थे और आज ही आ गये हैं तो उनसे जानकारी प्राप्त करके मैं इस विषय में कल फैसला दूंगा कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं।

८ सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री को दी गयी रिपोर्ट के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया है जिसमें वह कहते हैं कि "गत ८ सितम्बर को विधान सभा में मेरे तथा अन्य सोशलिस्ट सदस्यों के साथ जिस बर्बर ढंग पर विधान सभा के पदाधिकारियों के संकेत पर पुलिस ने बर्बर तथा गैर-कानूनी व्यवहार किया उसे छिपाने के लिए यहां के पुलिस अधिकारियों ने केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, को गलत रिपोर्ट दी जिसे पन्त जी ने राज्य सभा में पढ़ा था, पुलिस अधिकारी की रपट से राज्य सभा में सत्य पर पर्दा पड़ा है।

हमारे विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी ने जिस ढंग पर गलत रपट दी है उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। अतः उपर्युक्त अधिकारी पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं।"

इस विषय में किसी विशष पुलिस अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ पुलिस अधिकारी कहा गया है। यह गोल है। फिर भी इसका स्पष्टीकरण बाद को हो सकता था। लेकिन आज के कार्यक्रम की २३ वीं संख्या पर १२ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट पर विचार का आइटम छपा है। वह रिपोर्ट सदन के सामने पढ़ी जा चुकी है और मैंने जब इस बात की अनुमति दी थी कि वह रिपोर्ट पढ़ी जाय तब वह रिपोर्ट पढ़ी गई थी। उसके ऊपर विचार करने के बारे में सदन को अधिकार था कि वह उसी समय विचार भी कर लेता, लेकिन सदन ने उस समय विचार नहीं किया कि उस सिलसिले में क्या वाकयात हुये हैं। अगर उस पर विचार करने के बाद विशेषाधिकार समिति को मामला भेजा जाता या और कोई बात होती तो यह सदन उस पर विचार कर लेता और उस समय सभी घटनाओं पर प्रकाश पड़ सकता था। तो उस समय समिति के सामने इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि क्या वाक़यात हुये इसका जिक्र आ जाता, लेकिन वह प्रश्न अभी भी सदन के सामने उपस्थित है। तो कुछ घटनाओं पर एक विशेषाधिकार के प्रश्न के उपस्थित होते हुये उन्हीं घटनाओं के आधार पर उनको गलत बताते हुये कोई दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्योंकि एक प्रश्न विचारार्थ सदन के सामने मौजूद है। पहले वाकयात को स्पष्ट करना होगा और तब यह कहा जा सकता है कि कोई रिपोर्ट जो हुई वह सही या गलत हुई। तो एक प्रश्न सामने मौजूद है और जब उस विषय पर कोई निर्णय हो जाय तभी इस विषय पर माननीय सदस्य को कुछ कहने का मौका हो सकता है। लेकिन जिस रूप में उन्होंने प्रस्ताव उपस्थित किया है वह अवैध है और मैं उसको इजाजत नहीं दे रहा हूं। जब वाकयात निश्चित हो जायं तब आवश्यकता के अनुसार आप इसे उठा सकते हैं। साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी प्रस्ताव में नहीं बताया है कि क्या रिपोर्ट पुलिस अधिकारी ने दी और क्या नहीं दी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष—आपको बाद में मौका मिल सकता है।

श्री राजनारायण--मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह एक भिन्न प्रश्न है। इस सदन में जो वाकया हुआ वह तो आयेगा और इस सूची में मेरा नाम भी नहीं है और अभी आयंगर साहब से बनारस में करीब एक घंटे के मेरी बातचीत हुई। किसी अखबार में पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट करके लिखा है और किसी में डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट लिखा है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वह असत्य है। तो उनसे मैंने कहा कि आप इसको पार्लियामेंट में उठाने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष--वह रिपोर्ट तो सदन के सामने नहीं है।

श्री राजनारायण--लेकिन उससे उन्होंने राज्यसभा को मिसलीड किया है।

श्री अध्यक्ष--आप बैठें। इस सदन की जो कार्यवाही है उसकी अगर कोई गलत-बयानी करे केवल तभी यह प्रश्न उठता है। इस कार्यवाही के सम्बन्ध में कि उस दिन क्या-क्या वाकयात हुए और किस प्रकार से सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी। सदन में एक रिपोर्ट सेक्रेटरी, विधान सभा ने उपस्थित की थी आपकी गैर-हाजिरी में। उस सिलसिले में जब कि उनकी एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत है जिसमें दिया है कि क्या-क्या वाकयात हुए उस पर विचार या बहस करते समय दूसरों को यह कहने का अधिकार होगा कि वाकयात ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हुए। जब वाकयात सदन द्वारा निश्चित हो जायं उसके बाद अगर यह प्रतीत हो कि यहां के पुलिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट माननीय पन्त जी को भेजा है वह उनके विरुद्ध है तब आप यह प्रश्न उठा सकते हैं मेरी इजाजत लेकर। अगर मैं उस वक्त उचित समझूं कि यह प्रश्न उठाने लायक है तो इजाजत दे सकता हूं। लेकिन प्रश्न उसी समय उठ सकता है कि जब वाकयात के बारे में सदन को निश्चित मालूमात हो जायं। चूंकि वह सचिव द्वारा प्रश्न उठ ही चुका है इसलिये उसको प्राथमिकता होगी। वह पहले लिया जायगा और उसके सिलसिले में वाकयात की छानबीन होगी और उसके बाद ही आप मेरी इजाजत से प्रश्न उठा सकते हैं यह मेरे कहने का मतलब है।

श्री राजनारायण--मैं एक जानकारी करना चाहता हूं क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूं। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आप स्वत: कोई जांच कर रहे हैं और आप वह जांच कर भी रहे थे, उसी के बीच में पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने मुख्य गृह मंत्री श्री पन्त को अपनी रिपोर्ट दी। तो जब आप जांच कर रहे थे उस बीच में उसने रिपोर्ट दी कि जो इस सचिवालय का कोई अधिकारी नहीं है और उसको उन्होंने राज्य सभा में पढ़ा। और मैंने जेल से आप को एक तार दिया था कि मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट के श्रेष्ठतम जजेज द्वारा इसकी जांच हो और मेरी अनुपस्थिति में जो जांच होगी वह एक-पक्षीय होगी, इस आशय का एक तार मैंने दिया था। उस सम्बन्ध में भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली। इसके अलावा एक सचिव की रिपोर्ट है। तो मेरा निवेदन यह है कि हाईकोर्ट के जजों द्वारा इस मामले की जांच करायी जाय। इस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे इस पर भी कुछ प्रकाश डाल दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--जांच तो इस सम्बन्ध में हुई, जब आप सदन की सेवा से निलंबित होकर ले जाये गये तो आपकी पार्टी के कुछ सदस्य बाद में सदन में आये, जब कि दुबारा सदन बैठा। उन्होंने शिकायत की कि हमारे साथियों पर ज्यादतियां हुई हैं। मैंने कहा कि अगर वे लिखित शिकायत दें तो मैं जांच कर सकता हूं। वैसे इस तरह की जांच करने का कोई तरीका पार्लियामेंटरी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुझसे सदन में जब शिकायत की गयी तो मैंने कहा कि अगर आप लिखित शिकायत देंगे तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं और लिखित शिकायतें आने पर मैंने जांच प्रारम्भ की केवल इस विश्वास के साथ, जैसा कि आमतौर पर अध्यक्ष को यह माना ही जाता है कि वह निष्पक्ष जांच करेगा, इसी सिद्धान्त और भावना को मान कर सदस्यों ने वह प्रार्थना की होगी, ऐसा मैं समझता था। लेकिन जब श्री राजनारायण जी का यह तार आया, जैसा कि उन्होंने स्वयं कबूल किया कि उन्होंने ऐसा तार दिया था मैंने उसको

पहले पढ़ कर नहीं सुनाया था क्योंकि कुछ लोगों ने यह शंका की थी कि कदाचित् वह राजनारायण जी ने न दिया हो। लेकिन आज वह स्वयं कहत हैं कि उन्होंने ही वह तार दिया था। उन्होंने उसको पढ़ कर सुना दिया। मैंने उस समय यह उचित नहीं समझा था कि जिसमें श्री राजनारायण जी पर आक्षेप किया जा सकता है ऐसा तार उनकी गैर-हाजिरी में पढ़ूं। क्योंकि अगर कोई माननीय सदस्य यह कह कि उसको इस आदरणीय सदन की कार्यवाही पर, या उसके अध्यक्ष की कार्यवाही पर विश्वास नहीं है और उसके स्थान पर एक हाईकोर्ट का जज किसी विषय पर जांच करे, तो ऐसा कथन एक विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने का रास्ता हो सकता था। मैं यह नहीं चाहता था कि आपकी गैर-हाजिरी में ऐसी कोई चीज हो, इसलिये मैंने उसको पढ़ कर नहीं सुनाया। आपके ऊपर कोई और लांछन गैर-हाजिरी में न लग जाय इसलिये मैंने उस चीज को गुप्त ही रक्खा। परन्तु यह बात जरूर कह दी कि आपके तार से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जांच में विश्वास नहीं। आपकी स्वयं गैर-हाजिरी की वजह से और दूसरे आप चाहते हैं कि किसी दूसरे जरिये से जांच हो इस कारण मैंने तत्काल यह भी कह दिया था कि मैं इस जांच को खत्म करता हूं। यदि जांच के बारे में श्री राजनारायण जी को विश्वास नहीं है, तो मैं जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि श्री राजनारायण जी की पार्टी के लोगों ने ही मुझसे कहा कि जांच की जाय तभी मैंने उसको प्रारम्भ कर दिया था। लकिन जब उसमें उनका विश्वास मुझ मालूम नहीं पड़ा तो मैंने यही उचित समझा कि उसको समाप्त कर दिया जाय और मैंने कहा कि उसको तब तक फिर से आरम्भ न करूंगा जब तक श्री राजनारायण जी की तरफ स इस विषय में पूरे तौर से विश्वास न दिलाया जाय कि मेरी जांच पर उनको पूर्ण विश्वास है। इस बात का मैंने जिक्र कर दिया था कि जांच मैंने समाप्त कर दी है और अब होने वाली नहीं ह।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि एक रिपोर्ट यहां से भेजी गयी। उसका सम्बन्ध इस सदन के द्वारा भेजी गयी किसी रिपोर्ट से नहीं ह। अगर कन्द्रीय होम मिनिस्टर प्रदेशीय एस० पी० के जरिये से कोई रिपोर्ट मंगवायें किसी घटना की तो उससे इस सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जो वाकयात हुए, उस सम्बन्ध में सेक्रटरी की रिपोर्ट जरूर इस सदन में पेश हो चुकी ह। जो-जो घटनायें उस दिन हुई थीं उनके ऊपर सदन क कई सदस्यों ने कहा था कि सचिव की रिपोर्ट पर उसी समय विचार किया जाय, लकिन मैंने कहा था कि किसी और वक्त विचार किया जाय क्योंकि श्री राजनारायण जी के न होते हुए उनके सम्बन्ध की घटनाओं पर विचार करना मैंने समझा कि उचित न होगा। इसलिये उस वक्त वह बात टल गयी।

जहां तक घटनाओं की सत्यता या असत्यता का सम्बन्ध है, पहले यह स्थिर किया ज यग कि क्या सत्य है। जब वह चीज स्थिर हो जायगी और अगर उसके विपरीत किसी ने कोई बात कही हो तब प्रश्न उठ सकता है, यदि मैं इसको उचित समझूं कि वह इजाजत देने लायक है और यदि उसे मै उचित नहीं समझूंगा तो ऐसा निर्णय दूंगा कि वह प्रश्न उठाया नहीं जा सकता।

तेईसवें नम्बर पर जो यह प्रश्न छापा गया है, उसको पहल ही कार्यक्रम में देना चाहिये था, उसको प्रारम्भ में ही रखना चाहिये था, यह हमारे दफ्तर की ग़लती हुई। जितने भी विशेषाधिकार के प्रश्न होते हैं, जो सदन में आ जाते हैं, उनको प्राथमिकता होनी चाहिये। २२, २३ नम्बर के दोनों प्रश्न सदन में पढ़े जा चुके हैं, इनको पहले और दूसरे नम्बर पर आना चाहिये था। घोषणा के बाद जिस वक्त कार्यक्रम प्रारम्भ होगा उस वक्त इसको प्राथमिकता दी जावेगी और उस सिलसिले में जब कि वाकयात निश्चित सदन द्वार हो जायं तब राजनारायण जी कोई सवाल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। उस समय इस तरह का कोई प्रश्न वे उठाना चाहें तो उसके लिये समय बाधक नहीं होगा, यह मैं कह देना चाहता हूं।

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस,के सम्बन्ध में चार कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास करीब १५ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनमें से चार एक ही प्रकार के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हैं। उसमें श्री राजनारायण जी का यह है :

"गत ८ अक्तूबर को उत्तर प्रदेशीय सरकार की पी० ए० सी० की लौह टोपधारी पुलिस जवानों ने काशी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का ताला तोड़ कर विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा नागरिकों पर निरंकुश ढंग पर लाठी और गोली का प्रहार किया जिससे अनेक व्यक्ति घायल हुए,

विद्या मन्दिर के प्रांगण में बर्बर ढंग पर पुलिस लाठी वर्षा ने प्रत्येक स्वतन्त्रता प्रेमी का हृदय विचलित कर दिया है और चारों ओर क्षुब्ध वातावरण विराजमान है।

अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का है जो इस प्रकार है :

"गत ८ अक्तूबर को ५ बजे सबेरे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रमुख द्वार तथा अन्य छात्रावासों और सड़कों पर उक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा अकारण बिना किसी प्रकार के वैधानिक तथा न्यायोचित कदम उठाये हुए निर्मम लाठी चार्ज के कारण एक दर्जन व्यक्तियों की हड्डियां क्षत हुईं तथा लगभग २५० व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ के निमित्त दवा करानी पड़ी जिससे विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों में असन्तोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो गया है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिए यह सदन कार्य स्थगन करे।"

तीसरा काम रोको प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव का है जो इस प्रकार है :

"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य का प्रमुख विश्वविद्यालय है और जिसमें हमारे राज्य के हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गत ८ अक्तूबर से बन्द ह और ३५ छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है परन्तु राज्य सरकार इस सम्बन्ध में मौन ह, फलस्वरूप प्रदेश की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है। अतः यह सदन इस विषय पर विचार हेतु अपना कार्यस्थगित करता है।"

चौथा कामरोको प्रस्ताव श्री त्रिलोकी सिंह जी का है जो इस प्रकार है :

"मैं आज अध्यक्ष की आज्ञा से विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव, एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ८-१०-१९५८ को ५ बजे प्रातःकाल से इस प्रकार अनधिकार दखल, कि कोई बिना उसकी आज्ञा के न विश्वविद्यालय के अन्दर जा सके और न उससे बाहर निकल सके, पर विचार करने के लिये करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करेंगे।"

ये एक ही प्रकार के कामरोको प्रस्ताव हैं। श्री चन्द्रजीत यादव का कामरोको प्रस्ताव जो विश्वविद्यालय के ३५ छात्रों को निष्कासित करने वगैरह के बारे में है, वह तो भिन्न विषय है, लेकिन तीन प्रस्ताव जो श्री त्रिलोकी सिंह, श्री मदन पांडेय व श्री राजनारायण जी के हैं वे करीब-करीब एक से ही प्रस्ताव हैं जो ८ अक्तूबर की घटना के सम्बन्ध में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, पहले श्री राजनारायण जी बतलावें क्योंकि उक्त यूनिवर्सिटी केन्द्रीय विषय होने के कारण किस तरह स वे समझते हैं कि प्रस्ताव के विषय का सम्बन्ध और इसकी जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार से है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, काशी विश्वविद्यालय, जैसा कि आपने अभी कहा केन्द्रीय विषय में है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों क साथ किस ढंग का व्यवहार करती है वह इस सरकार के अन्तर्गत की चीज है, क्योंकि पी० ए० सी० उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत ही है। वह उत्तर प्रदश सरकार की आज्ञा से वहां गयी और उसने वहां जाकर बिना किसी आवश्यकता के, बिल-कुल अनुचित व निरंकुश ढंग पर लाठी वर्षा शुरू कर दी। तो जहां तक पुलिस द्वारा लाठी वर्षा, बल प्रयोग, नागरिकों व अध्यापकों को पीटने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह विषय केन्द्र से सम्बन्धित नहीं है। शिक्षा कैसी हो, अनुदान कितना दिया जाय, ढांचा कैसा हो, ये बातें केन्द्र से सम्बन्धित हैं, लेकिन पुलिस धड़ाधड़ विद्यार्थियों को पीटने लगे, यह चीज प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत आती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विचार होना नितान्त आवश्यक है और अगर देखा जाय तो यह चीज प्रान्तीय सरकार की परिधि के बाहर की नहीं हो सकती। आपको यह भी मालूम होगा कि यह घटना ८ तारीख को...

श्री अध्यक्ष--आप ब्यौरे में न जाइये। प्रश्न केवल इतना ही है कि यह मसला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है या प्रदेशीय सरकार से ?

श्री राजनारायण---जहां तक पुलिस की बर्बरता, स्वेच्छाचारिता व जंगलीपन का सम्बन्ध है यह प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रान्तीय सरकार इस पर विचार करेगी। माननीय गृह मंत्री ५-६ तारीख को वहां विराजमान थे।

श्री अध्यक्ष---यह आखिरी बात दूसरी है। अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी बतलायें कि वे कसे समझते हैं कि उनके प्रस्ताव का विषय प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित हैं ?

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैंने जो आज्ञा हासिल करनी चाही है वह केवल इस बात से सम्बन्धित है कि पुलिस ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जाकर ८ अक्तूबर, १९५८ को सुबह ५ बजे से यह नियंत्रण लगाया कि कोई बिना उसकी आज्ञा के न अन्दर जा सकता है, और न उस अहाते से बाहर जा सकता है। इसमें लाठी का कोई जिक्र नहीं है। मेरे पास, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कम्युनिके है, मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं:---

"The entry was affected and the police took charge of the vulnerable points in the campus."

वलनरेबिल प्वाइंट्स' बिलकुल जैसे जंग की कैफियत थी और वहां पर जा कर उन्होंने कब्जा किया और १४४ दफा उस दिन वहां पर लगाई गयी। उसके अन्तर्गत यह रुकावट डाली गयी कि वहां कि कोई हथियार लेकर न चले, कोई जुलूस न निकले, कोई सभा न की जाय। लेकिन यनिवर्सिटी के अन्दर जाने से रोकने का कोई अधिकार कानून के अन्तर्गत पुलिस को नहीं था। १४४ के मातहत वह रुकावट लगाई जा सकती ह, बहुत वसीय अधिकार है, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसकी प्रतिलिपि मरे पास मौजूद है, इस प्रकार की कोई रुकावट उसमें नहीं थी। रुकावट लगाने का जो नतीजा निकला वह मैं बाद में बतलाऊंगा। वहां लोग भूखे मर गये। यह अखबारों में भी छपा। उसकी तरदीद आज तक सरकार की तरफ से किसी अधिकारी ने नहीं की। मेरी तो थोड़ी-सी बात है। खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह बात अपने कम्युनिके में कही है:--

"Further the Council also requested the District Magistrate for the help in restoring order in the University area."

एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि "आप आइये।" वहां जाकर उन्होंने कुछ तो वैध कार्यवाही की और ला ऐंड आर्डर, शान्ति स्थापना हेतु दफा १४४ के अन्तर्गत लाठी वगैरह चलाई, जिसे खुद वे कई मौकों पर स्वीकार करते ह। लकिन अन्दर जान पर रोक लगाने के लिये उनके पास कौन-सा अधिकार है यह मुझे नहीं मालूम और न इसम

[श्री त्रिलोकी सिंह]

एक्जिक्यूटिव कौंसिल की तरफ से ही कोई आर्डर है। जो रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया है पुलिस की मदद काल करने का भी उसमें जिक्र है। यह कहीं नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर आना या जाना पुलिस रेग्यूलेट करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह...

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं कि यह केवल प्रान्तीय सरकार का कार्य है...

श्री त्रिलोकीसिंह---केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से नहीं है। अनधिकार है और इस प्रकार का जिक्र किया जिसके बारे में एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने नहीं कहा कि वलनरेबिल प्वाइंट्स पर आकर कब्जा कीजिये। इसलिये मैं समझता हूं कि आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मुझे श्रीमन्, इतना ही निवेदन करना है कि १४४ दफा लगाने की बात जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की विज्ञप्ति में कही गई है उसका वाजिब प्रख्यापन नहीं हुआ। १०,००० स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अन्दर रहते हैं, बीसों हजार आदमी रोज बाहर से अन्दर आते-जाते हैं लेकिन उसका कोई पब्लिक ऐनाउन्समेंट न ७ तारीख की रात को किया गया और न ८ तारीख के सुबह ५ बजे जब सोते हुए विद्यार्थियों पर हमला किया गया, उस वक्त किया गया। इसलिये विद्यार्थियों पर हमला करके जो पुलिस ने अनधिकार चेष्टा की है यह विषय प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत आता है और विधान के अनुसार जो हमें हक हासिल है उसमें भी हस्तक्षेप हुआ है। इसलिये इस पर विचार होना नितांत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---माननीय चन्द्रजीत यादव जी, आपका जो प्रस्ताव है वह किस तरह से प्रदेशीय विषय में आता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, मेरे प्रस्ताव का सम्बन्ध राज्य सरकार से इस प्रकार है कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश में है और प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसमें राज्य के कई हजार छात्र विद्या प्राप्त करते हैं। आज करीब डेढ़ माह से विश्वविद्यालय बन्द है और ७,००० विद्यार्थियों ने दस्तखत करके कि हमारा विश्वविद्यालय इतने दिनों से बन्द है, शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसकी कापी माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त के पास भेजी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के पास भेजी और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के पास भेजी कि आप इसमें हस्तक्षेप करें ताकि विश्वविद्यालय खुले और हम शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया। यह देखते हुए कि हमारे प्रदेश के हजारों छात्र शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हमारे राज्यपाल महोदय का भी स्वयं इस विश्वविद्यालय से सम्बन्ध है, इसलिये भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे। राज्यपाल स्वयं जिस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हों और प्रदेश के छात्र हजारों की तादाद में शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं और ऊपर से ३५ छात्र निष्कासित कर दिये गये। जहां विश्वविद्यालय के अन्दर हस्तक्षेप करने का प्रश्न आता है राज्य सरकार पी० ए० सी० भेजती है, सोते हुए विद्यार्थियों पर लाठी चलवाती है, तब तो जिम्मदारी हो जाती है राज्य सरकार की। लेकिन जब हजारों छात्र शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में भी सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी प्रार्थना है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें ताकि हम विचार कर सकें। हजारों छात्र शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं इस समय प्रदेश में जिससे असंतोष है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष---माननीय चन्द्रजीत यादव जी के प्रस्ताव का तो विषय स्पष्ट ही है कि उससे केवल सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है कि, वह विश्वविद्यालय बन्द करे या खोले। इसी बात में उनको आक्षेप है और वह चाहते हैं, कि प्रदेशीय सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और केन्द्रीय सरकार को

बाध्य करे कि वह विश्वविद्यालय खोले या वह इस ओर कदम उठाये। तो व थोड़ी सी उल्टी गंगा सी बहाना चाहते हैं। विधान के हिसाब से प्रदेशीय सरकार किसी विषय में जिसके ऊपर केवल अधिकार केन्द्रीय सरकार का हो, उसमें उसका कर्त्तव्य यह नहीं रहता कि केन्द्रीय शासन को बाध्य करने के लिये कोशिश करे, और जो सुझाव देने की बात है वह तो हर एक व्यक्ति सुझाव दे सकता है, देता है। सरकारें भी देती हैं। ऐसे सुझाव दुनिया के सामने नहीं आते, बल्कि वह गोपनीय रहते हैं। इस कारण कामरोको प्रस्ताव का विषय वह हो नहीं सकता जिसमें सरकार का कोई अपने कर्त्तव्य में ओमीशन नहीं है न कोई बदमीश है। प्रान्तीय सरकार का जो कर्त्तव्य था उसको उसने नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं किया यह भी नहीं है। इसलिये मैं उनके प्रस्ताव को तो बिलकुल ही अबध करार देता हूं और इसके सुनन के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी या अन्य मंत्री जो भी इस विषय के चार्ज में हों वह, जो विषय उठाये गये हैं सर्वश्री राजनारायण, त्रिलोकी सिंह और मदन पांडेय के द्वारा, एक तो लाठी चार्ज के सम्बन्ध में और दूसरा श्री त्रिलोकी सिंह ने उस यूनिवर्सिटी में दाखिला बन्द करने के सम्बन्ध में जो रुकावट ८ तारीख को डाली गई उस सम्बन्ध में जो बहस उन्होंने की, उसके विषय में सम्बन्धित मंत्री जी प्रकाश डालें कि वह इन प्रस्तावों को वैध समझते हैं या अवैध और इसका सम्बन्ध वह बतायें कि क्या केवल केन्द्रीय सरकार से है, और इस सरकार से है या नहीं, इन सब प्रश्नों पर वह अपनी बात कहें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं समझता हूं कि इससे प्रादेशिक सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, न कोई उसकी जिम्मेदारी है और न इस विषय पर इस सदन में विचार होना चाहिये। यह बात सही है कि ८ अक्तूबर को प्रादेशिक सरकार की पुलिस ने विश्वविद्यालय में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये प्रवेश किया। पर यह घटना हुई तब, जब कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने और वाइस चांसलर ने प्रादेशिक सरकार से यह अनुरोध किया और अपने प्रस्ताव में यह निश्चय भी किया कि यहां की शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में और उसे बनाये रखने में अब हम समर्थ नहीं हैं और उसकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय अधिकारी लें। विश्वविद्यालय में कई मास पूर्व से छात्रों का आन्दोलन चल रहा था, उनकी मांग थी कि वाइसचांसलर को हटाया जाय.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में ब्योर में जान की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त प्रश्न यह है कि क्या इसका कोई सम्बन्ध प्रादेशिक सरकार से आता है---प्रस्ताव की वैधता के विषय में चर्चा करते हुए वह बतावें कि उन्हें कोई आज्ञा केन्द्रीय सरकार से मिली या एजिक्यूटिव कमेटी के कहने पर यह कार्य हुआ या प्रदेशीय सरकार या पुलिस ने केवल अपनी जिम्मेदारी पर यह कार्य किया, आदि बातें वह बतायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यही मैं निवेदन कर रहा था कि वहां आन्दोलन तो कई मास पर्व से चल रहा था, लेकिन हमारी पुलिस ने कभी वहां जाकर अपने से कोई हस्तक्षेप नहीं किया यद्यपि अनेक बार वैसी शिकायतें आईं कि किसी को गेट के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, किसी को कैद कर रखा है, किस की मोटर पर कब्जा कर लिया है। आदि अनेक शिकायतें आईं---लेकिन प्रादेशिक सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और कोई कार्य विश्वविद्यालय के कैम्पस में नहीं हुआ, क्योंकि कोई मांग नहीं की गई थी। परन्तु जब यूनिवर्सिटी बन्द हुई और बन्द करते हुये एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने मांग की कि यहां की शान्ति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारी लें क्योंकि हम अब ऐसा नहीं कर सकते, तब ऐसी परिस्थिति आई कि जिसकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं था और उनके इस प्रस्ताव और मांग पर हमारी पुलिस को वहां जाना पड़ा। ७ तारीख की शाम को जो घटनायें हुईं उन्होंने परिस्थिति को और गूढ़ कर दिया क्योंकि वहां उस दिन एक जुलूस निकाला गया और तमाम गेट्स यूनिवर्सिटी के बन्द कर दिये गये....

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि हमारे सम्मुख प्रश्न इस समय केवल इतना है कि इससे प्रादेशिक सरकार का सम्बन्ध है या नहीं, घटना के विवरण से इसका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह केवल इतने ही पर बोलें वरना सबको पूरी घटना पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है, आप उतने पर ही प्रकाश डालें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं, श्रीमन्, बता रहा था कि पुलिस किस कारण वहां पहुंची.....

श्री अध्यक्ष---इस समय पुलिस के जाने की आवश्यकता या परिस्थिति का जस्टिफिकशन देने का समय नहीं है, आप यह केवल बता दें कि पुलिस किसके कहने से विश्वविद्यालय में गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनकी मांग करने पर ही पुलिस गई, इससे हमारा कोई सम्बन्ध या जिम्मेदारी नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---एक बात पूंछना चाहता हूं कि जब प्रान्तीय सरकार की पी० ए० सी० है और वह उस विश्वविद्यालय के अन्दर गयी है तो उसका सरकार से सम्बन्ध क्यों नहीं है इसका सरकार की ओर से कोई विश्लेषण नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---और किसी माननीय सदस्य को कुछ इस विषय में कहना है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, एक निवेदन करना है। इतनी ही मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें यह था कि ८ तारीख के बाद यूनिवर्सिटी बन्द कर दी जाय। उसके बाद जो भी कार्यवाही हुई और पुलिस ने जो कुछ जुल्म किये उसकी सूचना मंत्री जी को है। वह भले ही बनारस न गये हों, इसकी उनको जानकारी थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं पुलिस मंत्री जी से इस विषय में कि वह प्रस्ताव कार्यकारिणी का क्या रहा और उसके किस आदेश से पुलिस का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। इस विषय में आपके पास अगर प्रस्ताव हो तो मेरे पास भेज दें। मैं समझता हूं कि बहुत महत्व का प्रश्न है और यह प्रश्न लोक सभा में भी उठा है कई दफा। कभी कभी कोई विश्वविद्यालय जो कि प्रदेशीय सरकार से संबंध रखने वाला है उसके सम्बन्ध में भी लोक सभा में लोग प्रश्न उठा देते हैं और केन्द्रीय तथा प्रदेशीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हुए भी यह स्पष्ट नहीं प्रतीत होता कि किन विषयों में केवल वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और कहां पर उस विश्वविद्यालय का क्षेत्र प्रदेशीय हो जाता है। यह बड़ा बारीकी का प्रश्न होने के कारण इस विषय में थोड़ी सी छान-बीन करने की मैं आवश्यकता समझता हूं; क्योंकि केन्द्रीय लोक सभा में भी प्रश्न उठाया जा चुका है और उस पर वहां भी काफी बहस हो चुकी है। इस बात का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना होगा कि इन प्रस्तावों के विषयों पर वहां कोई चीज बहस में लायी गयी या नहीं और लाई गयी हो तो क्या लाठी चार्ज हुआ, और घटनाएं हुईं उन सब चीजों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ली या नहीं ली, या उन्होंने यह कह दिया कि प्रदेशीय सरकार उसकी जिम्मेदार है या यह विषय उससे सम्बन्धित है। यदि केन्द्रीय सरकार ने इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि फिर तो प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी यह हो जाती है और इस सदन को अधिकार हो सकता है कि वह उसके ऊपर विचार करे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में जो जो कार्यवाहियां हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी, ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने की भी यदि केन्द्रीय शासन की है और उसकी आज्ञा से या केन्द्र से शासित यूनिवर्सिटी की आज्ञा से हुई हैं और उनकी जिम्मेदारी वह लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन को उस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

तो मैं इस प्रकार का यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी प्रस्ताव भी देखना चाहता हूं और जो बहस कुछ दिन पूर्व लोक सभा में हुई उसका भी मैं एक दफा इस नजर से अध्ययन करना चाहता हूं। मैं इन सब बातों को देख कर कल फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण---मैं एक निवेदन इस सम्बन्ध में कर देना चाहता हूं कि जरा हम लोगों की नजर से भी देखने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष---मेरी नजर तो सबकी नजर है।

श्री राजनारायण---इस बात की भी जानकारी आप करा रखें कि पी० ए० सी० सीतापुर और कानपुर से जो बनारस गयी तो किस तारीख को गयी है और वहां पर जो जुल्म किये.....

श्री अध्यक्ष---जिस विषय पर आपने आपत्ति की उसी को आप स्वयं कर रहे हैं। अग कोई जानकारी आपको देनी है.....

श्री राजनारायण---बनारस में शायद ५ या ६ तारीख को पी० ए० सी० के जवान एकत्रित हुए।

श्री अध्यक्ष---मेरे कमरे में आप जानकारी दीजिये। आप वही काम कर रहे हैं जिस पर अन्य सदस्य के कार्य पर आपको आक्षेप था।

श्री त्रिलोकी सिंह---अगर आज्ञा हो तो एग्जिक्यूटिव कौंसिल की कापी और आर्डर.....

श्री अध्यक्ष---वह मैं आपसे ले लूंगा। अभी सदन की कार्यवाही होनी है और मुझे लोक सभा की बहस भी पढ़नी है। उसके बाद मैं फैसला दूंगा।

श्री उग्रसेन---सी० आई० डी० ने भी कुछ रिपोर्ट दी है, उसको भी मंगा कर देख लें।

राजनीतिक पार्टियों के सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री मोतीलाल अवस्थी जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "सरकार की जनहित विरोधी-खाद्य नीति से परेशान होकर प्रदेश के विरोधी राजनैतिक पार्टियों ने गत सितम्बर में प्रान्त व्यापी आन्दोलन तथा सत्याग्रह आरम्भ किया था, शान्तिपूर्ण आन्दोलन का वैधानिक अधिकार प्राप्त रहने के बावजूद भी प्रदेशीय सरकार ने आन्दोलन को कुचलने का कुप्रयास किया, फलस्वरूप अनेकों अवैधानिक ढंग पर गिरफ्तारियां हुईं, घरों पर बैठे हुए दफ्तरों में काम करते हुए राजनीतिक कार्यकर्त्ता पकड़े गये, अनावश्यक ढंग पर मनगढ़न्त दफाएं लगाई गईं," इत्यादि-इत्यादि। मैं इसको पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि बहुत लम्बा है। गिरफ्तारियों के विषय ही पर जब गिरफ्तारियां हुई थीं उसके पश्चात् कामरोको प्रस्ताव आये थे और उसके बाद कुछ लोग प्रोटेस्ट में बाहर चले गये थे। और बहुत सी घटनायें हुई। उसके बाद भी आदरणीय सदन बैठा रहा। अगर कोई इस विषय में कामरोको प्रस्ताव उठाने की आवश्यकता थी तो वह तत्काल उठाया जाता लेकिन उस वक्त नहीं उठाया गया, माननीय सदस्य ने सदन से बाहर रहना उचित समझा। इसलिये अनावश्यकता के आधार पर मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक मिनट दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस सम्बन्ध में जो यातनाएं हैं उनको सहते हुये लोग आज भी मौजूद हैं और मैंने स्वयं जेल की यातनाओं को सहते हुए मुख्य मंत्री को एक तार भेजा था और यह चाहा था कि न्यायबद्ध होकर काम किया जाय लेकिन मेरे पास उस तार का कोई उत्तर नहीं गया और न ही उसकी प्राप्ति की सूचना हो गयी।

श्री अध्यक्ष—तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके जो पूछना चाहें पूंछ लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी प्रार्थना यह थी कि यह विषय तत्कालीन है, आवश्यक है और सरकार से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है।

राधेलाल इन्टर कालेज,कछला, के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव है श्री टीकाराम जी का कि "राधेलाल इन्टर कालेज कछला, जिला बदायूं" इत्यादि। यह कालेज सरकारी है या प्राइवेट।

एक सदस्य—गवर्नमेंट एडेड है।

श्री अध्यक्ष—यह भी मैं पढ़ना उचित नहीं समझता। किसी प्राइवेट कालेज के आन्तरिक मामलों के सम्बन्ध में कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। उस सम्बन्ध में सिर्फ जानकारी हासिल करने का अधिकार माननीय सदस्य को है। तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं।

मंत्रि-परिषद् के कुछ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव माननीय झारखंडे राय जी का है—"उत्तर प्रदेश के मन्त्रि परिषद् के ९ सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है। उनका आरोप है कि उन्हें मुख्य मंत्री ने जनवादी अधिकार से (कांग्रेस संगठन के भीतर विचार स्वातंत्र्य से) वंचित कर दिया था। जिसके विरोध-स्वरूप उन्होंने त्याग-पत्र दिया है। प्रशासन के प्रमुख होने के नाते मुख्य मंत्री इस रुख से जनवाद एवं जनवादी अधिकारों को एक खतरा (डेन्जर आफ डेमोक्रेसी) उत्पन्न हो गया है। प्रदेश में इससे एक दुश्चिन्ता व्याप्त है।

इस पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के किसी सदस्य को यह अधिकार मैं नहीं दे सकता हूं कि वह किसी दूसरी पार्टी के आन्तरिक मामलों में मदाखलत करे। यह अवैध है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। नहीं तो कल के रोज यह होगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो कि बहुमत में हैं वे भी अन्य पार्टियों के आन्तरिक विषयों में मदाखलत कर सकेंगे। इससे मैं समझता हूं, खतरा अल्पमत वालों को ही ज्यादा रहेगा।

बहराइच म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों को नौकरी से अलग करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री भीखालाल जी का है—

"बहराइच म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों को उनके समय से वेतन न मिलने व दवा-दारू का उचित प्रबन्ध न करने की शिकायत करने के प्रयास में गत अक्तूबर मास में अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उनको अवैधानिक रूप से नौकरी से निकाल दिया गया और मुकदमे चला कर सजाय भी दिलवाई गईं। उन लोगों को अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। इसके फलस्वरूप जिले व शहर की जनता में काफी क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। अतः सदन इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

एक स्थानीय संस्था से संबंधित यह प्रश्न है इसलिये मैं समझता हूं कि यह विषय भी इस आदरणीय सदन में बहस के योग्य नहीं है। उक्त संस्था ने जो कुछ किया, उसके आन्तरिक शासकीय मामलों पर यहां विवाद नहीं हो सकता।

जलालपुर, जिला बाराबंकी में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय जंगबहादुर वर्मा का एक कामरोको प्रस्ताव है—"जिला बाराबंकी, ग्राम जलालपुर की डकैती की जांच के सम्बन्ध में १७ नवम्बर, सन् १९५८ को थाना मेलसर की पुलिस ने पुराने जमींदार गुण्डों की सांठ-गांठ से कई व्यक्तियों को पीटा और सीताराम, निवासी जलालपुर को इस प्रकार पीटा कि वह जान से मर गया, इसके पूर्व ऐसी एक घटना सितम्बर मास में हुई जिसमें भी पुलिस ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया और बाद में ट्रक के नीचे मरा हुआ बताया, इसके अतिरिक्त उक्त सीताराम के परिवार के ३ व्यक्तियों को गलत तरीके से जेल में भेज दिया है। इस घटना व गुन्डों, जमींदारों व पुलिस के सांठ-गांठ के कारण जिले की जनता का जीवन असुरक्षित है और आंतक का वातावरण व्याप्त है तथा सरकार की लापरवाही के कारण परिस्थिति विषम हो गई है।

अतः इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह केवल आक्षेप दिखायी देता है और इसमें कई प्रकार की चीजें हैं जैसे 'सांठ-गांठ पुलिस की, जमींदारों की और गुण्डों की भी है' और कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि सरकार से कोई चाराजोई की गयी है। यह केवल स्थानीय मामला है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष—इसकी चाराजोई आप को स्थानीय शासन से करनी थी।

श्री जंगबहादुर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी लोग जानते हैं कि बाराबंकी में कितने जुर्म होते हैं। इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जिस समय आप प्रश्न करेंगे उस समय आप ये बातें पूछिये। जब आप प्रश्न करेंगे और किसी उत्तर पर असन्तुष्ट हों तो आप आध घंटे की बहस मांग लीजिये। यह काम-रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है।

खाद्यान्नों की महंगाई कम न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव सर्वश्री पब्बरराम और रघुबीरराम जी का इस प्रकार है कि :—

"राज्य सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद खाद्यानों का भाव एवं मंहगाई कम नहीं हो रही है। यह सरकार की नितान्त असफलता है। इससे प्रान्त-व्यापक असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है"।

इस विषय पर विचार के लिए एक कमेटी बन चुकी है सब पार्टियों को मिलकर...

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या वह समिति जीवित है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसका उत्तर मुख्य मन्त्री और विरोधी दल के नेता दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक वह समिति खत्म नहीं हुई है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की रह गयी हो। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति मुकर्रर कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि इस विषय के ऊपर कई दफा बहस हो चुकी है, उसी के परिणामस्वरूप यह कमेटी बनायी गयी है। ऐसी अवस्था में इसको काम रोको प्रस्ताव का विषय मैं नहीं समझता हूं और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह समिति जीवित है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, वह कमेटी बड़े जोरों से जिन्दा है। उसकी ३/४ मीटिंग भी हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई। उसकी अगली बैठक ४ तारीख को होने वाली है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--जहां तक कमेटी के मौजूद होने का मतलब है वह मौजूद है, उसका काम चलता है और जहां तक मुझे मालूम है कि इस सदन के समाजवादी दल के नेता को इसमें शरीक होने के लिए दावत दी गयी है।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्टीकरण करने का मौका दें। यह सही है कि सम्पूर्णानन्द जी का एक पत्र मुझे वाराणसी में विलम्ब से प्राप्त हुआ। १३ तारीख का वह पत्र है, १५ तारीख को बैठक थी और मैं जब बाहर से दौरे से आया तो १९/२० तारीख को वह चिट्ठी देखने में आयी। इसमें उन्होंने यह लिखा है कि उनका ऐसा खयाल था कि जिस समिति का काम केवल परामर्श देना मात्र ही हो उसमें आपकी पार्टी सहयोग नहीं करेगी। यह शब्द लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि मुझे कुछ मित्रों द्वारा ऐसा मालूम हुआ है कि आप सहयोग दे सकते हैं। इसका उत्तर हमने लिख दिया है वह यथासमय पहुंचा होगा। लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह सर्वदलीय समिति नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी भी एक दल है। जब लखनऊ में मीटिंग हुई थी उस समय क्या हुआ? यह सही है कि इसे एक सरकारी कमेटी कहिये या सम्पूर्णानन्द कमेटी कहिये, लेकिन सर्वदलीय समिति इसको नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शुरू शुरू में उन्होंने साफ कहा था कि 'सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन विद्ड्रा नहीं किया इसलिए नहीं बुला रहे हैं'। इसको सर्वदलीय समिति क्यों कहा गया है ? . . .

श्री अध्यक्ष---मुझसे आप बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री राजनारायण---मैं मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक दल है, इसलिए सर्वदलीय समिति का नाम प्रयोग नहीं होना चाहिए। उससे जनता में भ्रम होता है।

दूसरे मैं यह निवेदन कर रहा हूं, चूंकि आपने भी आज्ञा दी कि एक समिति बनी है। ठीक है, समिति होगी लेकिन धान की फसल जहां होती है आजसे डेढ़ दो महीने पहले, १६, १८, २० रुपये मन उसका दाम था और आज धान की बिक्री ८-१० रुपये मन में हो रही है। अगर इस पर विचार नहीं होता तो इधर जो धान खरीदा जा रहा है उसमें करोड़ों रुपये का किसानों का गल्ला घाटे में जायगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि किसी समिति के विचारार्थ आप किसी प्रश्न को न छोड़ें। इस सदन में विचार करें और तत्काल विचार करें ताकि गरीब किसानों को नुकसान न हो।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न दूसरा है---"राज्य सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद खाद्यान्न का भाव एवं मंहगाई कम नहीं हो रही है" यह प्रस्ताव में है और आप कह रहे हैं कि सस्ता हो रहा है, इसकी शिकायत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---वह हमारा प्रस्ताव तो है नहीं। पता नहीं किसने लिखा है।

श्री अध्यक्ष---इसको तो अवैध किया गया है। आप जब गल्ला सस्ता होने के विषय पर कोई प्रस्ताव लायेंगे तो उस समय विचार उस बात पर किया जायगा।

श्री राजनारायण---किसानों के घर में जब गल्ला होता है तब सस्ता और आढ़तियों के घर में जब जाता है तो मंहगा हो जाता है। मुख्य बात तो यह है।

श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)---यह कामरोको प्रस्ताव मेरा है जिस पर यहां विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। चूंकि मैं प्रस्ताव लाया हूं इसलिए कृपा कर मेरी बात थोड़ी सी सुन लें।

आज तमाम कोशिशों के बावजूद सत्याग्रह हुआ। बावजूद इसके कि कमेटी बनी, और सरकार ने प्रयास किया, उसकी कई बैठकें हुयीं, लेकिन खाद्यान्न उसी तरह अपनी जगह पर मंहगा पड़ा है। दो एक चीजों के सस्ता होने से खाद्यान्न आम आदमी को सस्ता नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप पहले प्रश्न पूछ लें। चूंकि थोड़े ही दिन हुए जब कि यह कमेटी बनी है, इसलिए पहले आप परिस्थिति जानने के लिए प्रश्न पूछ लें। उसके बाद अगर कोई नयी परिस्थिति पैदा हो तो विचार के लिए प्रश्न रखें। जिस विषय पर पहले बहस हो चुकी थी और इतना बड़ा तूफान हुआ था फिर उक्त विषय के विचारार्थ एक कमेटी बनी। उसके पश्चात् पहले रोज ही जब आज सदन बैठा, उस वक्त पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाय, यह कोई तरीका उचित नहीं है। इसलिए मैंने प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी।

देवरिया में 'घेरा डालो' आन्दोलन के कैदियों पर कथित जुल्म आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक काम रोको प्रस्ताव उग्रसेन जी का है---"जिला कारागार देवरिया में 'घेरा डालो आन्दोलन' में सजा भुगत रहे ३० समाजवादी बन्दियों पर जेल अधिकारियों द्वारा किये गये जुल्म, अमानुषिक व्यवहार एवं अवैध कार्यों के कारण सभी बन्दियों एवं जनपद की साधारण जनता में क्षोभ व्याप्त है, अकाल निवारण समिति, उत्तर प्रदेश के संयोजक, श्री चन्द्रबली सिंह के साथ जेलर ने आफिस में दिनांक २३ नवम्बर, १९५८ को अभद्र व्यवहार किया। सर्व श्री हरिकेवल प्रसाद, श्रवणकुमार, यदुपतिराय, कृष्णाराय आदि एक दर्जन से अधिक बन्दी सख्त बीमार हैं, उन्हें उचित दवाइयां नहीं दी जातीं। २८ नवम्बर, १९५८ को जिला जेल के फाटक पर मुलाकात के लिए आये हुए एक समाजवादी कार्यकर्त्ता को पीटा गया। जिलाधिकारियों से निवेदन करने पर कोई सुनवाई न होने के कारण सभी समाजवादी बन्दियों का जीवन खतरे में है, इस कारण जनप्रद की जनता में क्षोभ व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है;

अतः इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं सम्बन्धित मन्त्री से वाकयात जानना चाहूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें। मेरी आज्ञा बिना प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाना चाहिए, इस तरह।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्रोसीड्योर के बारे में मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रोसीडयोर मैं डिटरमिन करता हूं और तय कर रहा हू। मैंने सम्बन्धित मन्त्री से जानकारी चाही है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)---इस विषय में जो मुझे ज्ञान हुआ है उसके अनुसार जो चन्द्रबली सिंह जी का प्रश्न है, इतनी सी घटना हुई थी कि वहां के जेल कार्यालय में वह गये। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि मुझे कुर्सी बैठने को दी जाय। जेल के अधिकारियों ने कहा कि नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि कुर्सी बैठने को दी ही जाय। इस पर नाराज होकर वह चले गये और दूसरे बन्दियों से यह कहा कि इस प्रकार मेरे साथ अमानुषिकता का व्यवहार किया गया।

जहां तक कुछ बंदियों के रोगी होने का प्रश्न है, कुछ बन्दी रोगी जरूर हैं, लेकिन न उन्हें कोई गम्भीर रोग है और न ही यह सत्य है कि उनको दवा-दारू का समुचित प्रबन्ध नहीं है। इसके विपरीत यह सत्य है कि प्रत्येक रोगी बन्दी के लिए दवादारू का समुचित प्रबन्ध है और न कहीं भी कोई चिन्ता की बात है और न कोई रोगी ऐसा है जिसके सम्बन्ध में कोई चिन्ता की जा सके।

जहां तक इस २८ नवम्बर की घटना का सम्बन्ध है कि कोई सज्जन वहां मिलने के लिए गये और उनको पीटा गया, मेरे पास यह सूचना है कि यह घटना असत्य है। कोई भी सज्जन जो वहां पर मिलने गये उनको नहीं पीटा गया और न कोई इस प्रकार की घटना ही हुई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चन्द्रबली सिंह जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और इनको जेलर ने दफ्तर में बुलाया, क्योंकि वे अपने कैदियों के बारे में बात करना चाहते थे लेकिन जब वह वहां गये तो उनको घसीटा गया और उनको जेलर ने गाली देना शुरू कर दिया। यह बात असत्य नहीं है। आप इसकी जांच करा सकते हैं। माननीय मन्त्री जी अगर इसकी जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। उनको मालूम हो जायगा कि यह बातें कितनी सत्य हैं। उनको पीटा गया और इस प्रकार से घसीटा गया। फिर हरीकेवल को अस्पताल की कोठरी में बन्द किया गया। वह वहां पर रात भर बेहोश रहे। कोई आदमी डाक्टर को बुलाने नहीं गया और न कोई डाक्टर वहां आया। यह वहां की रिपोर्ट है। मैं जेल का मुआइना करने गया था और मैंने स्वयं यह जानकारी प्राप्त की है।

जेलर के खिलाफ थाने में ३२३ और ५०६ के मातहत रपट लिखाई गयी है। मैंने वह कागज मंगाये हैं। इस समय वे मेरे पास नहीं हैं नहीं तो मैं उनको श्रीमान् जी की सेवा में हाजिर कर देता। इस पर इन्क्वायरी हो रही है और यह विषय इतना निश्चित है कि इस पर विवाद के लिए मौका मिलना चाहिए। हमारी यह मांग है कि जेलर को मुअत्तिल कर के इसकी जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष---वह इस से इन्कार करते हैं कि इस प्रकार की कोई वहां पर घटना हुई है। जहां तक २८ तारीख की घटना का प्रश्न है, वह पीटने की घटना हो सकती है किन्तु इस विषय में मुकदमा चल रहा है तो वह विषय यहां पर बहस का नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन---अभी तो श्रीमन्, एफ० आई० आर० ही लाज हुई है, और कोई बात नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष---वह सवाल जरूर है लेकिन मुकदमा भी चलाया जा सकता है जब कि कोई पीटा गया है। इसलिए अगर वह यहां पर इन्कार करते हैं और उन को कोई खबर नहीं है तो वह बहस का विषय नहीं बन सकता। यह एक ही निश्चित विषय भी नहीं है क्योंकि इसमें कई विषय मिला दिये गये हैं। इसलिए मैं इस की इजाजत नहीं देता हूं कि इस पर यहां पर बहस की जाय।

शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के टूटे पुलों का पुर्ननिर्माण न हो सकने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और काम रोको प्रस्ताव श्री देवनारायण भारतीय का है जिसमें वह कहते हैं कि "गत १ अक्तूबर, सन् १९५८ को जो अभूतपूर्व बाढ़ हमारे प्रान्त में आयी उसी के अन्तर्गत शाहजहांपुर नगर के उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाओं में बहने वाली खन्नौत नदी के तीन पुल टूट गये थे। दो मास व्यतीत होने जाने पर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अब तक इन पुलों के स्थान पर कोई अस्थायी प्रबन्ध भी ऐसा नहीं किया है जिस से उक्त तीनों दिशाओं से नगर का यातायात खुल सके और नगर के बाजारों में देहात की पैदावार पहुंच सके। इस कारण से नगर की एक लाख जनता भूखों मर रही है और शाहजहांपुर जिले तथा नगर में अशान्ति तथा बेचैनी पैदा हो गयी है। देहात की जनता अपनी पैदावार को नगर में नहीं ला सकती, व्यापारी वर्ग हाथ पर हाथ रखे बैठा है और गरीब नागरिक भूखों पर रहे हैं। अतः इस आवश्यक विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

क्या माननीय मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---जहां तक इस परिस्थिति की बात है मैं इससे पूर्ण सहमत नहीं हूं। यह सही जरूर है और बड़े दुख की बात है कि जिस वक्त वहां पर बाढ़ और बारिश आयी उस वक्त उस जिले में ३ पुल टूट गये। एक पुल लखनऊ-बरेली नेशनल हाई-वे पर था जिस के लिए एक टेम्पोरेरी पुल बना दिया गया और जिससे यातायात टेम्पोरेरी तौर पर खुल गया है। मुस्तकिल किस्म के पुल के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। इस के ढाई मील के फासले पर शाहजहांपुर-गोला सड़क पर एक पुल था। वह भी टूट गया है। यह पहले पुल से, जो मैंने अभी बताया, एक सड़क से मिला दिया गया है और उधर का ट्रैफिक इस पुल से जो टैम्पोरेरी तौर पर बनाया गया है, पास कर सकता है। इस वक्त वहां पुल इस लिए नहीं बन सकता, क्योंकि वहां अभी पानी का लेविल काफी ऊंचा है और इस लिए उस पर काम नहीं हो सकता। पुवायां सड़क पर एक तीसरा पुल है जो टूट गया है। लेकिन यहां भी पानी का लेविल ऊंचा है और इसलिए काम चलाने के लिए नावों का प्रबन्ध कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि वहां की जनता को कष्ट अवश्य है किन्तु काम किसी न किसी तरह पर चल ही रहा है और ज्यों ही पानी का लेविल नीचा होगा, सब के बाद कुछ न कुछ किया जायगा। एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को यह भी हिदायत दी गयी है कि इन स्थानों पर रैन्टून या पाइल ब्रिज बना कर जनता को ज्यादा सहूलियत दी जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---एक अक्तूबर को सैलाब लाया था और यह तीनों पुल एक ही दिन टूटे थे। उस समय वहां के अधिकांश राजनैतिक कार्यकर्त्ता जेल में थे, लेकिन जेल में रहते हुए भी .....

श्री अध्यक्ष---आप को कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, जो जवाब मिला है उस के पश्चात् विषय निश्चित कैसे है इस पर कहिये।

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं, कि हमने जेल से ही जिलाधीश को लिखा कि वे इस बात का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करें कि इन पुलों पर यातायात चालू हो सके। माननीय मन्त्री जी ने जो सूचना दी कि एक पुल नेशनल हाई-वे पर है उसका एक भाग टूट गया है और एक भाग ऐसा है कि जिस पर खाली ट्रक गुजरते हैं और लदी हुई सामान की गाड़ियां उस पर से नहीं गुजरने दी जातीं। तो ऐसी हालत में नगर में बाहर की और जिले की पैदावार नहीं पहुंच पा रही है जिस से बाजार सूने पड़े हैं और इससे जो नित्य मजदूरी कर के नित्य खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनको अन्न नहीं मिल रहा है। नगर की अधिकांश जनता भूखों मर रही है। यह विषय वहां की जिला परिषद् में भी उठाया गया और उस ने २०००

[श्री देवनारायण भारतीय]

रुपया मंजूर किया कि वहां नावों का या पैन्टून ब्रिज बनाया जाय। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब वहां तशरीफ ले गये लेकिन उन्होंने न तो देहाती नावों के जरिये पुल ही बनवाया और न कोई अन्य सुविधा प्रदान की और न पैन्टून पहुंचने की सुविधा दी। मेरा कहना यह है कि धान की फसल तैयार हो चुकी है और अगर उसको नगर तक पहुंचने की सुविधा नहीं दी जाती तो जहां बाहर जिले के किसानों को यह भय है कि उन की फसल उन के घरों पर पड़ी रह जायगी वहां नगर के लोगों को यह आशंका है कि उन्हें अन्न नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मैं इस विषय को अत्यन्त महत्व का विषय समझता हूं और इससे हमारे नगर और जिले में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर विवाद के लिए सदन आज्ञा प्रदान कर।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय विभव जो अखबार पढ़ रहे हैं और यह हाउस का अनादर है। आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---अखबार यहां सदन में नहीं पढ़ना चाहिए, यह नियम है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---यह एजेन्डा से सम्बन्ध रखने वाला है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैं भी कुछ निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---अभी आप बैठें।

प्रश्न यह है कि जो काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किया गया है यह निश्चित किस विषय पर है और अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेंस का है या नहीं। तो पुल टूटने के बारे में मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उससे यह निश्चित विषय है कि पुल टूट गये। उसके लिए यह आक्षेप किया गया कि वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया है कि पैन्टून ब्रिज तैयार करा देंगे। इसके बाद बहस की कोई बात बाकी नहीं रहती। दोनों का मत एक है। केवल यह प्रश्न रहता है कि जल्दी कितनी करनी है ? तो माननीय देव नारायण मन्त्री जी के कमरे में चले जायं और जो कराना चाहते हों करा लें। मैं समझता हूं कि इसम कोई दिक्कत नहीं होगी और उस के लिए सदन का समय लेकर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा खास कर उस समय जब कि दोनों का मत एक है।

श्री देव नारायण भारतीय---दो महीने बीत चुके हैं, यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होता तो अब तक पुल बन चुके होते।

श्री अध्यक्ष---यदि वह समय वापस हो सकता होता तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन वह गुजर चुका है।

श्री देवनारायण भारतीय---लेकिन अब तो मंत्री जी कहें कि १ सप्ताह या १० दिन में वह दोनों जगह पर पैन्टून पुल बनवा देंगे। जिससे देहात की पैदावार नगर में आने लगे। यदि इसी तरह १ महीना और बीत गया तो मैं समझता हूं कि हमारे नगर में अकाल की स्थिति पैदा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी भारतीय जी को अपने कमरे में बुला लें और और बातचीत करके शीघ्र कार्यवाही करें, क्योंकि इसके लिए कोई ७ या १० दिन का समय निश्चित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन्जीनियरिंग का विषय है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--भारतीय जी के पैर में कष्ट है, तो क्या आप मन्त्री जी को भी आदेश दे सकते हैं कि वह भारतीय जी के कमरे में आने का कष्ट करें? वह केवल दावत खाकर चले आते हैं, न कि जनता के प्रतिनिधियों से मिलते हैं और न जनता से ही मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन भारतीय जी के कमरे में फाइल तो नहीं होंगी?

प्रदेश के सीमान्त इलाके की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध न होने के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह प्रतापसिंह जी का काम रोको प्रस्ताव है कि "यह सदन आज अपना कार्य निश्चित, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करने हेतु, स्थगित करता है।

प्रदेश के सीमान्त इलाके (धारचूला, गरब्यांग, पोंगू) के सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध न होने एवं तिब्बत और प्रदेश की सीमा पर स्थित ताकलाकोट में चेक-पोस्ट के सीमा से भी सौ मील नीचे धारचूला में आ जाने से सौ मील का क्षेत्र असुरक्षित होने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति।"

उन्होंने इसके बारे में मेरे पास एक पत्र भी भेजा है कि उन्होंने वहां का दौरा किया और जांच की। उनका कहना है कि १०० मील का क्षेत्र असुरक्षित हो गया है। क्या माननीय गृह मन्त्री जी इस विषय में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता है। वहां का प्रबन्ध समुचित है और जाड़े में कुछ शिफ्टिन्ग होती रहती है जिससे सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका कुछ संबंध भारतीय सरकार से भी है क्योंकि बाहरी सुरक्षा उनका विषय है। इसलिये इस पर यहां बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--मैंने और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान मंत्री नें १२ तारीख से १९ तारीख तक उस इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मिलने से पता चला कि पुलिस का चेक-पोस्ट १०० मील पीछे चला आया है, धारचूला में। मैं मानता हूं कि तिब्बत से हमारी मैत्री है लेकिन इस प्रदेश की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सन् १९४७ के बाद आज तक वहां न कोई मंत्री या उप-मंत्री गये हैं। इसके पहले एक मिस्टर डोनाल्डसन वहां गये थे। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न पर बहस के लिये समय दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--चाहे वहां पर कोई मंत्री गये हों या नहीं, परन्तु हमको एक-एक इंच की जानकारी है और उसके मुकाबले में माननीय प्रतापसिंह जी को जानकारी नहीं हो सकती और न है। यह प्रश्न भारतीय सरकार और तिब्बत की सरकारी के बीच का मामला है। इसलिये इसका पूरे तौर से हम यहां जिक्र नहीं कर सकते। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा का वहां पूरा प्रबन्ध है।

श्री प्रताप सिंह--माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने उस स्थान से एक पत्र भी भेजा था.....

श्री अध्यक्ष--उनका कहना है कि सीमान्त का प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। आप वहां के स्थानीय सदस्य होने के नाते या आपके और भी साथी होंगे और वह जानना चाहते हों कि क्या बात है? तो बातचीत करके वह आपको सूचना दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी राष्ट्र पसन्द नहीं करेगा कि उसके सीमान्त के इन्तजामात का जिक्र इस तरह से यहां किया जाय जो कि गोपनीय हों। फिर इस विषय का विशेष संबंध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक व्यवस्था जानना चाहता हूं। मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश की सीमा है, उधर नैपाल और तिब्बत लगा हुआ है। इस सदन के किसी माननीय सदस्य को वहां जाने पर जानकारी होती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार का ध्यान जिस रूप में आकर्षित करना चाहिये उस रूप में नहीं कर रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की खामियों का जिक्र हम यहां पर नहीं कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--उस विषय में आप यहां के मंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं। सदन में जिक्र करने से दूसरों को भी मालूम हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या कमी है। अपने राष्ट्र की कमी को प्रकाशित करना अनुचित है। इसलिये यह कनवेन्शन है कि ऐसे विषयों पर लोग अपने को जरा अनुशासित रखकर बातचीत के जरिये से सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सदन में बहस नहीं होनी चाहिये ।

कार्यक्रम में परिवर्तन किये जाने के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जो ऐसी बात पर है कि कार्यक्रम में बदलाव होने से वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है ....

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के बारे में मंत्री जी ने सदन में कहा था कि वह बहुत शीघ्र बिल ला रहे हैं और ऐसा आश्वासन कई बार दिया गया। पहले वह एजेन्डे में आया भी था। अब मेरा कहना है कि सरकार जानबूझ-कर इसे नहीं ला रही है। दस वर्ष चुनाव हुये हो गये, सरकार फिर टालना चाहती है। इससे सारे प्रदेश की जनता चिन्तित है क्योंकि एक ही पार्टी के लोग जो बने हुये हैं वे हटना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्नों के जरिये ऐसा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उस पर बहस भी हो सकती है। आप प्रश्नों को कम महत्व क्यों देते हैं ? आप प्रश्न कर सकते हैं और फिर आधे घंटे की बहस हो सकती है।

लखीमपुर-खीरी जिले में खेती के लिये बीज न मिलने के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह एक श्री बंशीधर शुक्ल जी का प्रस्ताव है जो कि उनके लखीमपुर-खीरी जिले में डेढ़ लाख एकड़ जमीन के बारे में है और हजारों किसान .....

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--श्रीमन्, मुझे इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय और इस पर कुछ कहने का अवसर भी देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आपका यह गोल-सा प्रस्ताव है जो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के सम्बन्ध में काउन्टर ऐफीडेविट के लिये अधिकारी की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष--मुझे सदन को एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के अन्तर्गत सरकार की ओर से कुछ विज्ञप्तियां जारी की गयीं थीं जिसकी प्रतियां विधान सभा के सदस्यों को २ अप्रैल, १९५६ को वितरित की गयी थीं और जिन्हें सदन की मेज पर रखने का प्रस्ताव ९ मई, १९५६ को वित्त मंत्री के सभा सचिव द्वारा किया

गया था। बिक्री-कर वैधीकरण अधिनियम, १९५८ के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ रिट पेटीशन दायर हुए हैं जिनमें एक बहस यह भी की गयी थी कि उपर्युक्त विज्ञप्तियां सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयीं। एडवोकेट जनरल ने, जो इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं, यह मत व्यक्त किया कि इस मुकदमे में विधान सभा सचिवालय का कोई अधिकारी काउन्टर एफिडेविट दाखिल करे जिसे इन विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखे जाने का निजी ज्ञान हो। अतः श्री भरत नारायण, उपसचिव, वित्त विभाग ने १० अक्तूबर, १९५८ को मुझसे प्रार्थना की थी कि इस हेतु विधान सभा सचिवालय का कोई अधिकारी काउन्टर एफिडेविट दाखिल करने के लिये नियुक्त किया जाय और मैंने श्री श्रीपति सहाय, अधीक्षक, संसदीय विभाग, विधान सभा सचिवालय को इस कार्य के लिये अनुज्ञा दी और नियुक्त किया कि वे काउन्टर एफिडेविट दाखिल करें क्योंकि उन्हें इन विज्ञप्तियों के मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध में निजी ज्ञान था। चूंकि उस समय सदन का उपवेशन नहीं हो रहा था इसलिये मैंने प्रथा के अनुसार सदन की अनुमति की प्रत्याशा में यह आज्ञा दे दी थी जिसकी सूचना अब मैं सदन को दे रहा हूं। आशा है सदन को कोई आपत्ति न होगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारा एक कामरोको प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष--आपका प्रस्ताव बाद में आया था तथा उसका संबंध मेरे दफ्तर से है। मैं इस संबंध में जांच कर रहा हूं। आप केवल मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं मेरे दफ्तर में।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री उपाध्यक्ष---जो एजेंडे में २१, २२ और २३ नम्बर पर विषय दिये हुए हैं वे चूंकि विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये वे पहले लिये जावेंगे। सबसे पहले एजेंडे पर नम्बर २२ पर श्री गेंदा सिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २५ से २७ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा को विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का पहला दिन है, प्रतिवेदन आये हुए काफी दिन हो गये, उसमें एक नोट आफ डिसेंट भी दिया हुआ है। सब लोगों को विस्मृत हो गया होगा कि क्या रिपोर्ट में लिखा गया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि ३१ दिसम्बर के बाद जो सदन की बैठक हो उसमें इस प्रश्न को विचार में लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--किसी को कोई एतराज तो नहीं है ?

सदस्यगण---नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---किसी को एतराज नहीं है तो इसको बाद में लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में मुझे यह देखने को मिला कि सम्भवतः यह वर्तमान सत्र जो चल रहा है १५ दिसम्बर तक ही चलेगा और प्रोग्राम भी जो पहुंचा है वह भी बहुत थोड़े समय का ही है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ३०, ३१ दिसम्बर के बाद इसको लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि ३१ दिसम्बर के बाद जो उपवेशन होगा उसमें यह रखा जायगा । जो उपवेशन चल रहा है उसमें नहीं आ रहा है, यह बात निश्चित है, परन्तु इसी सत्र में आ सकता है ।

श्री राजनारायण---मेरा कहना है कि सरकार चाहती है कि इस सत्र में इस विषय पर विचार न हो यानी जो सिटिंग चल रही है यह १५ दिसम्बर तक हो चलेगी, आगे के लिये कोई कार्यक्रम है नहीं, तो १५ तक ही ये समाप्त हो जायेंगे । जहां तक अखबारों में मैंने माननीय मुख्य मंत्री के बयान को पढ़ा उससे मालूम हुआ कि बड़ी थोड़ी अवधि का यह सेशन चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---इस सेशन में विचार नहीं होगा तो दूसरे सेशन में हो जायगा ।

श्री राजनारायण---उसके बाद बजट सेशन आ जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---बजट पेश होने के पहले हो सकता है । यह विषय उतना तात्कालिक महत्व का नहीं है ।

श्री राजनारायण---जब महत्व का नहीं है तो इसको एजेंडे में नहीं आना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष---यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है । माननीय नेता सदन चाहते हैं कि अभी इस पर विचार न हो और माननीय नेता विरोधी दल को भी कोई एतराज नहीं है, ऐसी हालत में इसको मुल्तवी कर दिया जाता है ।

श्री राजनारायण---इस तरह के जितने प्रश्न हैं उनको मुल्तवी करने की सद्बुद्धि सरकार को आवे तो अच्छा ही है ।

९ सितम्बर को सोशलिस्ट पार्टी के १२ सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट पर विचार

श्री उपाध्यक्ष---अब २३ नम्बर पर १२ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के अवमान के विषय में सचिव की रिपोर्ट पर विचार होगा ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय चूंकि माननीय राजनारायण जी सद्बुद्धि के लिये समय चाहते हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय को भी ३१ दिसम्बर के बाद के उपवेशन के लिये मुल्तवी कर दिया जाय ।

श्री राजनारायण---इतने समय में माननीय मुख्य मंत्री जी को सद्बुद्धि प्राप्त हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---तो यह भी पहले विषय की भांति मुल्तवी किया गया ।

'ब्लिट्ज' के स्थानापन्न सम्पादक श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह आवयक है कि एडवोकेट जनरल भी मौजूद रहें । कुछ कारणों से वे मौजूद नहीं हैं । आगे जो प्रस्ताव हुए हैं उस वक्त तक के लिये इसे भी मुल्तवी कर दिया जाय ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---इस प्रस्ताव से तो मैं सहमत हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने माफी मांग ली तो फिर इस विषय में वाद-विवाद करने की या एडवोकेट जनरल के मौजूद रहने की क्या आवश्यकता है ? प्रिविलेजेज के सम्बन्ध में बड़ी पुरानी प्रथा है कि एक बार आदमी ने खेद प्रकट कर दिया तो वह कार्यवाही समाप्त हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष---परम्परा तो यही है, लेकिन दूसरे माननीय सदस्य दूसरे विचार इस सम्बन्ध में रखना चाहें तो रख सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री कोई दूसरी बात हो तो वह कह सकते हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात से सहमत हूं। मैं प्रस्ताव पेश करने के लिये तैयार हूं, लेकिन मुझे खयाल हुआ कि कोई कानूनी बात कोई माननीय सदस्य पेश करना चाहें तो फिर एडवोकेट जनरल की आवश्यकता हो सकती है । अगर सदन की इच्छा हो तो मैं पेश करने के लिये तैयार हूं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस सम्बन्ध में कानूनी बात से भी मैं विज्ञ होना चाहता हूं । मेरी नाकिस राय में तो सदन से भी राय ले लेनी चाहिये थी जब राजीनामा होना चाहिये था । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात रखी है वह मान ली जाय । कोर्ट के जो रेलेवेंट डाक्यूमेंट्स हैं वे भी हमको देखने को मिल जायं तो अच्छा है । वे हमको उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---कानूनी बारीकियों के ऊपर भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी भारतीय परम्परा के अनुसार अगर एक आदमी ने माफी मांग ली तो यह सदन माफी दे दे । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और बिना विवाद के हम इसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक कोई व्यक्ति माफी मांगता है उसे माफी दे दी जाय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं । यह न्यायपूर्ण प्रथा ठीक है, मगर प्रश्न यह है क्या यह माफी मांगने की प्रक्रिया इसके पूर्व नहीं हो सकती थी ? मुकदमे की लम्बाई में जितना रुपया खर्च हुआ, क्या उतना रुपया खर्च होना आवश्यक था ?

श्री उपाध्यक्ष---आपकी राय क्या है, इसी विषय पर आप बोलें । मेरिट्स पर न जाइये ।

श्री राजनारायण---और लोग काफी बोल चुके हैं । मैं भी एक, आध मिनट बोलना चाहता हूं । मुझे भी इजाजत दी जाय । मेरिट्स पर मैं नहीं जाऊंगा ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस स्थिति पर हम आज पहुंचे हैं क्या उस स्थिति पर, जो कई लाख रुपया मुकदमे के दौरान में खर्च हुआ है उसे बिना खर्च किये हुए, नहीं पहुंच सकते थे ? अगर यह स्थिति आ सकती थी तो फिर इतना रुपया क्यों खर्च हुआ ? इसलिये हमारी सरकार ने इस दौरान पर जो कार्यवाही की है वह उचित थी या नहीं थी इस पर हमें गौर करना होगा, क्योंकि इस मामले में सरकार भी नत्थी थी । जो सरकारी गतिविधियां हुई हैं उन पर प्रकाश पड़ना चाहिये । जहां तक कानूनी बारीकियों का प्रश्न है अगर कोई कागजात मांगता है या प्रकाश डलवाना चाहते हैं तो वह भी देना जरूरी होगा । लिहाजा आज इसे न लिया जाया बाद में लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव को आज न लिया जाय, बाद में लिया जाय इससे आप लोग सहमत हैं ?

सदस्यगण---हां ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी भी इससे सहमत होंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री त्रिलोकी सिंह--मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा गौर करने की गुंजायश नहीं है और जो एक सर्वमान्य परम्परा है उसका अनुसरण करके यह प्रस्ताव आज स्वीकार हो जाना चाहिये । अगर किसी कारणवश इसे मुल्तवी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन खर्चे का जो सवाल है मेरी समझ में नहीं आता कि वह कैसे इस सिलसिले में उत्पन्न हो सकता है ।

यहां तो प्योर ऐंड सिम्पिल क्वेश्चन होगा कि ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं हुआ है । हुआ है तो हम उसको दंड देना चाहते हैं या नहीं। इन तमाम बातों की काट हो जाती है जहां यह आया कि . . . .

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--विरोधी दलों के बहुत से लोग तफसील में जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं . . . .

श्री त्रिलोकी सिंह--नेता सदन जो मुनासिब समझें । यदि वह प्रस्ताव रखें तो मैं उसका समर्थन करूंगा । वह प्रस्ताव न रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं नहीं समझता कि एडवोकेट. जनरल को हिस्सा लेने की क्या जरूरत है . . . .

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यों तो मैं भी सहमत हूं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से । मुझको यह डर हुआ कि शायद कोई साहब कानूनी बारीकी में जाना चाहें, वरना जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वह मैं अब भी बता सकता हूं कि क्या कार्यवाही हुई । जो प्रश्न अभी हमारे सामने उपस्थित किया गया, माननीय राजनारायण जी द्वारा, उसका उत्तर भी दे सकता हूं यदि कोई खास कानूनी बारीकी में जाने का सवाल न हो तो । मैं भी समझता हूं कि इसको अभी ५ मिनट में खत्म किया जा सकता है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या ऐडवोकेट जनरल साहब इस पर कोई प्रकाश डालेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया, वह हैं नहीं, उनकी मौजूदगी आवश्यक थी ।

(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट से) आपने कुछ पुनर्विचार किया इस पर ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, हम लोग तो ऐडवोकेट जनरल की बात भी जानना चाहते थे । अब वैसे जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी कहें, क्योंकि एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल की मांग बेकार है, लेकिन कितनी चीजें बेकार हुआ करती हैं और कितनी कार की हुआ करती हैं यह तो हम नहीं जान सकते । क्योंकि यह चीज सारे भारतवर्ष में अपने नमूने की नई हुई है कि किसी एक प्रान्त का आदमी दूसरे प्रान्त की विधान सभा के सामने लाया जाय, तो उसका लीगल आसपेक्ट क्या है, गाइडेंस के लिये, इसीलिये हम चाहते थे, और भी दूसरी बातें हैं जिनका उसी वक्त उल्लेख हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं तो नेता सदन से निवेदन करूंगा कि वह प्रस्ताव रखने की कृपा करें । क्योंकि या तो यह विषय आता ही नहीं, लेकिन जब प्रिविलेज का क्वेश्चन सामने आ गया और हमें पता चल गया, हाउस को, उनकी माफ़ी हो गई और सब जगह हाई कोर्ट में कमिटमेंट हो गये हैं, तो प्रिविलेज के कानून के बारे में हमें स्वयं जानकारी है, एडवोकेट जनरल के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--आप चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को रखें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां ।

'ब्लिट्ज' के स्थानापन्न सम्पादक श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं :

'ब्लिट्ज' पत्र के स्थानापन्न सम्पादक, श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने उक्त पत्र के दिनांक २९ सितम्बर, सन् १९५१ ई० के अंक में अपने लखनऊ स्थित संवाददाता से प्राप्त एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें कि तत्कालीन अध्यक्ष श्री नफीस-उल-हसन पर आक्षेप थे,

और इस सदन ने अपने ७ मार्च, सन् १९५२ ई० के उपवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया, जिसमें अध्यक्ष से यह प्रार्थना की गई थी कि वे उनकी (श्री मिस्त्री की) सदन के समक्ष उपस्थिति के लिये आवश्यक आदेशिका जारी करें,

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री को, जिनको कि गिरफ्तार करके लखनऊ लाया गया था सदन के समक्ष उपस्थित कर सकने के पहले ही उच्चतम न्यायालय की आज्ञानुसार छोड़ दिया गया, और फिर श्री होमी दिनशा मिस्त्री सदन के समक्ष उपस्थित नहीं हुये, यद्यपि उन पर दिनांक, १८ मार्च, सन् १९५२ ई० के नोटिस की तामील हो चुकी थी, जिसमें कि उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये सदन के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी, और जिसका उन्होंने पालन नहीं किया,

और सदन ने १९ मार्च, सन् १९५२ ई० को अंगीकृत एक संकल्प द्वारा विशेषाधिकार समिति का निष्कर्ष स्वीकार कर लिया और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का दोषी पाया तथा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि वे आवश्यक आदेशिका जारी करें कि उक्त श्री मिस्त्री ऐसा दंड पाने के लिये सदन के समक्ष उपस्थित हों जो कि उनका ऐसा निवेदन सुनने के बाद जो वह करना चाहें, सदन निर्धारित करे,

और उक्त श्री मिस्त्री ने (उक्त आदेशिका का पालन न करके) बम्बई उच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में उक्त श्री नफीस-उल-हसन इस राज्य सरकार तथा अन्य के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत कर दिया जिसमें कि उन्होंने दोषपूर्ण गिरफ्तारी तथा निरोध के लिये क्षतिपूर्ति की मांग की, और जो उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया,

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील-न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की, जिस अपील-न्यायालय में बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री एम० सी० छागला और न्यायाधिपति श्री एस० टी० देसाई थे, और अपीलकर्ता के श्री नफीस-उलहसन तथा राज्य सरकार से, जो कि विरोधी पक्ष संख्या १ व २ थे, अपरिच्छन्न क्षमा-याचना करने पर तथा 'ब्लिट्ज' के आगामी अंक में उक्त अपील न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रूप में क्षमा-याचना प्रकाशित करने का वचन देने पर, तथा उक्त श्री नफीस-उल-हसन और इस राज्य सरकार के इस बात से सहमत होने पर कि क्षमा-याचना को देखते हुये वे उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध २९ दिसम्बर, १९५१ ई० के उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करेंगे, उक्त अपील-न्यायालय ने, दिनांक ३ अप्रैल सन् १९५८ के एक सहमतिपूर्ण आदेश द्वारा अपील तथा वाद खारिज कर दिये,

और उक्त सहमतिपूर्ण आदेश के अनुसरण में उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने इस सदन से तथा इसके अध्यक्ष से उक्त सहमतिपूर्ण आदेश के प्रदर्श "ए" के अनुसार "ब्लिट्ज" के १२ अप्रैल, सन् १९५८ ई० के अंक में उसका प्रकाशन करके क्षमा-याचना कर ली है,

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के उक्त क्षमा-याचना कर लेने से इस सदन के तथा अध्यक्ष के मान एवं प्रतिष्ठा का पूर्ण रूप से प्रतिपादन हो गया है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अतः अब यह सदन दिनांक १९ मार्च, सन् १९५२ ई० को इस सदन द्वारा अंगीकृत संकल्प के अनुसार उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझता है।"

संक्षेप में बात तो यह है, लेकिन जैसा अभी माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा यह, अपने देश में अपने ढंग का एक पहला मुकदमा था। इसलिये सारे देश में बड़ी दिलचस्पी के साथ लोगों ने इसको देखा और यह भी हमारे लिये खुशी की बात है कि जो कदम यहां से उठाया गया था उसी का अन्त में समर्थन हुआ। "ब्लिट्ज" के २९ सितम्बर, १९५१ के अंक में एक समाचार छपा, उसका हेडिंग था :

"U. P. Speaker vetoes discussion on 'Blitz' in Assembly.

Lucknow : A modest request made by the Leader of the Opposition in U. P. Assembly to allot at least half an hour to discuss the unsatisfactory nature of replies given by Government regarding the withdrawal of accreditation on Blitz correspondent Ansar Harwani, was summarily turned down by Nafisul Hasan, erstwhile Muslim Leaguer, who succeeded Tandon as Speaker.

Hasan's decision has surprised none here, for it is an open secret that instead of trying to set up healthy parliamentary traditions, he is looking to Pant for guidance in his decisions. Hasan was elected on Muslim League ticket in 1946 but later joined the whitecap gang to safeguard his interests after the partition."

ऐसा सन् १९५१ के एक "ब्लिट्ज" के अंक में छपा, सदन में विचार हुआ और उसके बाद यह मामला यहां की प्रिविलेज कमेटी में भी गया। थोड़े में सारांश यह है कि आखिर में यह हुआ कि "ब्लिट्ज" के एडीटर को यहां बुलाया जाय ....

एक आवाज--हिन्दी में समझाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--सदस्य चाहते हैं कि आप हिन्दी में भी समझा दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--"ब्लिट्ज" में यह छपा कि उस समय के जो स्पीकर महोदय थे श्री नफीसुलहसन, उन्होंने सम्वाददाताओं को जो यहां शरीक होने का अधिकार दिया जाता है, वह अधिकार "ब्लिट्ज" के जो सम्वाददाता यहां रहते होंगे उनसे छीन लिया, उस वक्त लीडर आफ दि अपोजीशन ने कहा कि उनको सम्मति दे दी जाय, लेकिन उस वक्त वह चीज नहीं हुई और तत्कालीन स्पीकर महोदय ने मंजूरी नहीं दी। इस पर उन्होंने २९ तारीख के "ब्लिट्ज" में यह छाप दिया कि श्री नफीस-उल-हसन स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करते और वह सफेद टोपी वालों के सेवक हैं और पन्त जी का मुंह देख कर काम करते हैं, वह सफेद टोपी वाले गुंडों में...

श्री सरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--'गैन्ग' के माने 'गुन्डों' के नहीं हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--'गैन्ग' या तो कुलियों का होता है या 'गुन्डों' का होता है। खैर पहले यह तय हुआ कि उनको यहां बुलाया जाय कि वह यहां आकर सफाई दें कि उनके ऐसा लिखने का क्या मतलब है। स्पीकर के हुक्म से सूचना बम्बई गई और वह गिरफ्तार भी किये गये और यहां लखनऊ लाये गये, काफी आराम से वह यहां होटल में रखे गये लेकिन बहरहाल वह २४ घंटे के अन्दर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किये गये और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया।

एक सदस्य--क्या वह गायब हो गये थे बीच में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं अभी बतला रहा हूं। इसकी बाबत मतभेद है। इंगलैण्ड में क्या होता है इस मामले में ? कुछ लोगों का ख्याल यह है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने

का मामला जहां पर कि ग्रार्डिनरी कोर्ट स के जरिये गिरफ्तारी होती है, दूसरा होता है, वहां पर तो २४ घंटे के ग्रन्दर पेश किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ग्रसेम्बली या कौंसिल इनके हुक्म से ग्रगर गिरफ्तारी की जाय तो उसको २४ घंटे के ग्रन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय या नहीं इसके सम्बन्ध में दो रायें हो सकती हैं। जहां पर कि लोकतंत्रात्मक पद्धति होती है वहां पार्लियामेंट को बहुत बड़ा ग्रधिकार है ग्रौर पार्लियामेंट ये पेनल कोड वगैरह जो पोथियां हैं उनके ग्रन्तर्गत नहीं ग्रातीं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। पहले सफाई देने की बात थी कि वह सदन के सामने सफाई दें, वह सवाल उठा ही नहीं, वह चले गये।

फिर विशेषाधिकार समिति बैठी ग्रौर उसने समझा कि उन्होंने विशेषाधिकार की ग्रवहेलना की है ग्रौर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हम तो जो कार्यवाही करते वह करते, उन्होंने मुकदमा बम्बई में दायर कर दिया कि हमारा रांगफुली कन्फाइनमेंट हुग्रा ग्रौर हमको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। यह मुकदमा हुग्रा ग्रौर खारिज हो गया।

मुकदमा खारिज होने के बाद उन्होंने फिर ग्रपील की बम्बई में ग्रौर जैसा कि मैंने ग्रभी ग्रापके सामने संकल्प रखा है, बम्बई के चीफ जस्टिस ग्रौर बम्बई हाईकोर्ट के एक जज की बेंच के सामने वह मुकदमा पेश हुग्रा ग्रौर उसमें जजों ने राय दी कि ग्रच्छा यह है कि वह माफी मांग लें वर्ना उन्होंने जो वह काम किया था वह निश्चय ही ग्रपराध था। इस सलाह को उन्होंने माना ग्रौर मान कर उन्होंने यह ग्रपोलोजी दी'। यह सही है, जैसा कि इसमें लिखा है, कि श्री नफीसुल हसन की तरफ से ग्रौर हमने भी, गवर्नमेंट की तरफ से समझा गया कि जैसा कि ग्रभी माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि ग्रगर मांफी मांगने को तैयार हो जाते हैं तो ग्रागे बढ़ाना बेकार है। तो हमारी कार्यवाही ग्रागे बढ़ाने का खयाल नहीं है। उनकी ग्रपोलोजी के शब्द ये हैं :

"I, Homi Dinshaw Mistry, was acting as the Editor of the 'Blitz' on the 29th September, 1951 when Mr. Karanjia was away from Bombay and on that day the paper published a communication from its correspondent in Lucknow containing allegations against the Speaker of the Uttar Pradesh Assembly, Mr. Nafisul Hasan. I now realize that those allegations were scandalous and they should not have beeen published without my enquiring into their truth. I also now realize that those allegations are false and I express deep regret for having published them in the 'Blitz', and I tender my apology both to the Speaker of the Uttar Pradesh Assembly and to the Assembly itself".

हिन्दी में बतलाये देता हूं मैं कि "यह जो 'ब्लिट्ज' ग्रखबार है उसके स्थायी सम्पादक करंजिया २९ सितम्बर, १९५१ को बम्बई के बाहर चले गये थे ग्रौर मैं उनकी जगह पर स्थानापन्न सम्पादक का काम कर रहा था। उस तारीख को हमारे ग्रखबार में एक समाचार निकल गया उत्तर प्रदेश की ग्रसेम्बली के स्पीकर के विरुद्ध। ग्रब मुझको ऐसा लगता है कि उसमें जो ग्रारोप किये गये थे वह 'स्कैंडलस', (लज्जाजनक कह लीजिये) थे ग्रौर मुझे उन्हें बिना उनकी सच्चाई समझे ग्रौर जांच किये नहीं छापना चाहिए था। यह भी मुझको लगता है कि वे ग्रारोप बिल्कुल झूठे थे ग्रौर इस बात के लिए मैं गम्भीर खेद प्रकट करता हूं"।

तो जैसा कि 'ब्लिट्ज' में "ग्रादरणीय सदन ग्रौर स्पीकर से माफी मांगता हूं" ऐसा उन्होंने छापा है तो ग्रब सिवा इसके, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा ग्रौर, कोई शराफत की बात नहीं रही कि यह माफी मंजूर कर ली जाय ग्रौर इस कान्ड को खत्म कर दिया जाय। जैसा कि श्री राजनारायण ने कहा कि मामले को बेकार इतना क्यों बढ़ाया, तो हमने कार्यवाही बेकार ही नहीं बढ़ाई। उन्होंने सदन का ग्रपमान किया, लिहाजा उनको सफाई के लिए बुलाया गया था। ग्रगर सफाई यहीं दे देते तो हमारी तरफ से चीज खत्म हो जाती। लेकिन वह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं माने और चले गये। जाने के बाद भी मौका था सफाई देने का, लेकिन उन्होंने मुकदमा चलाया, मुकदमे में हार गये। उसके बाद भी माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने बजाय मांफी मांगने के अपील कर दी और अपील में भी जब सजा हो गयी तब माफी मांगने लगे। इसलिये हमारे हाथ की बात नहीं थी। अगर उन्होंने पहले माफी मांग ली होती तो जरूर हम लोग इस मामले को खत्म कर दिये होते।

श्री राजनारायण--मुकदमा लड़ने में खर्च कितना हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो इस वक्त मैं नहीं बतला सकता, लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे तो बतला दूंगा। जैसा माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

बहरहाल, मैं समझता हूं कि माफी मांगने के बाद बात आगे न बढ़ाई जाय और उसे खत्म करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, जरा आप भी यह प्रस्ताव निकाल लें, तीसरे पेज पर है, इसकी जरा भाषा देख ली जाय। हम समझते हैं कि यह सदन का अपमान था और सदन की प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसको सदन ने स्वीकार कर लिया था। प्रस्ताव में यह है कि "....राज्य सरकार के इस बात से सहमत होने पर कि क्षमा-याचना को देखते हुये वे उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध २९ सितम्बर, १९५१ ई० के उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करेंगे...।" मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार के अधिकार-सीमा के बाहर की बात थी। वह यह जरूर कह सकती थी कि विधान सभा से यह सिफारिश करेगी कि वह उनको क्षमा याचना को देखते हुये उन्हें माफ कर दे। हम समझते हैं कि इसकी भाषा इस ढंग से हो कि राज्य सरकार या मुख्य मंत्री या नेता सदन, जो भी हों, सदन से सिफारिश करेंगे कि उनके विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही न की जाय। इस ढंग की भाषा ज्यादा इस सदन के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होगी क्योंकि सदन जिस प्रस्ताव को पास कर देता है उसको सदन ही वापस कर सकता है। फिर राज्य सरकार कौन होती है यह कहने के लिये कि वह कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--आपत्ति क्या है आपको इसमें ?

श्री राजनारायण--हमारी आपत्ति यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष--उसमें यह लिखा है कि "श्री नफीसुल हसन तथा राज्य सरकार से, जो कि विरोधी पक्ष संख्या १ व २ थे, अपरिच्छिन्न क्षमा-याचना करने पर...", इसके लिये राज्य सरकार ने कहा कि अब हम आगे मुकदमा नहीं बढ़ाना चाहते इसलिये वह मुकदमा खत्म कर दिया गया। यह वाकये का बयान है।

श्री राजनारायण--मैं यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार को उस स्तर पर भी यह कहने का हक नहीं था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत सीधी बात है। उन्होंने जो मुकदमा चलाया था वह श्री नफीसुल हसन पर था, असेम्बली पर था और दि स्टेट आफ उत्तर प्रदेश पर भी था, जो कि बहुत थोड़े में लिखा था "ऐण्ड अदर्स" तो मुकदमा राज्य सरकार पर भी चला। तो राज्य सरकार ने अपने सम्बन्ध में यह कह दिया कि अब वह आगे कार्यवाही नहीं करेगी। जहां तक असेम्बली की बात है, उसके तत्कालीन स्पीकर थे श्री नफीसुल हसन। उन्होंने अपनी तरफ से और सदन की तरफ से भी कहा। और राज्य सरकार ने अपने से माफी नहीं मंगवाई। हमने तो खाली असेम्बली के स्पीकर और असेम्बली से माफी मंगवा कर छोड़ दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरे प्रश्न की गुरुता और गम्भीरता को माननीय मुख्य मंत्री जरा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर सदन कोई प्रस्ताव पास कर दे तो उसके मुताबिक काम करने का हक तो राज्य सरकार को है मगर उसके विपरीत कोई कार्य राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसलिये मैं कहता हूं कि राज्य सरकार कोई ऐसी बात नहीं कर सकती जो असेम्बली द्वारा लिये गये निर्णय के विपरीत हो। सिफारिश कर सकती है। और राज्य सरकार का कोई अपमान भी नहीं है। इसमें ऐसा कर दें कि हमने उनको यह कहा कि हम असेम्बली से सिफारिश करेंगे। इस प्रस्ताव की भाषा से ऐसी ध्वनि निकलती है जिससे राज्य सरकार यह समझती है कि वह जो चाहे सो असेम्बली से करा ले। असेम्बली के फैसले के विरुद्ध इसमें एक प्रिविलेज का मोशन और भी उठ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें दो तीन पार्टियां थीं। अध्यक्ष थे, विधान सभा और राज्य सरकार थी और ऐसा मालूम होता है कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति दे दी होगी कि यदि क्षमा याचना कर दें तो आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार ने भी मंजूर कर लिया कि इसमें किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। जब दोनों पक्षों ने मान लिया है कि आगे किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है तो ऐसा हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अध्यक्ष ने कब माना है, इसकी तारीख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार की सहमति हो गई कि आगे मुकदमा न चलाया जाय तो क्या वह बतायेंगे कि माननीय अध्यक्ष ने भी अपनी सहमति दी थी कि आगे मुकदमा न चलाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, जो उस समय के विधान सभा के अध्यक्ष नफीसुल हसन साहब थे उनसे यह संबंधित है। वर्तमान अध्यक्ष से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ने उनकी तरफ से बयान भी दिया है।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं कि इसमें बहुत थोड़ी सी बारीकी है।

श्री उपाध्यक्ष---क्या यह घटना का बयान नहीं है ?

श्री राजनारायण---जी नहीं, मैं प्रिविलेज का मोशन उठाऊंगा मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध कि उनको कोई अधिकार नहीं है जब कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो वह किसी पक्ष को यह आश्वासन दें कि हम कार्यवाही नहीं करेंगे। ऐसी बात वह नहीं कर सकते हैं या राज्य सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि इस सम्बन्ध में सदन ने निर्णय ले लिया है। इसलिये हमारा यह कहना है कि सदन सुप्रीम है। मुख्य मंत्री का अलग मामला होता तो बात दूसरी थी। उसके बारे में सरकार कर सकती है, लेकिन यह सदन के निर्णय के प्रतिकूल हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने घटना सदन के सामने रख दी। राज्य सरकार एक पक्ष थी और नफीसुल हसन दूसरे पक्ष थे। दोनों ने अपनी अपनी सहमति प्रदान कर दी उस समय मुकदमा खत्म हो गया। अब उसे खत्म करने या न करने की बात पर वर्तमान सभा विचार कर रही है। उस समय जो वाकयात हुये वह आपके सामने रख दिये गये। अब आपके सामने खुला मौका है कि आप इसको स्वीकार करें या न करें। इसके औचित्य और अनौचित्य पर आप बोल सकते हैं, लेकिन घटना का उन्होंने जो बयान किया उस पर आपत्ति नहीं हो सकती और यदि आप विशेषाधिकार का प्रश्न रखेंगे तो उस पर विचार होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह ---अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार नहीं था कि इस विषय में मैं कुछ निवेदन करूं, किन्तु इतना इस सदन का ध्यान दिला देना चाहता हूं कि अदालत में मुकदमा मिस्त्री साहब ले गये। उन्होंने तीन फरीक बनाये। असेम्बली, उसके अध्यक्ष और

[श्री त्रिलोकी सिंह]

राज्य सरकार। वह मुकदमा हारे तो उन्होंने अपील कर दी और फिर उन्होंने इन्हीं को फरीक रखा। राज्य सरकार को न तो कोई शिकायत थी और न कार्यवाही करने का हक था। वह तो फंस गई थी। एक आदमी ने फरीक बना दिया। अगर वह मुकद्दमे की पैरवी नहीं करती है तो उसके खिलाफ डिग्री हो जाती और उसको नुकसान उठाना पड़ता। उसने तो अपनी जान छुड़ाई। जहां तक राज्य सरकार की बात है उन्होंने न तो कोई कार्यवाही १९५१ में की थी और न उन्हें हक ही था सदन के अवमान के खिलाफ, इसलिये राज्य सरकार ने ऐसा क्यों कह दिया कि वह कोई कार्यवाही नही करेगी, सदन में इस बात को उठाने का, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

जहां तक असेम्बली का सवाल है उसके न उस समय के स्पीकर साहब उनकी जानिब से वकील थे। आमतौर पर वकालतनामा छपा हुआ होता है। जहां तक ऐडवोकेट जनरल का सवाल है मैं नहीं समझता कि छपे हुए वकालतनामे का कुछ भाग काट दिया गया हो। वह एक बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। गलती कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। उनको अधिकार था। और जो साहब इस मुकदमे की मिनजानिब असेम्बली पैरवी करते थे उन्होंने भी यह मुनासिब समझा। फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अदालत के सामने मामला पेश था। जजेज की भी राय थी। बड़ी मुसीबत होती है जबकि जज कहता है कि सुलह कर लो, जबकि संसदीय परम्परा यह है कि अगर कोई खेद प्रगट कर देगा तो कार्यवाही नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जितना ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ, जो भी अनुचित शब्द कहें उस समय के स्पीकर के विरुद्ध उससे कहीं ज्यादा बदतर मिसालें मिल जायंगी जिन में ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ लेकिन जहां किसी ने माफी मांग ली सारी कार्यवाही समाप्त हो गयी। मैं तो नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह सदन की शान के अनुसार होगा यदि वह इस प्रश्न पर कुछ अधिक वाद-विवाद न कर मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले फरमाया था कि ऐडवोकेट जनरल आयेंगे, कुछ हम लोगों को कानूनी रोशनी मिलेगी उससे तो हम महरूम ही रह गये, दूसरे यह भी खुशी की बात है कि आज यह पता लग गया कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आते हैं विरोधी दल न सिर्फ उनकी आलोचना ही किया करता है बल्कि मौके पर वकालत भी करता है। जहां तक 'व्लिटज' द्वारा माफी मांगने का सवाल है इसमें दो रायें नहीं हैं, बड़ी काबलियत से इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जानने की थीं। वह चीजें ऐसी हैं जैसे मिस्त्री जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने उसके बाद खुद डैमेजेज का केस दायर किया, उसमें वह हार गये। बदकिस्मती है कि वह डाकूमेंट्स भी हम को मुहय्या नहीं हुए कि क्या फैसला लोअर कोर्ट ने दिया। इस मुकदमें में तीन डेफेंडेंट्स थे--असेम्बली, जनाब नफीसुल हसन साहब और राज्य सरकार। नफीसुल हसन साहब दरअसल जाती तौर पर नहीं थे बल्कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर थे। उनकी शख्सियत की मानहानि नहीं हुई थी बल्कि आदरणीय सदन की मान हानि हुई थी। उसके वह प्रतीक थे। अब इस वक्त महज श्री नफीसुल हसन का राजीनामा करना जबकि वह अध्यक्ष नहीं हैं पता नहीं यह कहां तक ठीक है, क्योंकि जो अपमान हुआ है वह इस सदन का हुआ है। इस आदरणीय सदन से कतई नहीं पूछा गया जो कि नेसेसरी पार्टी है। अगर कोई राजीनामा हुआ तो कम से कम इतनी तो तकलीफ फरमायी होती कि एक बार यहां हम लोगों से भी पूछ लें। मेरी समझ में नहीं आता कि एक नेसेसरी पार्टी की कंसेंट से पहले राजीनामा हो जाय क्योंकि नेसेसरी पार्टी की कंसेंट कोर्ट में जरूरी होती है। बहुत सी बातें हम बाहर सुनते हैं। वे बातें हमें बुरी लगती हैं। जहां तक मुझे स्मरण है अप्रैल में यह राजीनामा हुआ है, फिर भी हमारी एक्जीक्युटिव अथारिटीज की तरफ से

कुछ ऐसी गलती हुई है जो उचित नहीं लगती है। हमारे यहां "ब्लिट्ज" ब्लैक लिस्ट हो गया, हमारे यहां प्लानिंग विभाग की ओर से उसको ब्लैक लिस्ट होते हुए विज्ञापन छापने को दिए गए।

श्री उपाध्यक्ष--आप विषयान्तर जा रहे हैं। जिस विषय में माफी का प्रश्न सामने हो तो उस सम्बन्ध में भाषण करने में संयम बरतना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--तो जिस मुकदमें में मिस्त्री साहब ने माफी मांग ली उन्होंने ठीक किया। कास्ट से वह बच गये। मुकदमें में सरकार का भी काफी खर्चा हुआ होगा और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता तो वह भी पैसा बच गया। मिस्त्री जी ने इसलें माफी मांग ली और अपनी तिजारत आगे के लिये जारी रखी।

मैं इस तरफ इशारा कर रहा था कि इस सदन का मान रखना हमारे हाथ में है यानी यह "लेजिस्लेचर सबरिन बाडो" है। एग्जिक्युटिव की तरफ से भी ऐसा काम होना चाहिये जिससे इस सदन की प्रतिष्ठा कायम रहे। अगर एक्जिक्यूटिव की तरफ से ऐसा काम होता है जिससे यहां की प्रतिष्ठा कम होती है तो इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब प्रशासनाधिकारियों ने हजारों रुपये के कीमती विज्ञापन दे डाले जब कि इस सदन के अपमान करने के कारण वह अखबार ब्लैकलिस्ट था। हमारे अधिकारियों के कारण इस सदन की प्रतिष्ठा कम हुई। मैंने यहां पर सवाल किये थे कि कितने विज्ञापन उसको, समाचार-पत्र को, दिये गये मगर वह मालूम नहीं हो सका।

जहां तक कानून का मसला है, आज उस पर अधिक रोशनी नहीं पड़ सकी। एजवोकेट्ट जनरल कानून के एक्सपर्ट हैं। वे कम गलती करते होंगे वरना इस प्रकार की जल्दीबाजी में कान करना कुछ ठीक नहीं रहता है। गोया हमने देखा है कि इसी आदरणीय सदन में करीब १७ संशोधन सेल्स टैक्स के कानून में कुछ ही साल में लाने पड़े हैं। कानूनी राय जब हमको लेनी होती है, उस वक्त बदकिस्मती से वह मिल नहीं पाती है? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि जो माफी मांगी गई है वह हमारी तरफ से दी जानी चाहिए तो हम भी यह उचित समझते हैं कि उनको माफी दी जानी चाहिये।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चाहते हुये भी, मैं यह स्वीकार करता हूं, कि राजनारायण जी की बात मैं समझ नहीं पाया। इसमें केवल विरोध उस बात का है कि यह जो इसमें शब्द है 'कि राज्य सरकार के उस बात से सहमत होने पर कि क्षमा याचना को देखते हुये वे उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध २९ सितम्बर, १९५१ ई० के उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करेंगे, आये हैं इनका विरोध है और वह विरोधी भी इस अर्थ में है कि राज्य सरकार इसके लिये सहमत नहीं हो सकती थी कि वह इस प्रकार के प्रकाशन पर कोई कार्यवाही न करने का आश्वासन दे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक पार्टी थी। उसके साथ स्पीकर भी एक पार्टी थे और एक पार्टी यू० पी० असेम्बली थी। मैं समझता हूं तीनों पार्टी के एक ही वकील थे, एडवोकेट जनरल। मेरे मित्र शायद इससे परिचित हैं कि एडवोकेट जनरल यदि कोई वकालतनामा या स्लिप दाखिल करें तो उनको कानूनी यह अधिकार है कि किसी भी वाद के सम्बन्ध में जब अवसर देखें और जब उचित समझें तो उसके सम्बन्ध में अपना राजीनामा प्रकट करें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उससे राज्य सरकार ने केवल यह आश्वासन दिया कि वह कोई कार्यवाही आगे नहीं करेंगे। मेरा माननीय मित्र से केवल इतना ही कहना है कि यदि राज्य सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन दिया और वह प्रस्ताव में आया तो उसमें कहीं भी औचित्य का उल्लंघन हुआ हो या यह कि राज्य सरकार ऐसा करने के लिये कोई आश्वासन नहीं दे सकती थी, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। राज्य सरकार तो स्वयं एक प्रतिवादी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

थी और वह इसलिये कि शायद हरजाना मांगा गया था कि उसने मिस्त्री जी को कैसे पकड़ा, किस प्रकार गिरफ्तार किया। तो उसमें राज्य सरकार ने इस प्रकार का राजीनामा किया कि वह आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और इसके संबंध में यह भी राजीनामा किया कि जो प्रकाशन हुआ उसके संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मेरी दृष्टि में यह न तो प्रस्ताव में ही आना अनुचित है और न प्रस्ताव में इसके न आने का कोई प्रश्न है। राज्य सरकार ने इस प्रकार का राजीनामा किया और इसको प्रस्ताव में लिखा गया। इसमें राज्य सरकार के राजीनामा न करने की कोई बात नहीं पैदा होती, क्योंकि राज्य सरकार को इसका पूरा अधिकार था।

एक दूसरी बात, जिसका जिक्र कि मेरे मित्र गोविन्द सिंह जी ने किया, उसका मुझे दुख है। श्रीमन् ने शायद उसको स्वयं देखने की चेष्टा की। एक बार जब हमारी ओर से कोई कार्यवाही हो और उसमें कोई भी व्यक्ति, वह कोई भी हो, खेद प्रकट करे और क्षमा याचना करे, उसमें हम यह वादविवाद करने लगें कि उसकी क्षमायाचना में यह यह त्रुटि रही, वह इस प्रकार से गलत रही, इसके संबंध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा गोविन्द सिंह जी से, आपके द्वारा श्रीमन्, कि यह कहां तक औचित्य की सीमा के अन्तर्गत आता है। हमने एक बार इसको स्वीकार किया और स्वीकार किया तो क्या आज हम इस पर विवाद करें और वह भी इस पर कि राजीनामा जो हुआ वह गलत है या यह कि राजीनामा नहीं करना चाहिये था। राज्य सरकार ने राजीनामा किया और श्रीमन्, आज उसके आगे की सीढ़ी है। जो राजीनामा हुआ उसको पूर्ण रूप से वैधानिक रूप देने के लिये, ताकि हम उसे वैध कह सकें और उस संबंध में जो कार्यवाही शेष है उसे पूरा कर सकें और वह यह कि सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने आज तक के कार्य को रख दिया जाय और हम बहुत गौरव के साथ और यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करूं तो अनुचित न होगा कि अपने स्वाभिमान के साथ उस राजीनामे को स्वीकार कर लें, उसके लिये यह प्रस्ताव है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस में न कहीं कोई कानूनी अड़चन है और न किसी और प्रकार की बात है। यह स्वाभाविक और औचित्यपूर्ण है और इस सदन की शान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुकूल है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया जाय और जिस प्रकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न हमने उस राजीनामे को स्वीकार करके किया उसको अविच्छिन्न रखा जाय और इस प्रकार की परम्परा स्थापित करके आगे के लिये भी कुछ ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे हमारी अच्छी परम्परायें स्थापित हों।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान उपाध्यक्ष जी, मैं जो अभी आचार्य जी ने जो कुछ समझाने की कोशिश की उसके उत्तर में कुछ कहना चाहता हूं। स्वयं आचार्य जी ने, श्री राजनारायण जी का जो संदेह था उसका उत्तर न देकर उसको और भ्रमात्मक बना दिया। मैं आपका ध्यान २९ सितम्बर, १९५१ वाले प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि हाउस ने किया था और वह तब तक स्टैंड करता है जब तक कि उसको राइट आफ नहीं कर दिया जाता इस प्रस्ताव के द्वारा। बीच में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। उनकी तारीख, ३ अप्रैल, १९५८ की है। इन डेवलपमेंट्स में कोई साहब, चाहे वह नकीसुल साहब हों या स्टेट का कोई रेप्रेजेन्टेटिव हो, अगर वह राजीनामा कर लेते हैं, तो क्या यह प्रिविलेज का सवाल नहीं होता, जब तक कि हाउस उनको अथाराइज न करे। यदि अथाराइज करने की बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नहीं सोची अथवा उचित नहीं समझी तो हाउस को अधिकार है कि वह उनसे पूछ सके कि उन्होंने ऐसा अधिकार क्यों नहीं लिया। एक प्रस्ताव जो हमारा सदन करता है वह उसके संबंध में गाइडेंस दे सकता है या किसी किस्म का अधिकार उसके संबंध में दे सकता है। इस हालत में मैं देखता हूं कि बिना अथाराइजेशन के एक समझौता कर लिया गया और वह भी ३ अप्रैल, १९५८ को किया गया और उसकी स्वीकृति आज हमसे मांगी जा रही है। इसमें कई ऐसी चीजें

हैं कि जो हाउस का कंटेंप्ट होती हैं और इसलिये कहा जा सकता है कि दूसरा ब्रीच आफ प्रिविलेज पैदा होता है और ऐसा कहना अनावश्यक नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि हाउस का ही राइट था कि जब तक वह अथाराइज न करे तब तक किसी को भी, न तो नफीसुल साहब को और न स्टेट के किसी प्रतिनिधि को ही, समझौता करने का अधिकार था और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो यह नया ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इस मामले को समाप्त करने के लिये जो कहा गया है, मैं उसके पक्ष में हूं लेकिन यह कार्यवाही अनअथराइज्ड है और इसके लिये चाहे नेता हों अथवा अध्यक्ष, उनको पहले हाउस को कांफीडेंस में लेना चाहिये था। इस प्वाइंट को सामने रखा गया और उसके बाद भी वह समझ नहीं पाये, यह एक आश्चर्य की बात है। मैं इस पक्ष में हूं कि चैप्टर क्लोज किया जाय लेकिन इसके साथ सरकार को उन चीजों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है।

श्री राजबिहारी सिंह (जिला वाराणसी))--मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अभी मदन जी खड़े हुए थे। वह एक पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं। उनकी राय जानने के बाद मैं इसको ले लूंगा।

श्री मदन पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, यूं तो बाल की खाल अगर निकाली जाय तो कितनी निकल आयेगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं नेता विरोधी दल की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रेस के संबंध में यह परम्परा बन गयी है कि अगर सार्वजनिक रूप से और अनकंडीशनल एपोलोजी हो जाय तो उसको माफ किया जाता है और उसी परम्परा की रक्षा के निमित्त प्रेस की स्वतंत्रता पर और अधिक आघात न पहुंचने पाये इसके लिये आवश्यक है कि इस वक्त माफी दी जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके जो शब्द हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और नफीसुल साहब दो ही पार्टियां हैं। विधान सभा तीसरी पार्टी नहीं थी और उन्हीं दोनों से उन्होंने माफी मांगी थी। तो तीसरी पार्टी विधान सभा थी या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं। क्षमा याचना भी दो ही पार्टियों से की गयी है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माफी उन्होंने विधान सभा से मांगी है और स्पीकर से मांगी है।

श्री चन्द्रजीत यादव--इसमें यह लिखा है कि "अपीलकर्त्ता के श्री नफीसुलहसन तथा राज्य सरकार से, जो कि विरोधी पक्ष संख्या १ व २ थे, अपरिच्छिन्न क्षमा-याचना करने पर· · ·" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें तीसरी पार्टी विधान सभा थी या नहीं। यदि थी तो उससे माफी मांगने का जिक्र इसमें नहीं है। मैं इसी को जानना चाहता था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने माफी के शब्द पढ़ दिये थे और फिर पढ़े देता हूं:--

"I tender my apology both to the Speaker of the Uttar Pradesh Assembly and to the Assembly itself."

श्री चन्द्रजीत यादव--प्रस्ताव में संशोधन हो जाना चाहिये क्योंकि जब माफी असेम्बली से भी मांगी गयी है तो एक भ्रम पैदा हो सकता है कि माफी राज्य सरकार से मांगी और नफीसुल हसन साहब से मांगी, जो कि उस समय अध्यक्ष नहीं थे। तो यह भी आ जाना चाहिये कि विधान सभा से भी उन्होंने माफी मांग ली है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जो वाद-विवाद यहां हुआ उससे एक बात स्पष्ट है। जहां तक माफी दिये जाने का प्रश्न है उसमें किसी माननीय सदस्य को एतराज नहीं है। जो प्रस्ताव हमारा है उसको सभी मानते हैं। जो दूसरा प्रश्न उठाया जा रहा है कि सरकार को या सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल साहब को यह नहीं करना चाहिये था, यह एक दूसरा प्रश्न है जो कि अलग से उठ सकता है अगर कोई माननीय सदस्य उसको उठाना चाहें कि बिना सदन की अथारिटी के उन्होंने कंटेंप्ट क्यों किया। लेकिन इस विषय में तो, जब सब लोग इस बात के लिये राजी हैं कि माफी दी जाय और माफी हम लोगों ने अखबारों में छपी हुई पढ़ भी ली है और सुन भी ली कि असेम्बली से मांगी जा रही है और स्पीकर साहब से मांगी जा रही है, तो उसे हमको स्वीकार करना चाहिये। और श्रीमन्, यह गलतफहमी नजर आती है कि पनिशमेंट हाउस भी दे चुका था और सदन ने १९ मार्च, १९५२ को एक संकल्प द्वारा श्री होमी दिनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का दोषी ठहराया तथा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि वे आवश्यक आदेशिका जारी करें कि उक्त श्री मिस्त्री ऐसा दंड पाने के लिये सदन के समक्ष उपस्थित हों जो कि उनका ऐसा निवेदन सुनने के बाद, जो वह करना चाहें, सदन निर्धारित करे।

यानी वे हाउस की बार के सामने आते और अपना एक्सप्लेनेशन देते और फिर हाउस जो भी पनिशमेंट चाहता देता। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको मानने के लिये हम विवश हैं और हमको मानना भी चाहिये। अब प्रश्न यह रहता है कि वह बार के सामने नहीं आये। वे हाईकोर्ट में गये, गवर्नमेंट को एक पार्टी बनाया, उन्होंने डैमेजेज के लिये दावा दायर किया। यह उनके वकीलों ने उनको ठीक सलाह नहीं दी। यह उनकी डिमांड कायदे की नहीं थी, लेकिन यद्यपि उन्होंने कंटेम्प्ट इस हाउस का किया लेकिन जब उन्होंने माफी मांग ली तो हाउस की परम्परा के अनुसार हमें यह माफी अब दे देनी चाहिये। मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस में भी इस प्रकार के बहुत से केसेज हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं--

"In a recent case, after the House had considered a special report from a select committee and had resolved that the offence reported constituted a contempt of the House, a motion was made for the attendance of the incriminated party. Debate on this motion was adjourned until the next day. On the order of the day being read for resuming the adjourned debate, the Speaker announced that he had received a letter of apology from the offender which he read ; the motion for attendance was not proceeded with."

अब परिस्थिति यह है कि इस हाउस ने एक फैसला दिया कि उनको यहां लाया जाय और हाउस के सामने वे अपनी बात कहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अन्त में सुप्रीम कोर्ट की आज्ञानुसार उन्होंने अनक्वालीफाइड माफी मांग ली। अब हमें पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार उनकी इस माफी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

मैं 'ब्लिट्ज' अखबार को इसके लिये तो बधाई दूंगा कि उन्होंने इस माफी को मांग कर संसदीय जनतंत्र को एक प्रकार से मजबूत किया है। वह एक बहुत ही इम्पार्टेंट अखबार है और फ्रीडम आफ प्रेस का हामी है। उसने इस वक्त माफी मांग कर इस हाउस की इज्जत को बढ़ाया है और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इससे हमारी भी इज्जत बढ़ती है।

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई विरोधीदल के अधिकारों की बात नहीं है और न सरकार ही इसमें एक पार्टी है। यह विशेषाधिकार किसी राजनैतिक पार्टी के नहीं होते, वह तो हाउस के हैं, हाउस में मिले-जुले अधिकार हैं, किसी पार्टी के अधिकार नहीं हैं। जब हम किसी प्रिविलेज के मामले को उठाते हैं तो किसी पार्टी के नाते नहीं उठाते। उसको हम एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य के व्यक्तिगत रूप में डिस्कस करते हैं, विरोधी पार्टियों या राज्य सरकार के नाते उसको डिस्कस नहीं करते हैं, केवल सदन की मान-मर्यादा के नाते उस प्रश्न को उठाते हैं। इसलिये प्रथा के अनुसार हमें उनकी माफी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

एक बात का अवश्य मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। वह यह कि एडवोकेट जनरल इस हाउस के विधान के अनुसार मेम्बर हैं तो उनको इस हाउस में आना चाहिये। इस मामले में तो इसका प्रश्न पैदा ही नहीं होता, लेकिन जहां दूसरे कानूनी मसले यहां उठते हैं उनमें अपनी राय देने के लिये उनको यहां आना चाहिये। यद्यपि हम उनको इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते लेकिन प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि वे, जब भी यहां कानूनी मामले प्रस्तुत हों, यहां उपस्थित रहा करें और जब हाउस के सदस्य रिक्वेस्ट करें तो, सामान्यतः उनको यहां आना चाहिये। यह बात जो माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने कही, उससे मैं सहमत हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्रिविलेज के क्वेश्चन पर क्लोजर मूव नहीं होता है।

श्री मोतीलाल अहस्थी---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान ब्रेविटी आफ डिबेट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें लिखा है---

"The debate at all stages on question involving breach of privileges shall be brief."

लंबी लंबी स्पीचें सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी हमारी बदकिस्मती है कि जो बहुत ही साफ और सीधी बात हम कहते हैं उसे भी समझने में कुछ माननीय सदस्यों को दिक्कत होती है और कभी-कभी जैसा कि हमारे देहातों में एक कहावत है--- "खुरपा का विवाह हंसुए से"! तो खुरपे का विवाह हंसुए से यहां भी होने लगता है। सीधी-सी बात है कि एक लाइन का यह प्रस्ताव लाया जाता---"चूंकि होमी दिनशा मिस्त्री ने क्षमा याचना कर ली है इसलिए यह सदन इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझता" हम उससे पूर्णतः सहमत होते। लेकिन यहां एक भावात्मक दृष्टि से बात की जाती है, जिससे मालूम हो कि हम क्षमा देने के विरोधी हैं। हमारे माननीय सदस्य रईसे मथुरा कहते हैं कि यह संसदीय परम्परा है। वे हम को संसदीय परम्परा सिखलाना चाहते हैं जो संसदीय परम्परा के रग-रग को समझे हुए हैं। यह सरकार की अधिकार सीमा के बाहर की बात है कि वह इस पर अपना निर्णय अलग से दे दे, क्योंकि पहले यह सदन एक निर्णय ले चुका था कि श्री होमी दिनशा मिस्त्री को यहां बुलाया जाय और सदन का वह निर्णय आज तक स्टैन्ड करता है। जब तक सदन का वह निर्णय है तब तक सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर और कोई कार्यवाही करने के लिए कहे।

माननीय त्रिलोकी सिंह जो ने जितनी बातें कही हैं वे सब हमारे पक्ष की हैं लेकिन इसका फैसला जो है वह ऐसे जज की तरह से है कि जितना आर्गुमेंट हुआ वह तो हमारे पक्ष में हुआ और निर्णय हो गया माननीय मुख्य मन्त्री जी के पक्ष में। अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। उन्होंने ठीक ही कहा कि राज्य सरकार ने कोई मुकदमा चलाया नहीं है, फिर राज्य सरकार कहां से बीच में आती है, राज्य सरकार को आश्वासन देने का कोई हक नहीं है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण का सारा लुब्बेलवाब यही निकला कि राज्य सरकार ने जो यह आश्वासन दिया है कि हम आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, यह उसके अधिकार सीमा में आता नहीं है। उसको इस तरह का कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए। हम उनके मतलब को समझते हैं। इसी तरह से माननीय नारायणदत्त जी ने बड़ी अपील की और संसदीय परम्परा, विश्व बन्धुत्व तथा भाई चारे की दुहाई दी। यह ऐसा बढ़िया और सुन्दर शब्द है जो सुनने में मधुर

[श्री राज नारायण]

होता है लेकिन व्यवहार में कठोर होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस तरह का कोई संशोधन लायें नहीं तो हमारा जो संशोधन है वह अन्त तक रहेगा कि राज्य सरकार इस बात से सहमत है और वह क्षमा याचना को देखते हुए श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध २९ सितम्बर, १९५१ के उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने की सिफारिश सदन से करती है---अगर यह लाया जाता तो इससे सदन की मर्यादा बढ़ती ही और राज्य सरकार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं नारायणदत्त जी से जानना चाहता हूं कि ये ऐसे शब्द हैं जो बिलकुल निर्दोष हैं और सदन की मर्यादा को भंग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे तो सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही। इस लिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि अपने प्रस्ताव द्वारा इसकी पेचीदगियों को और न बढ़ावें। आश्वासन देने का अधिकार सदन को ही है न कि सरकार को। इस तरह से आश्वासन देकर तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ही सदन का अपमान किया है। इसलिए मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कोई विशेष बहस व विवाद की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में यही बात कह दी जाती कि श्री होमी दिनशा मिस्त्री द्वारा क्षमा याचना के बाद अब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं समझता हूं कि इससे सभी सहमत होते, इसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन देखते-देखते मेरी नजर उस पर पड़ गयी और मैं समझता हूं कि सदन के जो सचेत मेम्बर हैं उनकी इच्छा को ठेस पहुंचती है जब कि सदन के निर्णय का खयाल नहीं रखा जाता। माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन से सिफारिश करते तो सदन उसको मानता ही, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन से सिफारिश करने के बदले स्वयं ही अपना एक फैसला कर लिया कि सदन की तरफ से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह उन के अधिकार में नहीं था। यह एक सिम्पुल, साफ और छोटा सा हमारा संशोधन है, इसे आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---उसे तो आप ने पेश ही नहीं किया है।

श्री राजनारायण---अभी तो माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं इसे आज नहीं ले रहा हूं। लेकिन फिर बाद में इसे रख दिया। लिहाजा अब मैं आप को अपना संशोधन दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप एक दफा भाषण कर चुके हैं फिर आप भाषण करना चाहते हैं?

श्री राजनारायण---मैं बोलूंगा नहीं, संशोधन ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---संशोधन लिख कर भेज दीजिये। उसे मैं पहले देख तो लूं।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे संशोधन को अवश्य समझ जायेंगे और वे मेरे संशोधन पर अवश्य गौर करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, उनसे पूछ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप लिख कर भेज दें। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछ लूंगा कि वे उसे स्वीकार करते हैं या नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक निवेदन करना नहीं है। जिसको आपरेटिव पार्ट कहा जाता है उस के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है नहीं, लेकिन जो भूमिका वाला ऊपर का हिस्सा है, जो मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक अंग है इस प्रस्ताव का, उसने कई मित्रों को गवर्नमेंट के सम्बन्ध में बहुत सी बातों को कहने का मौका दिया, इसलिए जरूर व हमारे कृतज्ञ होंगे। बहरहाल मेरी मजबूरी है। मैं इस किस्म के किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अनावश्यक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"ब्लिट्ज" पत्र के स्थानापन्न सम्पादक श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने उक्त पत्र के दिनांक २९ सितम्बर, सन् १९५१ ई० के अंक में अपने लखनऊ स्थित संवाददाता से प्राप्त एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें कि तत्कालीन अध्यक्ष श्री नफीस-उल-हसन पर आक्षेप थे,

और इस सदन ने अपने ७ मार्च, १९५२ ई० के उपवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया, जिस में अध्यक्ष से यह प्रार्थना की गयी थी कि वे उनको (श्री मिस्त्री को) सदन के समक्ष उपस्थिति के लिए आवश्यक आदेशिका जारी करें,

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री को,जिनको कि गिरफ्तार कर के लखनऊ लाया गया था सदन के समक्ष उपस्थित कर सकने के पहले ही उच्चतम न्यायालय की आज्ञानुसार छोड़ दिया गया और फिर श्री होमी दिनशा मिस्त्री सदन के समक्ष उपस्थित नहीं हुये, यद्यपि उन पर दिनांक १८ मार्च, सन् १९५२ ई० के नोटिस की तामील हो चुकी थी, जिसमें कि उन से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सदन के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी थी, और जिसका उन्होंने पालन नहीं किया,

और सदन ने १९ मार्च, सन् १९५२ ई० को अंगीकृत एक संकल्प द्वारा विशेषाधिकार समिति का निष्कर्ष स्वीकार कर लिया और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का दोषी पाया तथा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि वे आवश्यक आदेशिका जारी करें कि उक्त श्री मिस्त्री ऐसा दण्ड पाने के लिए सदन के समक्ष उपस्थित हों जो कि उनका ऐसा निवेदन सुनने के बाद जो वह करना चाहें, सदन निर्धारित करे,

और उक्त श्री मिस्त्री ने (उक्त आदेशिका का पालन न करके) बम्बई उच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में उक्त श्री नफीस-उल-हसन इस राज्य सरकार तथा अन्य के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत कर दिया जिसमें कि उन्होंने दोषपूर्ण गिरफ्तारी तथा निरोध के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की, और जो उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया,

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील-न्यायालायाल एक अपील प्रस्तुत की, जिस अपील न्यायालय में बम्बई उच्च न्यायालया के मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० सी० छागला और न्यायाधिपति श्री एस० टी० देसाई थे, और अपीलकर्त्ता के श्री नफीस उल हसन तथा राज्य सरकार से, जो कि विरोधी पक्ष संख्या १ व २ थे, अपरिच्छिन्न क्षमा-याचना करने पर तथा "ब्लिट्ज" के आगामी अंक में उक्त अपील न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रूप में क्षमा-याचना प्रकाशित करने का वचन देने पर, तथा उक्त श्री नफीस उल हसन और इस राज्य सरकार के इस बात से सहमत होने पर कि क्षमा-याचना को देखते हुए वे उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध २९ सितम्बर, १९५१ ई० के उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करेंगे, उक्त अपील न्यायालय ने, दिनांक ३ अप्रैल, सन् १९५८ के एक सहमतिपूर्ण आदेश द्वारा अपील तथा वाद खारिज कर दिये,

और उक्त सहमतिपूर्ण आदेश के अनुसरण में उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री ने इस सदन से तथा इसके अध्यक्ष से उक्त सहमतिपूर्ण आदेश के प्रदर्श "ए" के अनुसार "ब्लिट्ज" के १२ अप्रैल, सन् १९५८ ई० के अंक में उसका प्रकाशन करके क्षमा-याचना कर ली है,

[श्री उपाध्यक्ष]

और उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के उक्त क्षमा-याचना कर लेने से इस सदन के तथा अध्यक्ष के मान एवं प्रतिष्ठा का पूर्णरूप से प्रतिपादन हो गया है,

अतः अब यह सदन दिनांक १९ मार्च, १९५२ ई० को इस सदन द्वारा अंगीकृत संकल्प के अनुसार उक्त श्री होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। आप ने हमें आज्ञा दी कि मैं संशोधन लिख कर दूं। मैंने संशोधन भेज दिया और हमारे संशोधन पर पहले वोट नहीं लिया गया यह जानते हुए भी कि हमने अपना स्पष्ट मत दे दिया था, दूसरा आपरेटिव क्लाज है उससे सहमत हैं, मगर ब्योरे में एक छोटा-सा संशोधन करना चाहते हैं, तो लिखित संशोधन भेज दिया। मैं समझता हूं उस संशोधन पर पहले वोट लेना चाहिए था। इसमें हमारे दो हकों का हनन होता है। मान लीजिये अगर इसी मूल प्रस्ताव पर वोट लिया जाय तो या तो मूल प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें या विपक्ष में दें। तो अगर विपक्ष में वोट देते हैं तो आपरेटिव क्लाज के भी हम विरोधी हैं, जो हम चाहते नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो उसके बीच के ब्योरे से सहमत हैं उनके संशोधन को पूर्व लिया जाना चाहिए वरना हमारी क्या स्थिति होगी .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझ गया आपकी बात।

माननीय राजनारायण जी बहुत पुराने सदन के सदस्य हैं। उनको मालूम है कि संशोधन पेश कर के ही भाषण किया जाता है। माननीय राजनारायण जी ने कोई भी संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित नहीं किया। उन के कुछ सुझाव थे जिस के बारे में क्या शब्दावली होगी, अन्त तक निश्चित नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास भेजें। मैंने उनसे कह दिया था कि उसके बारे में, वह नियमित है या नहीं, मैं देखूंगा। इस तरह से अनौपचारिक रूप से बात हो रही है। मैंने राजनारायण जी से यह भी कहा कि एक प्रति माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भी भेज दें, यदि वे किसी किस्म के संशोधन को मानने को तैयार हो जायं तो अच्छा है। इस तरह आपसी समझौते से काम चल जाता। इसी बीच में वाद विवाद खत्म हो गया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना भाषण किया। उस समय तक जब कोई संशोधन हमारे सामने था नहीं, तो राय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजनारायण—मैं आप के द्वारा सदन को बता दूं कि आप के कहने पर हमने संशोधन लिख कर भेजा .....

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है। मेरे सामने आया, लेकिन पेश नहीं हुआ। अब यों तो एजेन्डे में बहुत से संशोधन छपे हैं ...

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं, हमारा नोटिस ले लिया जाय क्योंकि यह घटना 'इन दी आई आफ दी हाउस' हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—किसके खिलाफ ?

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ मैं इस सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित करूंगा और वह यह है कि इस सदन ने "ब्लिट्ज" अखबार के विरुद्ध एक कार्यवाही की थी। वह कार्यवाही तब तक चालू है और रहेगी जब तक यह सदन उस कार्यवाही .....।

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले उसे लिखें और लिख कर मुझे भेज दें।

श्री राजनारायण—हां, मैं तो नोटिस दे रहा हूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे लिए नियम दूसरे ढंग से आ जाते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—वह आप के लिए आते तो ठीक ही हैं। आप उनको दूसरी तरह से देखते हैं।

नोटिस दे दीजिये, उस पर विचार होगा कि वह नियमित है या नहीं, उस पर विचार करूंगा। नोटिस के अभाव में आप का प्रश्न . . . .

श्री राजनारायण—हम आपको सूचना दे रहे हैं। मैं इस विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह आश्वासन देता हूं कि उपयुक्त समय पर नोटिस न देने के अभाव में आपका प्रस्ताव अस्वीकृत न किया जायगा।

अब सचिव विधान सभा कुछ घोषणाएं करेंगे।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् ने अपनी १३ अगस्त, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ सितम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ अगस्त, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ सितम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ सितम्बर, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ सितम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ सितम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधियिमन बन गया।

उत्तर प्रदेश (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (१९५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५८, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अक्तूबर, १९५८ को प्राप्त हो गयी, और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधियिनम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १८ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अक्तूबर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अक्तूबर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ अक्तूबर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ८ अक्तूबर १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३४वां अधिनियम बन गया।

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ अक्तूबर, १९५७, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३५वां अधिनियम बन गया।

लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ सितम्बर, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २४ अक्तूबर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ सितम्बर, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ सितम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ नवम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३७वां अधिनियम बन गया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों की सूची †

सचिव, विधान सभा--मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, इन परिनियमों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न चाहता था कि यह चीज जो सचिव, विधान सभा, की ओर से रखी गयी है वह माननीय शिक्षा मन्त्री की ओर से रखी जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष--यह संशोधनों की सूचना विधान परिषद् की ओर से आयी है उसी को उन्होंने सदन के समक्ष रखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, चूंकि यह संशोधन स्टैट्यूट्स पर हैं और उन पर विचार करने के लिए नियमावली में कोई नियम नहीं है इसलिए जिस तरह से कि नियम १२५ में विचार होता है उसी प्रकार इस पर भी विचार होना चाहिये। अब चूंकि यह विधान परिषद् से आया है इसलिए जब तक हम इस पर विचार न कर लें तब तक यह स्टेट्यूट का अंग नहीं बन सकता, इसी से मेरा विचार था कि इस को माननीय शिक्षा मन्त्री जी को पेश करना चाहिए था और विधान सभा को उस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए था और नियम १२५ के अनुसार ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। नियम १२५ है कि "यदि यह प्रस्ताव कि विधेयक उन संशोधनों सहित जो परिषद् ने किये हों विचारार्थ लिया जाय स्वीकृत हो जाय तो अध्यक्ष ऐसे संशोधनों को इस प्रकार सभा के समक्ष रखेगा जिसे वह उन पर विचार करने के लिए सब से अधिक सुगम समझे।

"(ख) परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करते समय ऐसे संशोधनों के विषय से सुसंगत संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, किन्तु विधेयक में कोई अन्य संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि वह परिषद् द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।"

तो यह विचार के लिए समिति में नियत किये जायेंगे। अब १२३ में यह है विधेयक पर विचार के लिए, "विधेयक के इस प्रकार सभा की मेज पर रखे जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मन्त्री अथवा किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देने के पश्चात्....।" तो मंत्री, शिक्षा मन्त्री आते हैं, ये सरकारी सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष--१२३ के अनुसार आपका कहना ठीक है कि जब विचारार्थ प्रस्तुत होंगे तब तो मन्त्री को करना होगा, लेकिन सूचनार्थ जब पेश करना हो, मेज पर रखना हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप विचार एक दम से शुरू कर देंगे। माननीय मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि इसके ऊपर विचार किया जाय, यह तो मन्त्री को ही करना होगा।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

**छापा नहीं गया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बतलाने की जरूरत नहीं कि यह नियमावली कई बार, कई सालों से सदन के विचाराधीन थी और पिछले सितम्बर में जिस समय एक नियमावली का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था उस समय फिर सदन ने यह निश्चय किया कि इनमें अन्य संशोधन जो आ गये हैं वह फिर उसी प्रवर समिति के पास भेज दिये जायं और उस प्रवर समिति ने काफी छान बीन करने के बाद इन नियमों को सुधार लिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी निर्णय एकमत से हुए हैं और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोक सभा की नियमावली के अनुरूप ही हम इस सदन के नियम भी बनावें ।

दो महत्वपूर्ण बातों पर भी प्रवर समिति ने विचार किया । पहली बात यह थी कि सदन की संसदीय समितियों की बैठकें गुप्त बैठकें हों या नहीं, और उन में कौन-कौन लोग जायं । इस सम्बन्ध में यह तय हुआ कि कोई नियम तो न बनाया जाय, लेकिन जो सर्वमान्य कनवेंशंस और परम्पराएं हैं उन के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए ।

दूसरा विषय यह था कि संसदीय समितियों की अध्यक्षता कौन करे ? उपाध्यक्ष करें या कोई गैर सरकारी सदस्य करे । हमारे यहां यह परम्परा बन गयी है कि संसदीय समितियों के माननीय मन्त्री भी अध्यक्ष होते रहे हैं ; उस पर समिति ने विचार किया और सभी सदस्य इस सम्बन्ध में एक मत थे कि या तो उपाध्यक्ष को या किसी गैर सरकारी सदस्य को संसदीय समितियों का चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन समिति ने यह तय किया कि इस सम्बन्ध में, चूंकि अध्यक्ष को अधिकार है तो परम्परा के अनुसार यह कार्यवाही होनी चाहिए कि ऐसी समितियों के सभापति या तो उपाध्यक्ष हों या कोई गैर सरकारी सदस्य ।

मैं आशा करता हूं कि इस उपवेशन में तो यह नियमावली अवश्य ही पारित हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—इसके लिए तो यही नियम रहेगा कि आप जैसे कोई विधेयक उपस्थित करते हैं और उस पर विचार किया जाता है उसी प्रकार से एक एक खंड या नियम ले लिया जायगा और उपाध्यक्ष ही इसको पायलेट करेंगे बिल की तरह । चूंकि यह सदन का कार्य है इस लिए असरकारी दिन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बहस हो सकती है किसी भी रोज, जिस दिन हम निश्चय करें—पूर्व निश्चित दिन कार्यक्रम में तो निश्चित है ११ दिसम्बर की तारीख । तो उस रोज विचारार्थ आप उपस्थित करें और उस के ऊपर विचार होगा ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७२-३८८ पर)

इंटरटेनमेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरटेन्मेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९०-३९५ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में माल (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१५१ (आर०) एस०/१-(क) माल (घ) (२१)---डी०-५५, दिनांक २८ अगस्त, १९५८ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० पंचायत राज नियमावली में पंचायतराज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ६२६४-प/३३---५५२-५७, दिनांक २८ जून, १९५८ तथा संख्या १५४३-प-ज/३३---१२-५८, दिनांक २४ जुलाई, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बृहत्-जोतकर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८३८/१-स---५१९-सी०-५८, दिनांक ३० सितम्बर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

*यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्ति†

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३६८७/१०-९६०---५-५७, दिनांक १ अक्तूबर, १९५८ को उक्त धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७४४ (आर०) एस०/१ (क)---५१७ (डी०)-५६, दिनांक १ अगस्त, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

* छापे नहीं गये ।
† छापी नहीं गयी ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० क अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० (आर०) ए० (एम०)/१६ (१९४०) टी०-एम०-३०---४८४००-(टी०)-५८, दिनांक २४ सितम्बर, १९५८, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

स्टेट हेल्थ बोर्ड के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में विधान सभा द्वारा पूर्व निर्वाचित सदस्यों का कार्य-काल १८ अक्तूबर, १९५८ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में विधान सभा द्वारा पूर्व निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल १८ अक्तूबर, १९५८ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर, की समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड ट्रस्ट, कानपुर की समिति में श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा, जो ३१ मार्च, १९५७ के अपराह्न से विधान सभा के विघटन के कारण उक्त समिति के सदस्य नहीं रह गये, के स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड ट्रस्ट, कानपुर की समिति में श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा जो ३१ मार्च, १९५७ के अपराह्न से विधान सभा के विघटन के कारण उक्त समिति के सदस्य नहीं रह गये, के स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के दो दो अतिरिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंकि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में दो अतिरिक्त स्थानों पर शेष अवधि के लिये कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

---

*छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में दो अतिरिक्त स्थानों पर शेष अवधि के लिये कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---इनमें से ४ प्रस्ताव जिनके संबंध में जिक्र हुआ है उसमें एक अतिरिक्त स्थान भरने के लिये है और ३ रिक्त स्थानों के लिये हैं इसलिये उनके लिये कार्यक्रम चुनाव का मैं इस प्रकार सभी के लिये निर्धारित करता हूं कि :---

१---नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	४ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ४ बजे तक ।
२---नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय (सचिव के कमरे में) . .	४ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ५ बजे तक ।
३---नाम वापसी की अंतिम तिथि . .	१० दिसम्बर को ५ बजे सायंकाल तक ।
४---निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में	१२ दिसम्बर को २ बजे से ५ बजे सायंकाल तक ।

शनिवार, ६ दिसम्बर, १९५८ को विधान सभा की बैठक होने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती । परन्तु विधान सभा के समक्ष कतिपय विधेयकों को शीघ्र पारित होने की आवश्यकता को देखते हुए तथा उक्त उपनियम (२) के तत्संबंधी उपबंधों को निलम्बित करते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा की

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बैठक शनिवार, ६ दिसम्बर, १९५८ को भी निर्धारित समय पर हो ।

यह प्रस्ताव बड़ा आवश्यक है । माननीय सदस्यों को कुछ अन्दाज तो है ही कि क्या क्या काम होने वाला है । कई काम बहुत जरूरी हैं जैसे कृषि विश्वविद्यालय का विधेयक है, उसको बहुत जल्दी पास होना है। उसी तरह से कुछ ऐसे हैं जिनका रुपये से सम्बन्ध है । उन चीजों का भी पास होना बहुत जरूरी है । इसलिये मैं इसकी पेश कर रहा हूं कि अगले ६ दिसम्बर को, जो शनिवार है इस सदन की बैठक हो । मैं आशा करता हूं सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि शनिवार, ६ दिसम्बर को यह सदन बै इस प्रस्ताव का मैं समर्थन नहीं कर सकता । मैंने अनेक बार इस सदन की सेवा में यह निवेदन किया है कि कानून बनाने का काम ऐसा सोच विचार का है कि उसमें जल्दी नहीं होनी चाहिये । मेरे इस विचार की पुष्टि इससे और भी होती है कि जो विधेयक यहां पारित किये जाते हैं, पारित नहीं होने पाते हैं कि एक संशोधन स्वयं सरकार की तरफ से आ जाता है । इतना ज्यादा लेजिस्लेशन हुआ है पिछले दस सालों में कि पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ इस देश और इस देश के बाहर । अगर उसकी संख्या उधर के माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जानना चाहें तो उनकी सेवा में पेश करूं कि १९४६ में जितने कानून उत्तर प्रदेश में लागू थे उसके दूने कानून दस-ग्यारह साल के अन्दर यहां पास किये गये और बार-बार संशोधन लाने से जनता को असुविधा हुई है । माननीय नेता सदन ने यह फरमाया कि कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दी हो जायं । उन जल्दी के कामों में एक विधेयक है उत्तर प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय विधेयक, १९५८ पर विचार । उसी के नीचे जो हम लोगों को विधान सभा का कार्यक्रम दिया गया है उसमें है कि यह प्रवर समिति को निर्दिष्ट होगा । यह कोई इस बैठक में स्वीकार होने नहीं जा रहा है। एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन बहस हो या दो ही घंटे बहस हो, वह सेलेक्ट कमेटी को चला जायगा, पास नहीं होगा । इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जिनमें टैक्स लगाने की बात है । यदि टैक्स लगाने की बात है तो और भी सोच-विचार आवश्यक है । इसलिये मैं, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसके पक्ष में नहीं हूं, उसका विरोध करता हूं और मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव पर आग्रह न करें । सदन की बैठक १५ तक है, १७, १८, १९, दो-तीन दिन बढ़ सकती है जरूरत पड़ने पर, और मुझे विश्वास है कि इस आदरणीय सदन के जितने माननीय सदस्य हैं, उसके सेवकों के नाते वह १५ दिसम्बर के बाद भी एक दो दिन अधिक लखनऊ में ठहर कर सदन की बैठक में भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दे देता हूं । तारीख ६ के प्रस्तावित कार्यक्रम में यह दिया हुआ है कि "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित होगा, यदि उस समय तक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया)।" यानी इसका मतलब यह निकलता है कि यदि उस समय तक प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया तो वह तारीख ६ को ही विचारार्थ ले कर धारित कर दिया जायगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, २ दिसम्बर का है। तब से यह कार्यक्रम में चढ़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—६ दिसम्बर को शनिवार पड़ता है जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं । उस रोज वह चाहते हैं कि वह विधेयक पास हो जाय ।

श्री त्रिलोकी सिंह—इतनी जल्दी कैसे पास हो सकता है ?

*श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, अगर काम की जल्दी है और एक दिन और ले लिया जाय तो इसमें किसी को एतराज नहीं है क्योंकि बजट के समय में भी काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की अधिकता के कारण शनिवार ले लिया जाता है । लेकिन अब तो यह एक परम्परा सी बनती जा रही है कि शनिवार ले लिया जाता है । इतवार और शनिवार का दिन पार्लियामेंटेरियन लोगों ने इस बात को सोच समझकर रखा है कि इन दो दिनों के लिये अवकाश दिया जाय जिसमें लोगों को मौका मिले अपने क्षेत्रों में जाने का और पार्लियामेंटरी वर्क करने का । इस वजह से यह दो दिन छोड़ दिये गये हैं । अब यह शनिवार हमसे लिया जा रहा है । इसलिये मैं नेता विरोधी दल से पूर्ण सहमत हूं कि यह शनिवार न लेकर आगे की तारीख का कोई दिन ले लिया जाय ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । एक तो इसलिये कि जैसी माननीय नेता विरोधी दल की राय है कि यहां पर लेजिस्लेशन ज्यादा होता है तो जल्दी में विचार पूर्ण रूप से नहीं होता है । इसलिये जहां १५ तारीख तक रखा गया है वहां १६, १७ तारीख तक भी काम किया जा सकता है । एक दो दिन का फर्क पड़ सकता है तो इधर का दिन न लेकर उधर १६ या १७ तक काम चल सकता है ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई खास प्रकाश नहीं डाला कि ऐसा कौन सा बिल है कि यदि उसको ६ दिसम्बर को नहीं लिया गया तो बाद को क्या कठिनाई पड़ेगी । उन्होंने कुछ पैसे वाले बिल का जिक्र किया लेकिन एक दिन में उस पर क्या फर्क पड़ता है ।

तीसरी बात यह है कि अगर शनिवार ले लिया जाता है तो आमतौर पर इसमें सभी विधायकों को परेशानी होती है और वे अपने क्षेत्रों को जाकर नहीं देख पाते हैं और लगातार यहां हाउस में उनको रहना पड़ता है । यही सब बातें सोचकर यह निश्चय किया गया है कि शनिवार और इतवार को बैठक न हुआ करे । हमको यह भी नहीं मालूम हो सका है कि ऐसा कौन सा जरूरी बिल है जिस पर विचार होना बहुत जरूरी है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन अपनी राय इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं देगा ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें डर लगता है कि बजट के समय मुख्य मंत्री जी फिर शनिवार को छोड़ने के लिये प्रस्ताव लायेंगे । यह एक परम्परा बनती जा रही है । मैं सारे माननीय सदस्यों का विचार यह कहकर प्रकट कर रहा हूं कि इस प्रकार से शनिवार लेना उचित नहीं है । मैं आपका ध्यान अपने जिले की विशेष परिस्थिति की तरफ आकर्षित करता हूं कि कानपुर में प्रत्येक मास डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की बैठक हुआ करती है । इस मर्तबा भी हमारे सामने बहुत अहम मसले हैं । शनिवार को छुट्टी मिल जायगी तो हम लोग वहां पर जाकर शरीक हो सकते हैं बल्कि यों कहिये कि शनिवार को उस कौंसिल की बैठक इसीलिये रखी गयी है कि शनिवार को असेम्बली की बैठक नहीं हुआ करती । इस तरह से यदि यहीं रहना पड़ा तो हमें अपने जिले का काम छोड़ना पड़ सकता है । मेरी समझ में नहीं आया कि जब मुख्य मन्त्री जी ने अधिवेशन बुलाया तो उन्होंने पहले से कार्यक्रम तैयार कर लिया होगा, तो फिर वह क्यों इस शनिवार को लेना चाहते हैं । पहले यह अधिवेशन १७ नवम्बर से बुलाने की घोषणा थी लेकिन उसको इसलिये टाल दिया कि शायद कोई काम आवश्यक नहीं था, लेकिन जब काम सामने आया तो उसमें इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि जिसके कारण शनिवार लेने का विचार है । कभी तो गति इतनी धीमी है कि काम सामने नहीं और जब काम की गति दिखाई दी तो शनिवार भी ले लिया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैंने पिछली बार भी इस सम्बन्ध में शिकायत हाउस में रखी थी। कभी-कभी अधिवेशन को बुलाकर भी तारीख टाल दी जाती है। पिछले साल भी ऐसा ही किया गया था कि नवम्बर में तारीख डाली गयी और फिर दिसम्बर में बुलाया गया। ठीक ऐसा ही इस साल भी किया गया है। एक बार सदन बुलाया जाता है और फिर जल्दी में काम किया जाता है और इस तरह से हमें बीच में सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाता है। कभी कभी इतने ज्यादा विधेयक आते हैं कि लाइब्रेरी में हमें रेफरेंस की किताबें भी नहीं मिलती हैं और हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि कहा जाता है कि जल्दी विधेयक पास करना है, तो भी जो परमावश्यक विधेयक होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलों का विधेयक है ऐसे विधेयकों को फिर भी टाला जाता है। यह विधेयक इस प्रोग्राम में शरीक नहीं है। मैंने राज्यपाल के भाषण के उत्तरस्वरूप यह रखा था कि मुझे सन्देह है कि मुख्य मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विधेयक जल्दी लाने की प्रेरणा में नहीं हैं, बल्कि उसे टालना चाहते हैं। उस पर मंत्री जी ने कहा था कि वह इस अधिवेशन में उस विधेयक को ले आवेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह न तो पिछले अधिवेशन में लाये और न इसी अधिवेशन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह पालिसी शंका की है। मैं चाहूंगा कि इस शनिवार को हमें अपने जिले के आवश्यक कार्य करने की छूट मिले। पिछली बार की ९ दिसम्बर सन् १९५७ की कार्यवाही मेरे पास है, इसमें पेज ४४ पर माननीय नेता विरोधी दल ने शनिवार को लेने का विरोध किया था और कहा था कि शनिवार को लेकर सरकार हमारे बहुत से कार्यों में बिगाड़ पैदा कर देती है। आज भी नेता विरोधी दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं और मुख्य मंत्री जी उनका उल्लंघन कर देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं। यह नीति हमें अच्छी नहीं लगती। मुख्य मंत्री जी को ऐसी छोटी-छोटी बातों में माननीय नेता विरोधी दल और नेता सोशलिस्ट पार्टी की बातों को मान लेना चाहिये। पिछले साल भी इन दोनों नेताओं ने प्रेरणा की थी कि शनिवार न लिया जाय। तो क्या मैं समझूं कि प्रत्येक वर्ष यह चीज इसी तरह चलती रहेगी? मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस रवैये को बदलकर हमारी राय को मानेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर, मैं दुखित हृदय से माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह सिद्धान्त की बात है और सिद्धान्त की बात में कम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि शनिवार के दिन जो छुट्टी दी जाती है वह यहीं नहीं दी जाती बल्कि अन्य देशों की पार्लियामेंट्स में भी दी जाती है ताकि हम लोग उस दिन आगे के लिये अपने को तैयार कर लें, कानून देखें या जो कुछ डिबेट के सिलसिले में एक्सपर्ट ओपीनियन हो उसको पूछ लें। इन चीजों के लिये शनिवार का दिन रखा गया है। मैं कम से कम अपने लिये तो कहता हूं कि हमको इसकी आवश्यकता है और तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। आखिर कुछ तैयारी की आवश्यकता तो होती ही है।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि डिबेट का स्तर ऊंचा हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सी इनफार्मेशन नहीं मिल पाती है और दूसरे दिक्कत यह हो जाती है कि शनिवार का दिन भी हम से ले लिया जाता है। अगर वह भी ले लिया जायगा। तो हमें कन्सल्ट करने का मौका कब मिलेगा? इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। हमको कुछ डर सा लगने लगा है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। कारपोरेशन बिल के समय जब विरोधी दल यहां से चला गया था तो एक एक दिन में तीन तीन सौ, ढाई ढाई सौ क्लाजेज पास किये। लेकिन उसके बाद विधान परिषद् की बैठक में उसको पेश भी नहीं किया गया। सरकार को कितनी जल्दी होती है कानून पास कराने की इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। प्रक्रिया

नियमावली की बहुत सरकार को जल्दी थी लेकिन वह अभी तक नहीं आयी । जैसा कि मोतीलाल जी ने कहा, अगर सरकार को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी तो १७ तारीख को सेशन बुलाकर फिर उसको पोस्ट-पोन क्यों कर दिया गया ? अब कहते हैं कि जल्दी है इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तजवीज पेश की है, मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूं । मैं उनकी पूरी बात सुनने के बाद भी यह न समझ पाया कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं सिवाय इस बात के कि वे कुछ चीजों को जल्दी से पास कराना चाहते हैं । लेकिन कोई तर्क उनकी बातों में नहीं जिन पर हम विचार कर सकते । अगर वे बहुत जल्दी पास ही कराना चाहते थे तो असेम्बली के सेशन को पहले बुला सकते थे या १ दिसम्बर के बजाय कम से कम २४ नवम्बर को बुला सकते थे । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परम्परा कायम नहीं की जानी चाहिये । आने वाले साल में जब बजट सेशन आयेगा तब तो ये चीजें होंगी ही लेकिन सरकार को गलत परम्परा न डालनी चाहिये । सरकार को इसी समय से उसके बारे में चैतन्य हो जाना चाहिये । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको पारित कराने का आग्रह न करें ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । सच्ची बात तो यह है कि सनीचर का दिन खत्म कर दिया गया था और इतवार का दिन तो पहले ही खत्म था । मेरा तो सुझाव है कि सनीचर का दिन जो खत्म कर दिया गया है उसको न खत्म किया जाय । हम लोग तो जनता के सेवक हैं, जनता का पैसा हम लोग खाते हैं लेकिन इस सदन को खाली रखते हैं, यह चीज़ उचित नहीं है । सनीचर के दिन हमें अवश्य ही काम करना चाहिये । हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी न लगे लेकिन बात खरी है । खरी बात में हो सकता है मेरे साथी भी दुखी हों ।

वे तो दुखी हो जाते हैं और खुश भी, फिर कहते हैं कि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, इनको इसकी खुशी भी है और दुख भी है । न इनका दुख मालूम पड़े, न इनका सुख मालूम पड़े, न जनता का दुख, न किसी और का दुख, वे तो अपने हित में भूले हुए हैं, और चाहे कुछ हो या न हो वे जनता का हित नहीं देखते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करें ।

श्री टीकाराम पुजारी---आक्षेप, किस चिड़िया का नाम है, यह तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन अपनी सच्ची बात कहता हूं । आपसे सबेरे मैंने निवेदन किया था तो आपने कहा था कि प्रश्न भेजे जायं, लेकिन आपके पास विशेषाधिकार के प्रश्न और कामरोको-प्रस्ताव न भेजे जायं । श्रीमन्, ६ महीने हो गये, मेरे प्रश्न का पता नहीं है, न उत्तर मिला न प्रश्न मिला, न मैं हूं न प्रश्न देने वाला मिला । मैं जो बात कहता हूं खरी खरी कहता हूं । आप मंत्रियों से मिलने की बात कहते हैं, लेकिन जाने पर वे अपने खाने और पाखाने में ही मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप असंगत हो रहे हैं । यह प्रश्न शनिवार का है ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं उसी के सम्बन्ध में आ रहा हूं । खरी खरी बात कहता हूं कि जब हम मंत्रियों से मिलने के लिये जाते हैं और बातचीत करते हैं तो ६, ६ महीने हो जाते हैं, उन बातों का जवाब तक नहीं मिलता । न पुलिस मंत्री उत्तर देते हैं, न गृह मंत्री उत्तर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी---तीन तीन मुहकमें एक मिनिस्टर के पास रहने से चूंकि काम अधिक है, वे ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिये एक एक मिनिस्टर के पास एक एक मुहकमा ही होना चाहिये। जहां तक शनिवार को बैठक करने की बात है, जब हम जनता का पैसा बैठ कर खर्च करते हैं और जनता का काम नहीं होता है तो मेरा यह सुझाव है कि सनीचर को बैठक अवश्य होनी चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय---अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह श्री टीकाराम पुजारी की व्यक्तिगत राय है, सोशलिस्ट पार्टी की राय नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी---इसमें पार्टी की क्या बात है, यह तो जनता के हित की चीज है और उसके हित की चीज होनी चाहिए।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, हममें से कुछ लोगों की यह मजबूरी है कि हम सीधी बात को भी जटिल तरीके से बिना कहे सन्तुष्ट नहीं होते। सनीचर को बैठक हो या न हो इसके सम्बन्ध में पक्ष विपक्ष में बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर विचार करते समय---गवर्नमेन्ट की यह नियत है, गवर्नमेन्ट फलां बात नहीं करना चाहती है, गवर्नमेन्ट की फलां बात में हमको सन्देह है, ऐसी अप्रासंगिक बातों को कहने से कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन मजबूरी है कुछ दोस्तों की, उनको कुछ न कुछ मौका चाहिये बोलने के लिए। शायद वे समझते हैं कि अपने कर्तव्य को पालन करने का सब से अच्छा तरीका यही है। बहरहाल उन बातों का जवाब देना इस सदन का समय नष्ट करना है। परम्परा की बात तो मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में जहां जहां भी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था है, वहां वहां हर जगह सनीचर को बैठक नहीं हुआ करती। मैं समझता हूं कि हर जगह यह कायदा नहीं है, यह तो सुविधा की बात होती है और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने जो कहा उनकी बात मैं सुनता रहा। उनका कहना तो यह है कि जनता के कल्याण के लिये सनीचर को बैठक होनी चाहिये। अस्तु, कुछ सज्जनों ने यह भी कहा कि सनीचर की छुट्टी में उनको अपनी कांस्टीटुएंसी में जाने का मौका मिलता है। ठीक है उनको अपनी कांस्टीटुएंसी में जाना ही चाहिये, जनता के बीच में जाना ही चाहिये। हम यह सोच रहे थे कि यह जो उपवेशन है जल्दी खत्म हो। उसका एक कारण है यह भी काम करने का अवसर है। मौसम अच्छा है। लोगों को जन सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिले, इसलिये मैं चाहता था कि जल्दी सेशन समाप्त हो जाय और लोग जन-सम्पर्क स्थापित कर सकें। बीच में एक रोज के लिये घर जायं और फिर भाग कर आयेंगे, इसलिये यही सोचा कि इत्मीनान से १३-१४ के बाद २०, २५ दिन जन-सम्पर्क स्थापित करें। लखनऊ में बैठे रहने से तो घर जाना अच्छा है, लेकिन माननीय त्रिलोकी-सिंह व कुछ मित्रों का कहना है कि ६ तारीख को जो शनिवार पड़ता है यह न लिया जाय। संभव है उन्होंने कुछ एंग्जमेंट्स कर लिये हों। मैं उनको चूंकि असुविधा में डालना नहीं चाहता लिहाजा ६ तारीख के अपने प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं, लेकिन साथ ही, जैसा कि मदन पांडेय जी ने कहा, काम देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो पीछे चल कर कोई दिन ले लिया जायगा, इसके लिये मैं अभी से कहे देता हूं कि १३ तारीख को जो शनिवार है उसके लिये मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि उस रोज कोई एंगेजमेंट न किया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप इसी प्रस्ताव को संशोधित रूप में पेश कर दें, बजाय ६ के १३ कर दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आपके इस सुझाव के लिये मैं बहुत कृतज्ञ हूं।

श्री राजनारायण---अभी से प्रस्ताव की क्या जरूरत है। जरूरत होगी तो ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---अगर सब एक मत नहीं हैं, तो आप फिर किसी दूसरे रोज इस संशोधित प्रस्ताव को रख दीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी मैं अभी से सूचना दिये देता हूं कि काम तो काफी है। अच्छा यही है कि अगले रविवार तक यानी १४ तारीख तक हम सारा कार्य खत्म कर दें। इसलिये माननीय सदस्य उस रोज के लिये कोई एंगेजमेंट्स न करें। १३ तारीख में अभी से लिये लेता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे मुझे इसे देंगे और ६ तारीख वाले प्रस्ताव को मैं माननीय सदस्यों के अनुरोध से वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

कृषि भूमि से सम्बन्धित इस्टेट ड्यूटी के संसद् द्वारा विनियमनार्थ संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :---

'इस विधान सभा द्वारा मार्च, १९५२ में पारित संकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदाशुल्क (estate duty) का विनियमन संसद् द्वारा पारित इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३, (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) द्वारा पारित किया जाता है ;

और इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) संसद् द्वारा पारित १९५४ के ऐक्ट संख्या ४१, १९५७ के ऐक्ट संख्या ३६ और १९५८ के ऐक्ट संख्या ३३ द्वारा संशोधित हुआ है ;

और इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उपर्युक्त संशोधक ऐक्ट में निर्दिष्ट विषयों का जहां तक कि उनका सम्बन्ध कृषि भूमि से सम्बन्धित सम्पदाशुल्क (estate duty) से है विनियमन इस राज्य में संसद् विधि द्वारा करे ;

अतएव अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के अनुसार एतद्द्वारा यह संकल्प पारित करती है कि उपर्युक्त विषयों का जहां तक कि वे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में संसद् को राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, विनियमन इस राज्य में संसद् विधि द्वारा करे और इस प्रयोजन के लिये इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) तदनुसार संशोधित किया जाय।"

१९५३ में पार्लियामेंट की समझ में यह बात आई कि अपने देश में इस्टेट ड्यूटी वाला कानून जारी करना चाहिये यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसके मरने से जिन लोगों को उसकी जायदाद से लाभ पहुंचने वाला हो उनसे एक प्रकार का टैक्स लिया जाय, लेकिन माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि और देशों में इस सम्बन्ध में जो कानून है उससे नाम में और हमारे यहां के नाम में फर्क रखा गया और उसका कारण यह है कि और देशों में एक आदमी जब मरता ह तो उसके जो वारिस होते हैं उनसे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन हिन्दुओं में ऐसा है जहां सम्मिलित परिवार है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ या गर्भ में भी आ गया तो जायदाद में उसका हिस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पिता के मरने के बाद भी उसका हिस्सा होता हो। पिता जब जीवित होता है तब भी लड़के का हिस्सा हो जाता है, चाहे तो वह अलग हो सकता है। इसलिये उस चीज को बचाया गया जो यूरोप इत्यादि में थी और सीधे इस्टेट्स ड्यूटी रखा गया। तो यह कानून तो वह बना सकते थे, लेकिन संविधान में जो शेड्यूल लगे हुए हैं उनमें शेड्यूल २ जो है उसकी संख्या ४८ के अनुसार जो जमीन है, जमीन के ऊपर इस किस्म की कोई ड्यूटी अगर लगानी हो तो वह अधिकार राज्य सरकार का है, केन्द्रीय सरकार या संसद का नहीं है। इसलिये जो दूसरी प्रकार की सम्पत्ति है उसके सम्बन्ध में तो कानून वह बना सकते थे, लेकिन लैंडेड प्रौपर्टी के बारे में कानून नहीं बना सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट की समझ में यह बात आयी कि अगर अलग अलग राज्यों ने इस बारे में कानून बनाये तो पहले तो एक से कानून होंगे नहीं, कहीं बनेंगे ही नहीं, और कुछ राज्यों में जिनमें बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं उनका प्रभाव पड़ेगा और वहां या तो कानून बनेगा ही नहीं और अगर बनेगा तो बहुत हल्की ड्यूटी लग जायगी। तो उचित समझा कि पार्लियामेंट से कानून बन जाय और हर प्रदेश में एक सा लागू हो जाय। रुपया वह वसूल करते हैं और वसूल करके राज्य सरकार को दे देते हैं। सन् १९५३ में कानून बनाने की बात हुई। सब राज्य सरकारों को लिखा। इसी सदन ने १९५३ में इस बात का प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम अपनी तरफ से अधिकार देते हैं पार्लियामेंट को कि वह कानून बना दे। सेक्शन २५२ संविधान के अनुसार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य किसी काम को, जो उसके अधिकार में है, पार्लियामेंट को सौंप सकता है। तो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और वह इस्टेट डयूटी के नाम से चल रहा है और डयूटी लगती है और राज्यों को मिल जाती है। पिछले साल पार्लियामेंट ने उसमें संशोधन किया। मुख्य बात संशोधन की यह है कि पहले जो कानून १९५३ में बना था उसमें यह था कि १,००,००० रु० तक की जो जायदाद होती थी उस पर स्टेट डयूटी नहीं लगती थी। अब उन्होंने यह कर दिया कि ५०,००० रु० तक की जायदाद मुस्तसना है उसके ऊपर की जायदाद पर टैक्स लगेगा। इसी प्रकार टैक्स की दर को भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, जैसे ४ परसेंट था उसको ५ परसेंट कर दिया ६ परसेंट को साढ़े सात परसेंट कर दिया और साढ़े सात परसेंट को १० परसेंट कर दिया। इसके माने यह हैं कि स्टेट डयूटी बहुत बड़े-बड़े जमींदारों पर हो सकती है जो उनसे ज्यादा मिल जायगी, राज्य सरकारों की आमदनी बढ़ जायगी अगर कानून पास हो गया। कानून पास करने में बाद को उनको ऐसा पता लगा कि उसमें कुछ थोड़ी सी भूल हो गई है और वह यह हुई कि पहले समझ में यह बात आयी कि जब राज्य सरकारों ने और प्रत्येक राज्य की विधान सभा ने यह अधिकार १९५३ में दे दिया था कि आप कानून बनायें तो उसके माने हैं कि हमको संशोधन का भी अधिकार मिल गया होगा। बाद को कानूनी सलाहकारों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक संविधान में संशोधन न हो, जब तक संविधान के शेडयूल २ में यह राज्य सरकार के अधिकारों में लिखा हुआ है तब तक संशोधन करने का भी अधिकार आपको प्राप्त करना होगा। कानून तो बन गया, लेकिन रुका हुआ है। परिणाम इसका यह होगा कि राज्यों को डयूटी का पैसा नहीं मिलेगा। तो जहां पर विधान सभा की बैठक हो रही थी वहां से यही पास हो गया, हमारे यहां भी आया हुआ है। जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसका आशय यही है कि जैसा हमने १९५३ में यह अधिकार दे दिया था कि विधान बना लिया जाय वैसे ही यह अधिकार भी दे दें कि जो १९५८ में संशोधन हुआ है वह कर लिया जाय ताकि जो स्टेट्स बच रही हैं उनमें भी स्टेट डयूटी ली जा सके। इतना ही इसका मतलब है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि--

"इस विधान सभा द्वारा मार्च, १९५२ में पारित संकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदाशुल्क (estate duty) का विनियमन संसद् द्वारा पारित इस्टेट डयूटी ऐक्ट, १९५३, (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) द्वारा पारित किया जाता है;

और इस्टेट डयूटी ऐक्ट, १९५३ (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) संसद् द्वारा पारित १९५४ के ऐक्ट संख्या १७, १९५४ के ऐक्ट संख्या ४१, १९५७ के ऐक्ट संख्या ३६ और १९५८ के ऐक्ट संख्या ३३ द्वारा संशोधित हुआ है;

और इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उपर्युक्त संशोधक ऐक्ट में निर्दिष्ट विषयों का जहां तक कि उनका सम्बन्ध कृषि भूमि से सम्बन्धित सम्पदाशुल्क (estate duty) से है विनियमन इस राज्य में संसद् विधि द्वारा करे;

अतएव अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के अनुसार एतद्द्वारा यह संकल्प पारित करती है कि उपर्युक्त विषयों का जहां तक कि वे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में संसद् को राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, विनियमन इस राज्य में संसद् विधि द्वारा करे और इस प्रयोजन के लिये इस्टेट डयूटी ऐक्ट, १९५३ (ऐक्ट संख्या ३४, १९५३) तदनुसार संशोधित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स के सम्बन्ध में कुछ संशोधन त्रिपाठी

जी लाये हैं और आज फिर विधान परिषद् से १८-१९ संशोधन आ रहे हैं। अभी हमने उनको न देखा है और न विचार ही किया है। मेरा निवेदन है कि अभी हम इस पर कोई अपनी राय नहीं बना पाये हैं इसलिये प्रार्थना है कि मंत्री जी इसको कल या परसों पेश करें, ताकि और भी संशोधन दिये जा सकें और उन पर विचार किया जा सके। ऐसी कृपा की जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४० के अन्तर्गत यह प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा रखे गये थे। इस धारा ४० को मैं आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि--

"The First Statutes shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid before each House of the State Legislature for ten days and they shall be subject to such additions and alterations as may be agreed to by both Houses but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder".

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि गत अधिवेशन में यह स्टेट्यूट्स राज्य सरकार की ओर से रखे गये थे और दस दिन के अन्दर मैंने यह संशोधन दे दिये थे, अब विधान परिषद् से जो संशोधन आये हैं वे केवल सूचनार्थ आये हैं, उन पर यहां फिर विचार किया जाय और फिर यहां संशोधन होकर वह फिर वहां जायं तो यह कड़ी कभी खत्म ही नहीं होगी। आज सचिव ने वह केवल सूचनार्थ सदन के समक्ष रखे थे, उन्हीं को वह पढ़ने चाहिये थे, उस वक्त मैं ध्यान आकृष्ट नहीं करा सका, जो पहले सदन में प्रस्तुत किये थे केवल उन्हीं पर विचार होगा और बाकी जो अब विधान परिषद् से आकर रखे गये हैं वे केवल सूचनार्थ हैं। इसलिये अब मैं आप की आज्ञा से अपने संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय---जो सूचनार्थ आये हैं उन पर भी विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अगर विचारार्थ उपस्थित नहीं हुये हैं तो अभी विचार कैसे होगा।

श्री गौरीशंकर राय--मेरा निवेदन है कि मंत्री जी उपस्थित करें और फिर सदन उन पर विचार करे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि स्टेचूट्स जो हैं वह विचारार्थ पेश नहीं होते वह तो केवल सदन की मेज पर रखे जाते हैं। यह तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम परिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसा कि विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि परिषद् ने कुछ संशोधन मंजूर किये हैं और अधिनियम में यह दिया हुआ है कि--

"The First Statutes shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid before each House of the State Legislature for ten days and they shall be subject to such additions and alterations as may be agreed to by both Houses but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder".

तो दोनों सदनों के सामने तो मंत्री जी ने प्रथम परिनियम रख दिये। अब दोनों सदन जिस बात को स्वीकार करते हैं वह परिवर्तन स्टेटचूट्स में हो सकता है। तो परिषद् ने कुछ परिवर्तन किये हैं और वह परिवर्तन सदन की मेज पर आज रख दिये गये सूचनार्थ। यदि मंत्री जी चाहते हैं कि जो संशोधन परिषद् ने स्वीकार किये हैं उनको यह सदन भी स्वीकार करे तो उनके और जो दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी संशोधन ला रहे हैं उन पर एक साथ विचार किया जायगा और त्रिपाठी जी अगर कुछ संशोधनों को स्वीकार कराने में कामयाब यहां पर हुए तो

[श्री अध्यक्ष]

वे संशोधन परिषद् के सामने जायंगे और जब वह स्वीकार कर लिये जायंगे तब वे स्वीकृत समझे जायंगे। इसी तरह से जब परिषद् के संशोधन यहां अगर हम स्वीकार कर लें, इस सदन में, तो स्वीकृत समझे जायंगे। इस बारे में मंत्री जी का क्या उद्देश्य है, मैं जानना चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वह विधि ठीक है। विधान परिषद् से संशोधित होकर स्टेट्यूट्स यहां आये। अब अगर कोई विचार करना चाहे तो उसका कोई प्रस्ताव नहीं होता है, वह टेबिल पर रख दिया जाता है। आपके द्वारा कोई दिन निर्धारित हो जाता है और अगर कोई संशोधन करना चाहे तो वह सारा स्टैट्यूट्स विधान परिषद् द्वारा संशोधित होकर आया है और हाउस के सामने विचारार्थ है.....

श्री अध्यक्ष--विचारार्थ नहीं है। वही विचारार्थ है जो १० दिन के लिए रखा गया था ओरिजिनल फार्म में। उसके अलावा अगर परिषद् के संशोधन विचारार्थ आप रखना चाहते हैं तो वह आपको रखने होंगे विचारार्थ। वह तो सिर्फ सूचनार्थ हमारे सचिव ने रख दिये। अब अगर विचारार्थ रखना है तो रख दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--तो मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करूंगा कि प्रथम परिनियम जैसा कि विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है उस पर विचार किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय---अभी प्रस्ताव हमारे सामने आया, उस पर संशोधन नहीं कर पाये, विचार नहीं प्रकट कर पाये।

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने तो वह मौजूद नहीं है जिनको आप विचार के लिए रखते हैं। एक और परिस्थिति पैदा हो गयी है। परिषद् में जो संशोधन स्वीकृत हुए हैं वे अंग्रेजी में स्वीकृत हुए हैं--तो यह किस तरह से हुए हैं, लेकिन जब कि इस आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी है तो उसकी हिन्दी करानी पड़ेगी या हिन्दी के रूप में उनको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं एक निवेदन करूंगा कि स्टेट्यूट्स के सम्बन्ध में तो पहले भी कार्यवाही सदन में हुई होगी। बहुत से विषयों के सम्बन्ध में स्टेटयूट्स आते रहते हैं। अब तक तो प्रथम परिनियम जो होता है वह टेबिल पर लागू कर दिया जाता है और सदन के किसी माननीय सदस्य की तरफ से उस पर कोई संशोधन आता है तो अध्यक्ष जी कोई तिथि नियत कर देते हैं और उस पर विचार हो जाता है। यही तरीका रहा है। मैं समझता हूं कि वहां से जो संशोधित परिनियम आये वह सदन की मेज पर रख दिये गये और नियम यह है कि १० दिन तक रहें और जब आप चाहें तो उस पर यदि कोई संशोधन आयें तो उन पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जरा आप कृपा कर बैठें। अधिनियम के अनुसार जब नियमों को बना कर सरकार सदन में रखती रही है तब वे सदन की मेज पर १४ रोज के लिये रखे जाते रहे हैं और अगर कोई संशोधन पेश करना चाहता था तो यदि उन्हें वह उन १४ दिनों के भीतर उपस्थित करता था तो सदन द्वारा वह नियमों को वह संशोधित करा सकता है और अगर कोई संशोधन न लावे तो वे नियम लागू रहते थे। लेकिन स्टेटयूट्स के लिये अब की दफा इस अधिनियम में यह नियम बनाया गया है कि जो प्रथम स्टेटयूट्स होंगे वे १० दिन तक सदन की मेज पर रखे जावेंगे और दोनों सदनों की राय से ही उनमें संशोधन हो सकेंगे यानी दोनों सदनों का एक मत होना चाहिये। इसलिये परिषद् ने जो संशोधन स्वीकार किये हैं यदि कोई चाहता है कि लागू होने चाहिये तो इस सदन को भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा, सिर्फ उन्हें सदन में रखने से वे विचारार्थ नहीं होते न रखने से वे पारित समझे जाते हैं। तो अगर केवल रखे गये और विचार करके स्वीकृत नहीं हुये तो यह समझा जायगा कि यह सदन उनके

साथ सहमत नहीं हैं। इसलिये वे गिर जायंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन और जो संशोधन विधान परिषद् ने भेजे हैं वे दोनों एक से हैं या उनमें कुछ अन्तर है ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—वे बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि फिर आप अपने संशोधनों को उपस्थित करें। अगर भिन्न हैं तो उन संशोधनों पर विचार कर लिया जाय। बाकी, जो परिषद् के संशोधन हैं उनको अगर स्वीकार करना है या मंत्री जी चाहें तो उनको वे किसी दूसरे रोज उपस्थित कर सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आज मान्यवर, क्या विधि ग्रहण की जायगी, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव करूं कि विधान परिषद् ने जो संशोधन किये हैं उन पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—वैसे तो मैं आपको इजाजत दे देता लेकिन दिक्कत यह है कि वे अंग्रेजी में ही हैं। अभी तक तो हमने इस तरह के स्टेटचूट्स वगैरह अंग्रेजी में तो पारित नहीं किये। इसलिये यह चीज जरा विचारणीय है कि उनका ट्रान्सलेशन करके फिर हमको पारित करना होगा या कैसे क्या किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने आपसे निवेदन किया था कि माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जो संशोधन रखना चाहते हैं वेहो सकता है कि स्वतंत्र हों या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि विधान परिषद् से जो संशोधन होकर आये हैं उन पर भी प्रभाव डालें। यह मैंने ठीक तरह से देखा नहीं है और चूंकि आज थोड़ी ही देर रह गयी है इसलिये यदि वे किसी दूसरे दिन ले लिये जायं तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मैं यह निवेदन करना चाहता था कि स्टेट्यूट्स जो हमारे सामने रखे गये उसमें १० दिन की बात है। तो १० दिन में तो सभी को इसका अधिकार है कि जो भी चाहें अमेंडमेंट पेश करें। तो अच्छा यह हो कि जिन-जिन सदस्यों को उस पर अमेंडमेंट देना हो वे उस टाइम के अन्दर दे दें और जब सब अमेंडमेंट्स आ जायं तो फिर एक आम बहस हो जाय और जो कौंसिल के हों उनको भी हमारा हाउस देख लेगा। मैं समझता हूं वह ज्यादा अच्छा तरीका होगा। करना कुछ को आज लें और कुछ को फिर लें यह कुछ उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन १० रोज तो गुजर चुके।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—नियमों की धारा ४० में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिये और पिछली बैठक में यह रखे गये थे। अब विधान परिषद् से जो भी संशोधन आये हैं उसमें अगर किसी को मतभेद हो तो उसके सम्बन्ध में अपनी राय देने का हक है लेकिन जो पहले रखे जा चुके हैं उन पर अब मत नहीं लेना चाहिये। जो विधान परिषद् से आये हैं उन पर कोई अमेंडमेंट चाहें तो रखें। अगर कोई अमेंडमेंट नहीं आता है तो वे मान्य हो जायंगे। और यह समझा जायगा कि.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनके लिये १० रोज का नियम लागू नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—ठीक है। मैंने आपको अपनी राय बतला दी अब जैसा आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष—आप जारी रखें। मंत्री जी का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं इजाजत देता हूं कि आप जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर आपका आदेश ऐसा है कि उन संशोधनों को पेश करना पड़ेगा जो विधान परिषद् ने स्वीकार किये हैं।

श्री अध्यक्ष—आप एक साथ पेश कर सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर ऐसी आपकी आज्ञा हो तो.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन आज नहीं पेश कर सकेंगे इसलिये कि अंग्रेजी के विषय पर भी मुझे विचार करना होगा। लेकिन जिस दिन आप उनको पेश करेंगे तो एक साथ वह पेश हो सकेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो दिन के बजाय एक दिन ही बहस हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी के संशोधन तो बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, उनके संशोधन उन धाराओं से भी संबंधित हो सकते हैं जिनको विधान परिषद् ने स्वीकार किया है। अगर अलग से वह पेश कर दें और वह सदन के सामने आ जाते ह तो उनकी क्या गति होगी ?

श्री अध्यक्ष—आप जब यह चाहते हैं कि दोनों एक साथ ले लिये जायं तो मैं सदन की राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् से जो संशोधन आये हैं उन्हें यदि विचारार्थ लेना उचित समझा जायगा तो उनके साथ ही दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी के संशोधन विचारार्थ लिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब आज कोई कार्य शेष नहीं है। अब हम उठते हैं और अगले दिन ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१ दिसम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

सूची

क्र० सं०	बस्ती जिले के सहायता प्राप्त विद्यालयों के नाम	वर्ष १९५७–५८ में विभिन्न सहायताएं जो दी गईं उनका योग
१	ए० एस० ऐण्ड जी० आर० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ..	२३,०६०
२	रतन सेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसी ..	३६,३८१
३	किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसका बाजार ..	८,१८४
४	किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती	१७,९४६
५	बी० एम० जी० एन० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बखिरा ..	९,६९१
६	पीपुल्स इण्डस्ट्रियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डोमरियागंज ..	८,५३१
७	सेक्सेरिया किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौड़ ..	६,७८०
८	खैर इण्डस्ट्रियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१७,९३२
९	शिवपति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शोहरतगढ़ ..	२८,७१४
१०	श्री कृष्ण पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ..	७,३००
११	हीरा लाल राम निवास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खलीलाबाद	१९,९५६
१२	गान्धी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदनी ..	१२,२७३
१३	नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरैया	१०,८१६
१४	श्री नागेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठठेरी बाजार ..	३,१५६
	योग ..	२,१०,७२०
	असहायता प्राप्त विद्यालय	
१५	गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरा गौतम ..	३००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की सूची जिनका निवास स्थान उसी जिले में है जहां वे कार्य कर रहे हैं

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	विद्यालय का नाम तथा कार्य करने की तिथि	निवास स्थान	विवरण
१	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, नरवल (कानपुर) २९-७-५८	कानपुर	
२	श्री मुन्नी लाल श्रीवास्तव, बी० ए०, एल० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर, २०-८-५८	फतेहपुर	
३	श्री राम नारायण लाल, बी० एस-सी०, एल० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, ज्वालापुर (सहारनपुर) १६-८-५८	सहारनपुर	
४	श्री मुहम्मद अहसान वास्ती, बी० ए०, बी० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत (जौनपुर) ३-९-५७	जौनपुर	
५	श्री अब्दुल फतह, एम० ए०, एल० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, आजमगढ़ २८-१०-५७	आजमगढ़	
६	श्री बृज मोहन पाण्डे, एम० ए०, एल० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, नैनीताल १६-८-५८	नैनीताल	
७	श्री बी० एस० गुप्त, एम० ए०, बी० टी०	राजकीय दीक्षा विद्यालय, आध्यात्मिक नगर (मेरठ)	मेरठ	श्री बी० एस० गुप्त प्रधानाचार्य, राजकीय दीक्षा विद्यालय, चरखारी का स्थानान्तरण राजकीय दीक्षा विद्यालय, आध्यात्मिक नगर, मेरठ हो गया है उन्होंने १३-८-५८ को कार्यभार सौंपा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

तालिका

विभाग	१९५६ में प्राप्त शिकायतों की संख्या	१९५७ में प्राप्त शिकायतों की संख्या	जुलाई, १९५८ तक प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
१—पुलिस ..	३९	५६	२६
२—माल ..	३५	४५	१५
३—कृषि ..	३	..	..
४—सिंचाई ..	२	१	..
५—नियोजन ..	३	५	..
योग ..	८२	१०७	४१

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

नाम जिला	वि० वि० नि० (इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स)			वि० प्र० उ० नि० (सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स)		
	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
१—देहरादून	..	१	..	..	५	१	..
२—सहारनपुर	..	१	..	..	११	१	..
३—मुजफ्फरनगर	..	१	..	..	८	..	..
४—मेरठ	..	२	..	..	१६	१	..
५—बुलन्दशहर	..	१	..	..	८	..	..
६—अलीगढ़	..	१	..	..	११	..	..
७—मथुरा	..	१	..	१	८	१	..
८—आगरा	..	२	..	..	१०	३	..
९—मैनपुरी	..	१	..	..	८	२	२
१०—एटा	..	१	..	..	८	१	..
११—बरेली	..	२	..	..	९	..	..
१२—बिजनौर	..	१	..	..	८	..	..
१३—बदायूं	..	१	..	..	८	१	..
१४—मुरादाबाद	..	१	..	..	११	..	..
१५—शाहजहांपुर	..	१	..	..	१०	१	१
१६—पीलीभीत	..	१	..	..	६	१	..
१७—रामपुर	..	१	..	..	४	..	..
१८—नैनीताल	..	२	..	..	८	..	..
१९—अल्मोड़ा	..	१	..	..	१३	..	..
२०—गढ़वाल	..	१	..	..	१५	..	..
२१—टेहरी-गढ़वाल	..	१	..	..	७	..	..
२२—फर्रुखाबाद	..	१	..	१	१०	१	..
२३—इटावा	..	१	..	..	९	..	१
२४—कानपुर	..	२	..	..	१२	१	..
२५—फतेहपुर	..	१	..	..	७	..	१
२६—इलाहाबाद	..	२	..	..	१५	..	..
२७—बांदा	..	१	..	..	९	१	..

नाम जिला	वि० वि० नि० (इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स)			वि० प्र० उ० नि० सब (डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स)		
	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
२८—हमीरपुर	..	१	..	९	१	..
२९—झांसी	..	१	..	८	..	..
३०—जालौन	..	१	..	६	१	..
३१—वाराणसी	..	२	..	१३	..	१
३२—मिर्जापुर	..	१	..	१०	..	१
३३—जौनपुर	..	१	..	१०	..	..
३४—गाजीपुर	..	१	..	१०	१	..
३५—बलिया	..	१	..	११	..	..
३६—गोरखपुर	..	१	१	१२	१	..
३७—देवरिया	..	१	..	१३	..	१
३८—बस्ती	..	१	..	१४	..	१
३९—आजमगढ़	..	१	..	१३	१	१
४०—गोण्डा	..	१	..	१३	२	..
४१—बहराइच	..	१	..	८	१	१
४२—फैजाबाद	..	१	..	८	..	..
४३—लखनऊ	..	२	..	७	..	..
४४—उन्नाव	..	१	..	९	..	..
४५—रायबरेली	..	१	..	७	१	..
४६—सीतापुर	..	१	..	९	..	..
४७—हरदोई	..	१	..	१०	..	..
४८—खीरी	..	१	..	९	..	..
४९—प्रतापगढ़	..	१	..	९	..	..
५०—बाराबंकी	..	१	..	८	१	..
५१—सुल्तानपुर	..	१	..	८	..	..
योग	..	५९	.. ३	४८८	२६	११

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश के लिए एक कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का विधेयक

यह इष्टकर है कि कृषि के विकास तथा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लाभ के लिए एक कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय ; अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(क) "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (Academic Council) से है ;

(ख) "कृषि" का तात्पर्य भूमि तथा जल के प्रबन्ध, फसल तथा पशु-धन के उत्पादन एवं प्रबन्ध और ग्रामीण जनता के सुधार के आधारभूत (basic) तथा व्यावहारिक (applied) विज्ञान से है ;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) से है ;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी (Faculty) से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (Governor) से है ;

(च) (सजातीय पदों सहित) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है ;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक (Registered Graduate) से है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "परिनियमों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) तथा विनियमों (Regulations) से है ;

(ञ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से नामांकित (enrolled) हो।

विश्वविद्यालय

३—(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उप-कुलपति तथा बोर्ड (Board) और विद्वत् परिषद् के प्रथम सदस्य, और वे समस्त व्यक्ति, जो एतत्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय" (The Agricu'tural University of Uttar Pradesh) के नाम से एक निगमित संस्था संघटित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा और उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत करेगा और उस के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

४—विश्वविद्यालय अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित समझा जायगा :

(क) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों, में शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करना;

(ख) अनुसंधान-कार्य, विशेषकर कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञानों में अनुसंधान-कार्य, को आगे बढ़ाना ; तथा

(ग) क्षेत्रीय तथा प्रसार कार्यक्रम (field and extension programmes) अपनाना।

विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिये होगा

५—विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा किन्तु, इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करना अपेक्षित होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकार

६—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(१) कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और सम्बन्धित विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(२) अनुसंधान-कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार तथा प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना ;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना ;

(४) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान (grant and confer) करना—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात किसी संस्था में परिनियमों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान-कार्य किया हो ;

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना ;

(६) क्षेत्र-कर्मियों (field workers) तथा अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके लिए ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों की स्थापना करना तथा उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(९) परिनियमों के अनुसार परिषद् वृत्तियों (जिन के अन्तर्गत यात्रिक परिषद् वृत्तियां भी हैं) छात्र वृत्तियों तथा पारितोषकों (prizes) की स्थापना करना और उनका प्रदान किया जाना ;

(१०) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थानों की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण ;

(११) ऐसे शुल्क तथा अन्य परिव्यय मांगना और प्राप्त करना जो नियत किये जायं ;

(१२) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की वृद्धि के लिए प्रबन्ध करना ;

(१३) प्रशासकीय, कारणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ; तथा

(१४) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

निरीक्षण

७--(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का निरीक्षण करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी मामले में उसी प्रकार जांच करवा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है और विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार उक्त निरीक्षण और जांच के फल के सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसे परामर्श के साथ, जो राज्य सरकार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दे, सम्बोधित कर सकती है।

(४) बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फल को दृष्टि में रख कर करना चाहे या जो उसने की हो।

(५) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे निदेश प्रचारित करेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा प्राधिकारी

८--विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :--

(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी--

(१) कुलपति (Chancellor) ;

(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor) ;

(३) लेखानियंत्रक (Comptroller) ;

(४) रजिस्ट्रार (Registrar) ;

(५) छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare) ;

(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties) ;

(७) कृषि प्रयोग केन्द्र के संचालक (Director of the Agricultural Experiment Station) ;

(८) प्रसार संचालक (Director of Extension) ;

और

(९) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी--

(१) प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) ;

(२) विद्वत् परिषद् ; (Academic Council) ;

(३) फैकल्टियों के बोर्ड (Board of Faculties) ; तथा

(४) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

कुलपति

९--(१) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। वे पदेन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(२) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

बोर्ड का संघटन तथा उसके अधिकार और कर्त्तव्य

१०--(१) कुलपति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बारह महीनों के भीतर बोर्ड का संघटन करेंगे।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:---

पदेन सदस्य

(क) उपकुलपति ;

(ख) कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(ग) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(घ) पशु-पालन संचालक, उत्तर प्रदेश।

अन्य सदस्य

(ङ) राज्य की विधान सभा के दो सदस्य, जो उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित होंगे ;

(च) राज्य की विधान परिषद् का एक सदस्य, जो उक्त विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा ;

(छ) कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में अभिरुचि रखने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(ज) निम्नलिखित संस्थाओं में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि---

(१) दि स्टेट फार्मर्स फोरम (The State Farmers Form) ;

(२) इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल एजुकेशन, (The Indian Council of Agricultural Education);

(३) यू० पी० इञ्जीनियर्स एसोसिएशन (U. P. Engineers' Association) ;

(४) राज्य समाज कल्याण बोर्ड (The State Social Welfare Board) ; तथा

(५) यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (The U. P. Co-operative Bank Limited)।

(३) उपधारा (२) में मद (ज) के अधीन व्यक्ति कुलपति द्वारा उन दो दो व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट होंगे जिनकी तदधीन निर्दिष्ट संस्थाओं में से प्रत्येक सिफारिश करेगा।

(४) बोर्ड अपना सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगा।

(५) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होगा, परन्तु बोर्ड का प्रथम संघटन हो जाने पर उस समय चुने हुये कुछ सदस्यों के कार्यकाल को कम करने के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जायगी जिससे कि उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्षों में यथासम्भव एक तिहाई सदस्य पद निवृत होंगे।

(६) पूर्वाधिकारी का शेष कार्यकाल ही आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गये सदस्य का कार्यकाल होगा।

(७) सदस्य बिना वेतन के कार्य करेंगे ; परन्तु दैनिक भत्ता तथा यात्रिक व्यय पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्वविद्यालय के आय-व्ययक से दिया जायगा ।

(८) बोर्ड के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) उप–कुलपति द्वारा प्रस्तुत आयव्-ययक का अनुमोदन ;

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को नियत रीति से नियुक्त करना ;

(ग) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने अधिकार में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा इस सम्बन्ध में कोई सामान्य आदेश प्रचारित करना ;

(घ) किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों का प्रशासन ;

(च) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग का निर्देश करना ;

(छ) ऐसी स्थायी अथवा अस्थायी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने कृत्यों के उचित सम्पादन के लिए आवश्यक समझे ;

(ज) धारा ११ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उप-कुलपति की नियुक्ति करना;

(झ) पूंजीगत (capital) सुधारों के लिये धन उधार लेना तथा उसकी वापसी का उपयुक्त प्रबन्ध करना;

(ञ) ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों में जिसे वह आवश्यक समझे, अधिवेशन करना ; किन्तु प्रबन्ध यह है कि प्रत्येक दो मास में कम से कम एक नियमित बैठक की जायेगी, और प्रतिबन्ध यह भी है कि इसकी नियमित बैठकों में से कम से कम आधी बैठकें विश्वविद्यालय में की जायंगी;

(ट) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों को विनियमित तथा निर्धारित करना तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं या उस पर आरोपित किये जायं ।

उप-कुलपति

११—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । प्रथम उप-कुलपति कुलपति द्वारा ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो कुलपति निर्धारित करें । अनुवर्ती उप-कुलपति बोर्ड द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे ।

(२) उप-कुलपति की उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(३) उप-कुलपति बोर्ड को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। साधारणतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जबकि उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है कम से कम ६० दिन पूर्व बोर्ड को दिया जायगा।

(४) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की सम्भावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त बोर्ड को देगा। ऐसी रिक्ति की पूर्ति यथासम्भव उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

(५) जब तक कि उपधारा (४) के अधीन रिक्ति की पूर्ति न हो जाय या जब तक कि ऐसे समय के लिये बोर्ड कार्यवाहक (acting) उपकुलपति नाम निर्दिष्ट न करे, तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति नाम-के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties)।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य

१२--(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यापालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(२) उप-कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाय और, धारा २३ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वह अपने अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिहित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उप-कुलपति बोर्ड के समक्ष आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गई हो।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक के, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है।

(८) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, वृत्तिक कर्मचारिवर्ग (professional staff) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति के संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई आज्ञाओं को उपकुलपति कार्यान्वित करेगा ।

(९) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा।

(१०) उप-कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार के प्रगाढ़ समन्वय तथा एकीकरण के लिये उत्तरदायी होगा ।

(११) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं ।

लेखा-नियंत्रक

१३--(१) लेखा नियंत्रण (Comptroller) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उपकुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, नियुक्त किया जायगा ।

(२) वह बोर्ड का पदेन सचिव होगा तथा उसको देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं।

(३) धारा ११ की उपधारा (२), (३), (४), तथा (५) में उल्लिखित त्यागपत्र, उपलब्धियों से भिन्न सेवा की शर्तें, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन की व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लेखा-नियंत्रक के पद के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(४) लेखा-नियंत्रक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा । वह उप-कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) लेखा-नियंत्रक का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा--

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजिन से भिन्न किसी रूप में) कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को अस्वीकृत करना जो किसी परिनियम के निर्बन्धनों का उल्लंघन करें, या जिसके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो ।

रजिस्ट्रार

१४--(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उप-कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये नियुक्त किया जायेगा ।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं।

(३) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह विद्वत् परिषद् का पदेन

सचिव होगा और उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-सम्पादन के लिये आवश्यक हो। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्रों को लेगा तथा समस्त पाठयक्रमों, पाठ्यचर्य्या (curricula) और अन्य सूचना का, जिसे आवश्यक समझा जाय, स्थायी अभिलेख रखेगा।

(४) रजिस्ट्रार उन परीक्षाओं के, जो नियत की जायं, संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और उनके लिये आवश्यक अन्य समस्त प्रबन्ध करेगा और उनसे सम्बद्ध समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो समय-समय पर बोर्ड अथवा उप-कुलपति द्वारा नियत किये जायं अथवा अपेक्षित हों।

(६) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जायगा, न वह उसे स्वीकार करेगा, सिवाय उस पारिश्रमिक के जिसकी व्यवस्था परिनियमों द्वारा की गई हो।

छात्र-कल्याण का डीन

१५---(१) छात्र-कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा, तथा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये उप-कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) छात्र-कल्याण के डीन को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं।

(३) छात्र-कल्याण के डीन के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे:---

(१) छात्रों के निवास के लिये प्रबन्ध करना;

(२) छात्रों को परामर्श देने के कार्यक्रम का संचालन करना;

(३) उप-कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन (employment) का प्रबन्ध करना;

(४) छात्रों के पाठ्यचर्य्या के अतिरिक्त कार्यों तथा आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करना;

(५) विश्वविद्यालय से जानेवाले स्नातकों को नियुक्ति पाने में सहायता देना; तथा

(६) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संघटित करना तथा उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

विद्वत् परिषद्

१६---(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा-संबंधी कार्यों की भार-साधक होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के स्तरों और उपाधियां (degrees) प्राप्त करने की अपेक्षाओं का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर उपकुलपति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों की पदावधि नियत की जायगी।

फैकल्टियां

१७—(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं, तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसके अधिकार नियत किये जायेंगे।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से संबद्ध परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार कार्य के संघटन और संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(६) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो विभाग के संघटन तथा संचालन के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(७) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति उसी प्रकार होगी तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य वही होंगे जो नियत किये जायं।

कृषि प्रयोग केन्द्र

१८—(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि प्रयोग केन्द्र (Agricultural Experiment Station) स्थापित किया जायगा। इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह समस्त फैकल्टियों में मूलभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के लिये उत्तरदायी होगा।

(२) प्रयोग-केन्द्र का एक संचालक (Director) होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका नाम निर्देशन कृषि के डीन द्वारा किया जायगा तथा उसकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

(३) प्रयोग-केन्द्र (Experiment Station) का संचालक कृषि की प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एवं पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा। वह परियोजनाओं (projects) के अभिलेखों को उचित रूप से रखेगा तथा अनुसंधान की प्रगति के प्रतिवेदनों को नियत रीति से प्रकाशन के लिये लेगा।

कृषि तथा गृह विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service)

१९—(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि तथा गृह-विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service) स्थापित की जायगी और वह, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए, कृषकों तथा गृहणियों को उनकी समस्याएं सुलझाने में सहायता देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलब्ध करायेगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरुचि का विकास करने के लिये उपाय करेगी, जैसे तरुण संघों की स्थापना।

(२) एक प्रसार संचालक (Director of Extension) होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका नाम-निर्देशन कृषि के डीन द्वारा होगा तथा नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

(३) प्रसार संचालक कृषि में प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्ण-कालिक पदाधिकारी होगा जो अनुसंधान के परिणामों के आधार पर प्रसार कार्य का कार्यक्रम बनायेगा तथा उसे निष्पादित करेगा।

सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबन्ध

२०—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

यथा सुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित व्यक्ति उस पदावधि के शेषकाल के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जिस तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त होता हो, उसका सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या न हो, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नाम निर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था, और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

२१—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह ज्ञात हुआ हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

२२—बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि वह व्यक्ति नैतिक पतन वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष (convicted) हुआ है।

सदस्यता और कार्यवाहियां

२३—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या विश्वविद्यालय का अथवा बोर्ड के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय अंतिम होगा।

समितियों का संघटन

२४—जब इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों में से बनेंगी।

निवृत्ति वेतन अथवा भविष्य निधि

२५—(१) विश्वविद्यालय अपने पदाधिकरियों, अध्यापकों, लिपिक-वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्त वेतन, बीमा तथा भविष्य-निधियों (pension, insurance and provident funds) की स्थापना करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(२) जब कोई ऐसी भविष्य निधि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन इस प्रकार स्थापित की गई हो, तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबंध उस निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो।

वेतन–भोगी पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति

२६—(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग (staff) के सदस्य बोर्ड द्वारा उपकुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किये जायंगे।

(२) उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गई हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन–भोगी पदाधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा। संविदा उपकुलपति के पास रक्खा जायगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबद्ध पदाधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी। संविदा इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के सेवा की शर्तों से संबंधित उपबंधों से असंगत न होगा।

विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण

२७—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से कोई विवाद उठने की दशा में, संबद्ध पदाधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर, वह विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें बोर्ड द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य, संबद्ध पदाधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक (umpire) होंगे। इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आरबीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत (submission to arbitration) समझी जायगी तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सब उपबंध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

परिनियम

२८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है तथा उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी :

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका पद पर बना रहना जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पदनाम, उनकी नियुक्ति की रीति, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये निवृति वेतन या भविष्य निधि (का संघटन) तथा बीमा योजना की स्थापना ;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना ;

(छ) सम्मान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान ;

(ज) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation) उप-विभाजन तथा उनका समापन (abolition) ;

(झ) फैकल्टियों के अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हालों और छात्रावासों की स्थापना तथा उनका समापन ;

(ट) परिषद वृत्तियों (fellowship) छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों की स्थापना ;

(ठ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना ;

(ढ) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ण) शर्तें, जिनके अधीन छात्र उपाधियों (degrees), डिप्लोमा तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे ;

(त) विश्वविद्यालय छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों तथा हालों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना ;

(थ) ऐसे हालों तथा छात्रावासों का अभिज्ञान तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों ;

(द) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतनभोगी पदाधिकारियों की संख्या, अर्हतायें, उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिन के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की आयु भी है) तथा उनकी सेवा और कार्यकलापों के अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना ;

(ध) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के निमित्त लिये जा सकें ;

(न) शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को महाविद्यालयों, हालों तथा छात्रावासों में अध्ययन के निमित्त अर्ह स्वीकृत किया जाय ;

(प) परीक्षा-निकायों, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य ;

(फ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ब) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रिक भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित हों ;

(भ) परिषद्-वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी–वृत्तियां, निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries), पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें ; तथा

(म) अन्य समस्त विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए या हो सकती है।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

२९—(१) धारा २८ के खंड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक रखी जायगी और तदन्तर्गत पहले से की गयी किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए वे ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्तनों के अधीन रहेंगे जिन के बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(२) इस धारा में, आगे दी हुई रीति से बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है।

(३) विद्वत् परिषद् बोर्ड के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड के आगामी अधिवेशन में विचार किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्वत् परिषद् ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित नहीं करेगा जिस से विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की स्थिति (status) या उस के अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी मत पर बोर्ड विचार करेगा।

(४) बोर्ड, उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी प्रारूप को अनुमोदित कर सकता है तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे विद्वत् परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित लौटा सकता है जिनका वह सुझाव दे।

(५) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है तथा बोर्ड उस प्रस्ताव को, यदि वह ऐसे विषय से सम्बन्धित है जो विद्वत् परिषद् के क्षेत्र में नहीं है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि ऐसा प्रारूप विद्वत् परिषद् के क्षेत्र के भीतर के किसी विषय से सम्बन्धित हो तो बोर्ड उसे विद्वत् परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट करेगा। विद्वत् परिषद् बोर्ड को यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब वह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत समझा जायगा, या वह उक्त प्रारूप को बोर्ड के पास उस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे विद्वत् परिषद् अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे विद्वत् परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तावित प्रारूप के विषय में प्रवृत्ति होते हैं।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

विनियम

३०—(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत विनियम बना सकते हैं, जिन में—

(क) उन के अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिए अपेक्षित सदस्य-संख्या निर्धारित की जाय ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; तथा

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों और जिनके लिए इस अधिनियम तथा परिनियमों में व्यवस्था न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा जिन में उस प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों की, जिन पर अधिवेशन होंगे और ऐसे कार्य की जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, पूर्व सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) बोर्ड ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उप धारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के रद्द किये जाने का आदेश दे सकता है।

(४) परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्वत् परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्सम्बन्धी प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है।

(५) विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त प्रारूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है या उसे, अपने सुझावों सहित और अधिक विचार करने के लिए फैकल्टी के बोर्ड को वापस कर सकती है।

छात्रों का निवास

३१—छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उपकुलपति द्वारा अनुमोदित निवासों में, नियत शर्तों के अधीन रहते हुए, रहेंगे।

अधिकारों का प्रतिनिधान

३२—बोर्ड इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार को परिनियम द्वारा किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन, जो नियत किये जायं, प्रयोग करने के लिए दे सकता है।

वार्षिक प्रतिवेदन

३३—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन उपकुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायगा तथा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को उस वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा जिस में उस पर विचार किया जायगा।

लेखे और लेखा परीक्षा

३४—(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और रोकड़-पत्र (balance-sheet) उपकुलपति के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो लेखे में दर्ज की जायंगी।

(२) लेखा तथा रोकड़-पत्र बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे जो परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा (Examiner, Local Fund Accounts), उत्तर प्रदेश द्वारा उन की लेखा-परीक्षा करायेगी।

(३) लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उस की प्रतिलिपियां, लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों सहित, उपकुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायंगी जिन्हें वह राज्य सरकार को ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

कुछ अन्य उपबंध

३५—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यथावधि संघटित न हो जायं, विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति उपकुलपति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति तथा उसकी शर्तों के लिए कुलपति का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

कठिनाइयों का निवारण

३६—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा—

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा संपादनीय या प्रयोक्तव्य अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी यथोचित रूप से नियुक्त या संघटित न हो जाय, किस के द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे ; अथवा

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई, जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा १९४८ ई० में डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् के सभापतित्व में संघटित किये गये विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग (University Education Commission) ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इस सुझाव को मान लिया तथा अमेरिका और भारत की कृषि संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भारत में इन संस्थाओं की उन्नति करने के लिए उपायों का सुझाव देने के निमित्त सन् १९५४ में एक संयुक्त भारत–अमेरिकी मण्डल की नियुक्ति की। इस मण्डल ने देश की विभिन्न भागों का दौरा किया तथा अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ जिला नैनीताल के तराई स्टेट फार्म में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों का अनुसरण करके तराई में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका केन्द्रस्थल स्टेट फार्म होगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय

संयुक्त राज्य अमेरिका के 'लैण्ड ग्रान्ट कालेज' के सदृश्य होगा तथा इस में पांच महाविद्यालय सम्मिलित होंगे, अर्थात्--

(१) कृषि महाविद्यालय (Agricultural College),

(२) पशुपालन महाविद्यालय (College of Animal Husbandry),

(३) कृषि-प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (College of Agricultural Technology),

(४) गृह विज्ञान महाविद्यालय (College of Home Science),

(५) विज्ञान महाविद्यालय (College of Science),

ये सब महाविद्यालय एक ही क्षेत्र में स्थित होंगे और वे स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु एक ही प्रशासन तथा समन्वित अध्यापन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

मोहनलाल गौतम,
कृषि मन्त्री।

विधान भवन

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

यूनाइटेड प्राविन्सेज इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजन के लिये यूनाइटेड प्राविन्सेज इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और धारा २ उस दिनांक से प्रचलित होगी जो सरकार इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज इन्टरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) There shall, from the date this section comes into force, be levied and paid to Government on all payments for admission to any entertainment tax (hereinafter referred to as "entertainment tax") at a rate, not exceeding 50 per cent of the payment for admission, as the Government may from time to time specify by a notification in this behalf, and the tax shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed".

उद्देश्य तथा कारण

कर जांच आयोग (Taxation Inquiry Commission) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि मनोरंजन कर (duty) वर्तमान फलक प्रणाली (slab system) के बजाय प्रतिशत के आधार पर लगाया जाय। इसी प्रकार की सिफारिशें, फिल्म जांच समिति (Film Inquiry Committee) ने की थी। मोशन पिक्चर्स एसोसियेशन (Motion Pictures Association) ने भी इसी प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं। उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार करने के सरकार के निश्चय को कार्यान्वित करने तथा मनोरंजन कर की फलक प्रणाली (slab system) के स्थान पर प्रतिशत प्रणाली (percentage system) अपनाने के उद्देश्य से यू० पी० इन्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ लिए संशोधित करने का

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को कुछ प्रयोजनों के

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५ को संशोधित किया जाय;

यह इष्टकर है कि आगे व्यक्त होने वाले प्रयोजनों के लिए यू० पी०

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह १ जनवरी, १९५९ से प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २ का संशोधन

२—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में:—

(१) खंड (f) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ff) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(*ff*) 'Private State Carriage' means a motor vehicle, other than a public service vehicle, with a seating capacity for more than nine persons excluding the driver thereof, used by, or on behalf of, the owner for his trade, business, or private purposes".

(२) खंड (k) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*k*) 'Transport Vehicle' means a public service vehicle or a goods vehicle".

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में :—

(१) उपधारा (१) में पहले तथा दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "plying for hire or reward under Articles IV to VII," के स्थान पर शब्द तथा अंक "under Articles IV to VII or IX". रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ५ में उसके दूसरे तथा तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ में एक नई धारा 5-A का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ५-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"5-A. (1) No transport vehicle plying under a permit granted by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh under the Motor Vehicles Act, 1939, shall be used in Uttar Pradesh, unless there has been paid in respect thereof a tax calculated at the appropriate rate specified in the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh; anything contained in section 5 to the contrary notwithstanding.

Vehicles not to be used in Uttar Pradesh without payment of tax.

(2) For the purposes of levy and payment of tax under sub-section (1), the tax payable for a week or part thereof shall be one fifty-twoeth of the appropriate rate specified in the First Schedule."

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ में धारा १५-ए का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा 15-A के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"15-A. Where a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police, or such other officer as may be authorized by the State Government in this behalf, has reason to believe that—

Power to seize and detain vehicles used without payment of tax.

(i) a motor vehicle has been or is being used by a person without payment of tax ; or

(ii) a person has, after assessment of the tax on him under the provisions of this Act, failed or refused to pay such tax,

such officer may seize and detain the motor vehicle and for this purpose take, or cause to be taken such steps as may be considered by him to be necessary for the safe custody of the motor vehicle, and in particular require the driver of such vehicles to convey it to the nearest police station or any other place specified by him:

Provided that a motor vehicle of a person on whom tax has been imposed under the provisions of this Act, shall not be seized or detained unless the period for preferring an appeal against the order imposing the tax under section 15 has expired, or where such an appeal has been preferred before decision of the appeal:

Provided further that a motor vehicle seized or detained under this section shall be released immediately after the payment of the tax or other dues payable under this Act.

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २० का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा २० में :

(१) उपधारा (२) में खंड (dd) निकाल दिया जाय, तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(3) All rules made under this Act shall be published in the official *Gazette* and shall, unless some later date is appointed come into force on the date of such publication.

(4) All rules made under this Act shall be laid for not less than 14 days before the State Legislature as soon as they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session which they are so laid".

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २१ का निकाल दिया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की पहली अनुसूची (first schedule) का संशोधन

९—मूल अधिनियम की पहली अनुसूची (First Schedule) में:—

(१) अनुसूची (Schedule) के भाग (Parts) A तथा B के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं।

FIRST SCHEDULE

Article number	Description of vehicle	Annual rate of tax
	PART A	Rs.
	Vehicles other than transport vehicles	
I	Cycles (including motor scooters and cycles with attachment for propelling the same by mechanical power) not exceeding 8 cwt. in weight unladen—	
	(*a*) Bicycles—	
	(i) not exceeding 200 lbs. in weight unladen	16
	(ii) exceeding 200 lbs. in weight unladen	28
	(*b*) Tricyles	32
	(*c*) Bicycles or tricycles used for drawing a trailer or a side-car, in addition to the rates above	4
II	Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tricycles weighing more than 8 cwt. unladen)—	
	(i) (*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	48
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35 cwt. in weight unladen	68
	(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 40 cwt. in weight unladen	92
	(ii) trailers drawn by vehicles covered by this article	20
	(iii) in the case of vehicles specified in (i), where two or more are owned by the same person—	
	(*a*) for that one of such vehicles on which the highest tax is leviable—the full tax.	
	(*b*) for each other of such vehicles—three-quarters of the tax leviable on such vehicle.	
III	Vehicles including cycles, and tricycles weighing more than 8 cwt. unladen constructed, or adapted for use, for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver)—	
	(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	92
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not esceeding 35 cwt. in weight unladen..	152
	(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 50 cwt. in weight unladen	200
	(*d*) exceeding 50 cwt. but not exceeding 70 cwt. in weight unladen	292
	(*e*) exceeding 70 cwt. but not exceeding five tons in weight unladen	376

Article number	Description of vehicle	Annual rate of tax
		Rs.
	(*f*) exceeding five tons in weight unladen for every ton or part of a ton in excess of five tons	156
	(*g*) trailers drawn by vehicles covered by this article—	
	(*a*) to carry load not exceeding one ton	104
	(*b*) to carry load exceeding one ton	200
	(ii) if fitted with resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/3 per cent thereon.	
	(iii) if fitted with non-resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
	PART B	
	Transport Vehicles	
IV	Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	
	(1) With seating capacity for not more than three persons (exclusive of the driver)	120
	(2) With seating capacity for four persons (exclusive of the driver)..	196
	(3) With seating capacity for more than four but not more than six persons (exclusive of the driver)	300
	(4) With seating capacity for more than six persons but not more than 20 persons (exclusive of the driver)—	
	for the first six seats	300
	With an addition for every seat in excess of six and up to twenty, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	24
	(*b*) if intended for use on a B class route	16
	(*c*) if intended for use on a C class route..	12
	(5) With seating capacity for more than 20 but not more than 32 persons (exclusive of the driver) —	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	for the first 20 seats	668
	for every additional seat	28
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	for the first 20 seats	552
	for every additional seat	24
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	for the first 20 seats	472
	for every additional seat	16
	(6) With seating capacity for more than 32 persons, exclusive of the driver—the tax payable under the foregoing clause for the first 32 seats with an addition, for every seat in excess of 32, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	56
	(*b*) if intended for use on a B class route	40
	(*c*) if intended for use an a C class route..	24
V	Vehicles plying for hire for the conveyance of a limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods—the tax payable under Article IV in respect of the authorized number of passenger seats, together with an additional tax for every hundred weight of authorized load of goods—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	12
	(*b*) if intended for use on a B class route	8
	(*c*) if intended for use on a C class route	4
VI	Vehicles plying for hire for the transport of goods only—	
	(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	280
	(ii) for every additional hundred weight of authorized load	10

Article number	Description of vehicle	Annual rate of tax
		Rs.
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	252
	(ii) for every additional hundred weight of authorized load ..	8
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	228
	(iii) for every additional hundred weight of authorized load ..	6
	(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33 1/3 per cent thereon.	
	(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
VII	Vehicles intended for use on a special route—The appropriate tax payable under Articles IV, V, VI or IX in respect of an A class route together with such additional tax not exceeding 50 per cent of such appropriate tax as may be prescribed by the State Government.	
VIII	Vehicles plying for hire in respect of which a tax has been paid under either of Articles IV, V, VI or VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply—	
	in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at such weekly rate not exceeding Rs.22 as the State Government may prescribe, for every week or part of a week during which it is intended to use any such vehicles in such special or temporary circumstances :	
	Provided that nothing in this Article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of a specific journey :	
	Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the road or roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.	
IX	Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward—	
	(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	252
	(ii) for every additional hundred weight of load	8
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	228
	(ii) for every additional hundred weight of authorzed load ..	8
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	204
	(ii) for every additional hundred weight of authorized load ..	6
	(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/2 per cent thereon ; and	
	(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
X	Tractor drawing a trailer and used for purposes other than agricultural purposes unless its combined unit makes an articulated vehicle— "A tax at the flat rate of Rs.100 per annum, in addition to the tax paid in respect of the trailer or trailers drawn by it."	

(२) अनुसूची (Schedule) के भाग (Part) C के खंड (5) में शब्द तथा अंक "IV, V, VI, or VII" के स्थान पर शब्द तथा अंक "IV to VII or IX" रख दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

मोटर गाड़ियों पर करों की दरें यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की पहली अनुसूची में नियत है। इन दरों का पुनरीक्षण अंतिम बार १९५२ में हुआ था। ये दरें कतिपय अन्य राज्यों में लगाये गये करों की दरों की तुलना में काफी कम हैं। अन्तिम बार जब इन दरों का पुनरीक्षण हुआ था तब से परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब वह स्थिति आ गई है जब सड़कों के निर्माण तथा सुधार पर बढ़े हुये व्यय को पूरा करने के लिये इन करों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय। उक्त अधिनियम (ऐक्ट) के कार्यान्वय से कतिपय त्रुटियों का भी पता चला है। उन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, जिनका अनुभव किया जा रहा है, उक्त अधिनियम में उपयक्त उपबन्धों का समावेश करना आवश्यक है। तदनुसार इस विधेयक द्वारा उपर्युक्त अधिनियम में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक संशोधन करना अभिप्रेत है।

सीताराम,
परिवहन मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी–२६२ एल० ए०—१९५९—८४०।